मध्यप्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

चतुर्दश विधान सभा तृतीय सत्र

जून-जुलाई, 2014 सत्र

शुक्रवार, दिनांक 4 जुलाई, 2014

(13 आषाढ़, शक संवत् 1936)

[खण्ड- 3] [अंक- 5]

मध्यप्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 4 जुलाई, 2014

(13 आषाढ़, शक संवत् 1936)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.36 बजे समवेत हुई.

{अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.}

मंत्री, गृह (श्री बाबूलाल गौर)-- आज तो विधानसभा चलेगी? आज तो प्रश्नकाल होगा?

नेता, प्रतिपक्ष(श्री सत्यदेव कटारे)-- जरुर होगा. हम तो कल भी चाहते थे कि प्रश्नकाल हो.

श्री रामनिवास रावत-- गौर साहब आपकी क्या इच्छा है.

मंत्री, उच्च शिक्षा (श्री उमाशंकर गुप्ता)-- नेता प्रतिपक्ष की हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी से कोई सेटिंग है. आज उनका प्रश्न का दिन है इसलिए प्रश्नकाल चल रहा है.

श्री सत्यदेव कटारे-- उन्होंने धमकी दे दी कि नेता प्रतिपक्ष को नहीं बोलने देंगे.(हंसी)

मंत्री, संसदीय कार्य (डॉ नरोत्तम मिश्रा)-- मेरे बड़े भाई हैं. मैं बड़े भाई को कभी धमकी नहीं दे सकता.

श्री सत्यदेव कटारे-- संसदीय कार्य मंत्री ने तो नहीं दी.

डॉ नरोत्तम मिश्रा-- आप बड़े प्रेम से बोलना. मैं ध्यान से सुनूंगा.

श्री सत्यदेव कटारे-- लोग जाने क्या क्या सूचनाएं देते हैं. बहुत गलत परम्परा है.

श्री बाबूलाल गौर-- डॉ नरोत्तम मिश्राजी की बात द्विअर्थी रहती है.

मंत्री, नगरीय प्रशासन एवं विकास(श्री कैलाश विजयवर्गीय)-- ये चम्बल के लोग हैं. एक दूसरे से दुश्मन की तरह झगड़ते हैं और फिर बाद में बड़े भाई-छोटे भाई हो जाते हैं. (हंसी)

बैरसिया विधान सभा क्षेत्र में ग्राम स्वास्थ्य प्रहरी दलों का गठन एवं क्रियान्वयन

1. (*क्र. 1458) श्री विष्णु खत्री : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्राम स्वास्थ्य प्रहरी दलों का बैरसिया विधान सभा क्षेत्र में गठन किया जा चुका है? यदि हां, तो गठन का स्वरूप/प्रकार कार्य क्षेत्र के बारे में पूर्णतः स्पष्ट करें? इन दलों के प्रभारी एवं सदस्य कौन-कौन हैं केन्द्र/दलवार, संबंधित डॉक्टरों/कर्मचारियों के नाम, पद सहित स्पष्ट करें? (ख) ऐसी कितनी ग्राम पंचायतें हैं जहां यह दल अभी तक गठित नहीं हो पाए हैं? यह कब तक गठित कर लिये जावेंगे और अपना कार्य आरम्भ कर लेंगे?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्रा) : (क) जी हां, प्रत्येक 10 से 12 ग्राम पर एक सेक्टर में चिकित्साधिकारी के अधीन ग्राम स्वास्थ्य प्रहरी दल का गठन किया गया है जिसकी संरचना निम्नानुसार है :-

1.	सेक्टर चिकित्साधिकारी	संयोजक
2.	सेक्टर पर्यवेक्षक पुरुष	सदस्य
3.	एल. एच. व्ही.	सदस्य
4.	एम. पी. डब्ल्यू.	सदस्य
5.	ए. एन. एम.	सदस्य

बैरसिया विधान सभा क्षेत्र में उपरोक्तानुसार इन दलों के प्रभारी एवं सदस्यों की केन्द्र/दलवार संबंधित डॉक्टरों/कर्मचारियों के नाम की जानकारी †संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (ख) एक भी नहीं. प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

श्री विष्णु खत्री-- अध्यक्ष महोदय, बैरसिया विधानसभा क्षेत्र में ग्राम स्वास्थ्य प्रहरी दलों के गठन एवं क्रियान्वयन के संबंध में मेरा प्रश्न था. माननीय मंत्रीजी ने जो उत्तर दिया है. उससे मैं पूर्णतः संतुष्ट नहीं हूं. बैरसिया विधानसभा में, बैरसिया तहसील के अलावा हुजूर तहसील की 25 ग्राम पंचायतें और लगभग 60 ग्राम भी आते हैं. जिसमें प्रहरी दलों की जानकारी विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं करायी गई है. दूसरा, बैरसिया विधानसभा में 110 ग्राम पंचायतें हैं और इसमें लगभग 110 ग्राम है. इस अनुपात में जो शासन का परिपत्र है, उसमें प्रत्येक 12 ग्राम पर एक प्रहरी दल बनाये जाने का आदेश है. उसके अनुसार बैरसिया विधानसभा की बैरसिया तहसील में लगभग 26 प्रहरी दल बनाये जाने थे. विभाग द्वारा जो प्रहरी दल बनाये गये हैं वह केवल 14 दलों का गठन किया गया है. इससे यह प्रतीत होता है कि यहां पर डॉक्टरों की पर्याप्त संख्या में उपलब्धता नहीं है और कई पद यहां पर रिक्त हैं.

अध्यक्ष महोदय-- प्रश्न करिये.

श्री विष्णु खत्री-- अध्यक्ष महोदय, मैं, माननीय मंत्रीजी से इस प्रश्न के माध्यम से अनुरोध करता हूं कि यहां पर जो रिक्त पद हैं उस पदों पर ड़ॉक्टरों की पदस्थापना होना चाहिए.

अध्यक्ष महोदय-- क्या रिक्त पदों पर डॉक्टरों की पदस्थापना होगी?

डॉ नरोत्तम मिश्रा-- अध्यक्ष महोदय, सम्मानित सदस्य ने प्रहरी दल का सवाल पूछा है. हम प्रहरी दल शीघ्र बना रहे हैं. जैसे जैसे डॉक्टरों की उपलब्धता होती जा रही है. सम्मानित सदस्य को भी मालूम है कि डॉक्टर कम हैं. लगभग 825 डॉक्टर हमने विगत दिनों में भरे हैं और लगभग 1200 पदों की नई वेकेंसी पीएससी के द्वारा जारी कर दी गई है. जैसे जैसे डॉक्टरों की कमी सामने आती जायेगी हम भरते जायेंगे. सम्मानित सदस्य के क्षेत्र को प्राथमिकता पर लेंगे.

श्री सुन्दरलाल तिवारी-- ये व्यापम वाले डॉक्टर तो नहीं भेजेंगे.

अध्यक्ष महोदय-- यह प्रश्नकाल है.

डॉ नरोत्तम मिश्रा-- मेरा तिवारी जी से निवेदन है कि इस सीट पर पहले मेरी बहन कल्पना परुलेकर बैठती थीं. (हंसी)

डॉ गौरीशंकर शेजवार-- अध्यक्ष महोदय, जिन स्कूलों को शासकीय किया गया है. कहीं मास्टरों में तिवारी जी का नाम तो नहीं है पता तो लगा लिया जाये. (हंसी)

श्री सुन्दरलाल तिवारी-- अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्रीजी ने मुर्दों के जांच की बात की है.(व्यवधान) पहले वाले सब मर गये. अब मुर्दों की जांच क्या होगी.

श्री उमाशंकर गुप्ता-- तिवारी जी के तेवर तो मास्टर जैसे ही हैं.

डॉ गौरीशंकर शेजवार-- मास्टरों में भी गुरुजी तो नहीं थे. मास्टर भी कई किस्म के होते हैं.

श्री उमाशंकर गुप्ता-- मास्टर सुन्दरलाल तिवारी....(हंसी)

छात्रावास भवन का निर्माण

2. (*क्र. 900) इन्जी. प्रदीप लारिया : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनुसूचित जाति छात्रावास बम्होरी बीका, वि.ख. सागर के छात्रावास का निर्माण कार्य कब और किस वर्ष में हुआ था? (ख) क्या वर्तमान में उक्त छात्रावास में विद्यार्थी अध्ययनरत/निवासरत हैं? यदि नहीं तो क्यों? (ग) क्या विभाग द्वारा छात्रावास भवन निर्माण के बाद भी छात्रावास किराये के भवन में संचालित है? यदि हां, तो क्यों? (घ) क्या विभाग द्वारा छात्रावास निर्माण के बाद भी किराये के भवन का भुगतान किया जा रहा है तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) अनुसूचित जाति बालक छात्रावास भवन, बम्होरी बीका, वि.ख. सागर का निर्माण कार्य वर्ष 2009-10 में 23 जून, 2010 में प्रारम्भ हुआ था. (ख) वर्तमान में उक्त छात्रावास भवन में विद्यार्थी अध्ययनरत/निवासरत् नहीं हैं. नवनिर्मित छात्रावास भवन में आंशिक निर्माण कमियों के कारण भवन का आधिपत्य विभाग ने नहीं लिया है. (ग) जी हां. छात्रावास भवन को कमियों के कारण आधिपत्य न लेने के कारण छात्रावास किराये के भवन में संचालित है. (घ) जी हां. छात्रावास भवन की तकनीकी कमियों के कारण विभाग को अंतरित नहीं होने के कारण किराये के भवन में छात्रावास संचालित किया जा रहा है. अतः किसी प्रकार की कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

इन्जी. प्रदीप लारिया - अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के भाग ख के उत्तर में कहा गया है कि इसमें आंशिक त्रुटि है और भाग घ के उत्तर में कहा गया है कि इसमें तकनीकी त्रुटि है. यदि तकनीकी त्रुटि है तो इसका परीक्षण किसके द्वारा कराया गया और यदि त्रुटि थी तो इसका लोकार्पण दिनांक 21.12.12 को क्यों कराया गया? यदि लोकार्पण कराया गया तो जो नया छात्रावास भवन बना है उसमें शिफ्ट क्यों नहीं किया गया है?

श्री ज्ञान सिंह - अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने छात्रावास भवन के बारे में जो जानकारी चाही है, आपके माध्यम से मैं अवगत करना चाहूंगा कि माननीय प्रश्नकर्ता विधायक जी के द्वारा दिनांक 21.12.12 को उपरोक्त छात्रावास भवन का लोकार्पण किया गया था. उसमें बहुत कुछ कमियां थी. हमें जानकारी मिली कि माननीय विधायक जी के करकमलों के द्वारा छात्रावास भवन का लोकार्पण किया गया है. मैं आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहूंगा कि छात्रावास भवन में जो कमियां हैं, दरवाजे, खिड़की और टॉयलेट जो अधूरे हैं, वे 15 दिन में पूरे हो जाएंगे. कन्याओं के लिए छात्रावास रहने लायक हो जाएगा.

इन्जी. प्रदीप लारिया - अध्यक्ष महोदय, दो चीजें हैं, एक तो इन्होंने कहा कि छोटी-छोटी खामियां हैं. दूसरा कहा है कि तकनीकी खामी है. जबकि तकनीकी कोई खामी नहीं हैं. उसके लिए कोई समिति बनाई हो, उसका परीक्षण कराया गया हो, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है. अकेले यही छात्रावास का विषय नहीं है. मैं यह कहना चाहता हूं कि सीधे-सीधे मकान मालिक को लाभ पहुंचाने के लिए सांठगांठ की गई है.

अध्यक्ष महोदय - सीधे प्रश्न पूछें.

इन्जी. प्रदीप लारिया - अध्यक्ष महोदय, ऐसे 5 छात्रावास और हैं. यह कुल मिलाकर सांठगांठ चल रही है और जो क्षेत्रीय अधिकारी है, वह सहायक आयुक्त आदिवासी के पद पर है, एक असक्षम अधिकारी प्रभार में है..

अध्यक्ष महोदय - आप सीधा यह पूछ लें कि कब तक शिफ्ट करेंगे.

इन्जी. प्रदीप लारिया - अध्यक्ष महोदय, छात्रावास बनने के बाद सरकार जो सवा साल से किराए का पैसा दे रही है. वह पैसा जाया गया है. किराए के भवन में छात्रावास चला रहे हैं. मैं यह पूछना चाह रहा हूं कि छात्रावास भवन जब आपका बन गया है. सवा साल में यदि आप उसमें दरवाजे, टॉयलेट नहीं लगा पाए हैं..

अध्यक्ष महोदय - माननीय मंत्री जी, कब तक छात्रावास शिफ्ट कर देंगे?

श्री ज्ञान सिंह - अध्यक्ष महोदय, 15 दिन के अंतराल में छात्रावास में प्रवेश दिला दिया जाएगा.

इन्जी. प्रदीप लारिया - अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न और है. यह जो सहायक आयुक्त आदिवासी है, यह अंडर ट्रांसफर है. इसका सितम्बर, 2013 में ट्रांसफर हो गया है, अभी तक रिलीव नहीं हुआ है और इसी के कारण यह अव्यवस्था बनी है.

अध्यक्ष महोदय - यह इससे उद्‌भुत नहीं होता.

इन्जी. प्रदीप लारिया - अध्यक्ष महोदय, इसी के कारण तो यह स्थिति है.

अध्यक्ष महोदय - यह इससे उद्‌भुत नहीं होता, आप इसके बारे में मंत्री जी से बात कर लीजिए. प्रश्न संख्या 3..

इन्जी.प्रदीप लारिया—मेरा एक प्रश्न और है कि 10 छात्रवास ऐसे हैं जो भवन विहीन हैं. वे कब तक बन जाएँगे.

अध्यक्ष महोदय—यह प्रश्न इससे उद्‌भुत नहीं होता है, मंत्रीजी बताना चाहें तो बता दीजिए.

श्री ज्ञान सिंह—अध्यक्ष महोदय, सागर जिले में 9 छात्रावास भवन विहीन हैं जिनमें 5 बालिका छात्रावास और 4 बालक छात्रावास हैं. प्रथम दृष्ट्या में 5 कन्या छात्रावासों के लिए राशि स्वीकृत हो गई है और लघु उद्योग निगम उसकी एजेन्सी है. बहुत जल्दी निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा.

इन्जी. प्रदीप लारिया—धन्यवाद.

माझी विषयक् जनसंकल्प व आग्रहपत्र एवं कामेन्ट पर अभिमत

3. (*क्र. 436) श्री मोती कश्यप : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या किसी विधायक के द्वारा सितम्बर, 2013 में मा. मुख्यमंत्री जी को माझी जनजाति विषयक् किसी संस्था की किन्हीं टिप्पणियों पर स्पष्टीकरण युक्त प्रतिवेदन पर राज्य के संस्थान से अभिमत प्राप्त किया गया है? (ख) क्या प्रश्नांश ''क'' के संबंध में विभाग द्वारा किन्हीं तिथियों के प्रतिवेदनों, मंत्रिपरिषद् का निर्णय/अनुशंसा और किसी अन्य विभाग का अभिमत किसी केन्द्रीय मंत्रालय में प्रस्तुत किये हैं? (ग) क्या प्रश्नांश ''क'' के द्वारा प्रस्तुत किन्हीं प्रतिवेदनों में किन संदर्भ साहित्यों एवं जनगणनाओं में माझी व मझवार को किन्हीं वंशानुगत/परम्परागत पेशों की ओर किन्हीं जातियों की पर्याय और वर्गीय जनजातियां माना गया है और क्या जिसे विभाग द्वारा मान्य किया गया है? (घ) क्या प्रश्नांश ''क'', ''ख'' के संबंध में सरकार का कोई जनसंकल्प है और उसके परिप्रेक्ष्य में किसी के द्वारा किसी दिनांक को कोई आग्रह पत्र किसी को भेजा गया है? (ङ) क्या प्रश्नांश ''क'' से ''घ'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नांश ''क'' संस्था के कामेन्ट्स पर अनुकूल अभिमत कब तक प्रेषित कर दिया जावेगा?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) एवं (ख) जी हां. (ग) आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्था, म. प्र., भोपाल के प्रतिवेदन दिनांक 25-6-2013 में माझी की उपजातियों धीवर, केवट, कहार, मल्लाह, ढीमर, भोई, निषाद आदि की पुष्टि जनजाति के रूप में नहीं हुई है. (घ) जी हां. जनसंकल्प 2013 क्रमांक 3.49 अनुसार कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है. (ङ) म. प्र. शासन द्वारा 24 जून, 2014 को भारत सरकार, जनजाति कार्य विभाग को अनुशंसा पत्र प्रेषित.

श्री मोती कश्यप—अध्यक्ष महोदय, मैने बहुत ही सहजता से माननीय मुख्यमंत्री जी को रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इण्डिया की जो कामेन्ट आई थी, उसके आधार पर मैने एक अध्ययन बना कर माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया था और उसके आधार पर मैने प्रश्न किए हैं. लेकिन जो भी मैने प्रश्न किये हैं और जो विषय उसमें उद्‌भूत किया है, उसमें किसी का भी उत्तर मुझे स्पष्ट रूप से प्राप्त नहीं हुआ है उससे अन्यथा उत्तर दिया गया है. अध्यक्ष महोदय, मैंने तो यह कहा था कि ओ.आर.जी.आई. की कामेन्ट्स के ऊपर टी.आर.आई. ने क्या अभिमत दिया है तो उसका कोई उत्तर नहीं दिया गया. मैने यह पूछा था कि पूर्व के जो प्रतिवेदन भारत सरकार को भेजे गये हैं,मंत्रिपरिषद् का जो निर्णय भेजा गया था, अनुशंसा भेजी गई थी और उसके साथ विधि विभाग का अभिमत भी लगा हुआ था उसमें क्या है. इसका भी कोई उत्तर नहीं दिया

गया है. मैंने (ग) में यह पूछा था कि किन संदर्भ साहित्यों और भारत की जनगणनाओं के आधार पर माझी,मझवार,धीवर,केवट,कहार,भोई,मल्लाह,निषाद इत्यादि में परस्पर पैसे की समानता क्या है और और उनकी परिवार वासिता और वर्गिया नाम क्या हैं इसके संदर्भ में मैने जो संदर्भ साहित्य थे मिस्टर शेरी, मिस्टर क्रिस्ट ,मिस्टर क्रुक, मिस्टर रसल हीरालाल और एन्थ्रोपलाजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के के.एल.सिंह के किताबों का उल्लेख किया था, क्योंकि मैंने प्रतिवेन में इन सबका उल्लेख किया है और वही मेरा विषय था, लेकिन यहां कुछ नहीं किया गया. माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक आग्रह पत्र भेजा है, उसके संदर्भ में मैने पूछा था कि जनसंकल्प 2013 में किसके द्वारा, कब और कैसा आग्रह पत्र भेजा गया है, तो उसका भी कोई उल्लेख नहीं किया गया.

अध्यक्ष महोदय—आप प्रश्न पूछें, आप वरिष्ठ सदस्य हैं.

श्री मोती कश्यप- अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है कि क्या दिनांक 15-1-2013 के प्रतिवेदन 4-8-2008 के प्रतिवेदन के साथ विधि विभाग के द्वारा जो अभिमत 30.5.2008 को दिया गया है और भारत सरकार के रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने जो कामेन्ट भेजी है ...

अध्यक्ष महोदय—इसमें कहां है? किसी दिनांक को, किसी के द्वारा कोई आग्रह पत्र किसी को भेजा गया है. ये बिलकुल वेग है.

श्री मोती कश्यप—वेग नहीं बिलकुल स्पष्ट है कि किसी के द्वारा,आग्रह पत्र तो एक है.

अध्यक्ष महोदय—आप स्पष्ट कर देते कि क्या इसके द्वारा भेजा गया, आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं मैं आपको कुछ बतलाना नहीं चाहता.

श्री मोती कश्यप—माननीय अध्यक्ष महोदय, आग्रह पत्र बिलकुल स्पष्ट है. इन्होने जून के महीने में..

डॉ.नरोत्तम मिश्रा—अध्यक्ष जी, प्रश्न को देखने के बाद एक लोकोक्ति मुझे याद आ रही है कि – " कह देना उनसे कि जिनके हैं हम. और खो गये हैं वे जिनके हैं ये."

अध्यक्ष महोदय—किसी नहीं, स्पेसिफिक होना चाहिए.

श्री मोती कश्यप—जो आग्रह पत्र भेजा गया है वह किसे द्वारा भेजा गया है. अब प्रश्न केवल इतना उदभुत होता है कि आप मेरे से प्रश्न पूछने के लिए कहते हैं तो मैंने प्रश्न किया है और यदि मैं उसी में अपना

उत्तर दे दूंगा तो फिर माननीय मंत्री जी के उत्तर का प्रश्न ही नहीं उठता. तो आखिर पत्र किसने भेजा, कब भेजा किसको भेजा?.

अध्यक्ष महोदय—आपको तो मालुम है किसने भेजा.

श्री मोती कश्यप—मेरे को तो पता है लेकिन मैं फ्लोर में लाना चाहता हूं. तो एक तो यह था कि इसका उत्तर दें.

अध्यक्ष महोदय—आप हां या ना में पूछ लें कि क्या यह आग्रह पत्र भेजा गया था. हालांकि वह इससे उद्भुत नहीं हो रहा है.

अध्यक्ष महोदय—आप हां या ना में पूछ लीजिए न कि क्या यह आग्रह पत्र भेजा गया था, हालांकि उद्भूत नहीं हो रहा है.

श्री मोती कश्यप—अध्यक्ष महोदय, मैंने कुछ प्रतिवेदनों का भी उल्लेख किया है और मंत्रिमंडल के निर्णय का भी उल्लेख किया है.

वनमंत्री (डॉ.गौरीशंकर शेजवार)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न में तो प्रबोधन होना चाहिए. मैं बस इतना ही कह सकता हूं.

श्री ज्ञान सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता स्वाभाविक है. मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत् कराना चाहूंगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो दृष्टिपत्र है, उसमें मांझी समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल किए जाने का प्रस्ताव है. मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि इस मुद्दे पर हमारे मध्य प्रदेश शासन की ओर से समय समय पर भारत सरकार से प्रयास करने के साथ साथ आगृह भी किया गया. प्रस्ताव भेजे भी गए. मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि मैं आपकी चिंता से चिंतित होकर माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशानुरूप मई 2014 को मैंने स्वंय अपने तीन अधिकारियों की विभागीय टीम को लेकर भारत सरकार के माननीय मंत्रीजी से मुलाकात की थी और उनसे विशेष आगृह किया कि मध्यप्रदेश की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए और सामाजिक दशा को देखते हुए इनको अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाय.

श्री मोती कश्यप—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने जो उत्तर दिया और कहा कि जनजाति मंत्री, भारत सरकार से आगृह किया है, लेकिन यहां पर मूल प्रश्न यह उद्भूत होता है कि इसी प्रश्न के उत्तर में आपने यह कहा है कि 25.6.2013 को टी.आर.आई. ने आदिम जाति अनुसंधान ने यह कह दिया कि पुष्टि नहीं होती और उसके बाद भी आगृह पत्र गया है और माननीय मंत्रीजी भारत सरकार के पास गए हैं, तो प्रश्न यह है कि रजिस्ट्रार जनरल आफ इंडिया ने जो कमेन्ट्स भेजी हैं, उसमें यह कहा गया है कि आदिम जाति अनुसंधान संस्थान ने विपरीत अभिमत दिया है तो मूल प्रश्न यह है कि विपरीत अभिमत को अनुकूल बनना चाहिए और इसीलिए सितंबर 2013 में मैंने इसकी पूरी स्टडी करके जानकारी माननीय मुख्यमंत्रीजी को दी थी, जिसके आधार पर मैंने यह प्रश्न किया है. उसके अनुकूल आपका अभिमत तो जाय.

आगृह पत्र जाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि भारत सरकार पहले टी.आर.आई. से अपना ओपीनियन मांगती है तो जब तक टी.आर.आई. को हम अनुकूल अभिमत नहीं भेजेंगे और ऊपर से टी.आर.आई. यह लिखकर देगी कि यह पुष्टि नहीं होती, इसीलिए मैंने यह प्रश्न किया था कि किन संदर्भ साहित्यों में और भारत की किन जन -गणनाओं में..

अध्यक्ष महोदय—सीधा प्रश्न पूछ लें कि क्या अनुकूल अभिमत देंगे?

श्री मोती कश्यप—अध्यक्ष महोदय, सीधी सी बात यह है कि किन जनगणनाओं में किन संदर्भ साहित्यों में मांझी, मझवार, जीवर, केवट, कहार को परस्पर पर्यायवाची माना है, दोनों के पेशे एक माने हैं और मेरे प्रतिवेदन के आधार पर ओ.आर.जी.आई. के लिए अभिमत बनाएंगे क्या?

श्री ज्ञान सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की भावना से सहमत होते हुए जैसा माननीय सदस्य जानकारी दे रहे हैं, इस तरह के अभिमत, इस तरह के पेपर हमारे विभाग को प्राप्त नहीं हुए हैं. मैं आगृह करूंगा आपके माध्यम से कि माननीय सदस्य के पास वह भारत सरकार के जिन दस्तावेजों का जिक्र कर रहे थे, वह हमें उपलब्ध करा दें, उनके साथ हमारा विभाग फिर प्रयास करेगा कि उनकी मंशा के अनुरूप पूर्ति हो सके.

अध्यक्ष महोदय—आप दस्तावेज उपलब्ध करा दें और उसके बाद आगे बढ़ें. आपकी बात हो गई है, वह कह रहे हैं कि पूरा सहयोग करें. उनको जानकारी उपलब्ध करा दें.

प्रश्न संख्या(4)--

विभाग द्वारा झारड़ा तह. महिदपुर में निर्मित भवन

4. (*क्र. 837) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, झारड़ा विधान सभा क्षेत्र महिदपुर का भवन कब स्वीकृत हुआ? इसकी लागत कार्यादेश क्रमांक एवं कार्य पूर्ण होने की अवधि का उल्लेख करें? (ख) इसके टेण्डर दिनांक एवं टेण्डर प्रक्रिया में शामिल सभी फर्मों की प्रस्तुत दर की जानकारी एवं स्वीकृत फर्म की दर की जानकारी उपलब्ध करायें? (ग) उपरोक्त कार्य में विलम्ब होने के दोषी ठेकेदार एवं संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों पर कार्यवाही कब तक की जावेगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्रा) : (क) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र झारड़ा का भवन शासन के पत्र क्रमांक एफ 16-4/2008/सत्रह/मेडि-3, भोपाल दिनांक 15-9-2008 को राशि रुपये 211.97 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई. इसकी लागत राशि रुपये 197.12 लाख, कार्यादेश क्रमांक 5/भवन/एन.आई.टी.-16/2011-12/1715, दिनांक 20-10-2011 एवं कार्य पूर्ण करने की अवधि 18 माह है. (ख) निविदा दिनांक 12-7-2011 को आमंत्रित एवं दिनांक 9-8-2011 को खोली गई एवं शेष जानकारी †संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (ग) वर्तमान में कार्य प्रगतिरत् होकर फिनिशिंग स्तर पर है, जिसके पूर्ण होने के उपरान्त अनुबंध की शर्तों के अन्तर्गत गुणदोष के आधार पर कार्य में हुये विलम्ब का परीक्षण कर आवश्यकतानुसार कार्यवाही की जावेगी.

श्री बहादुरसिंह चौहान— माननीय अध्यक्ष जी, मैंने महिदपुर तहसील के कसबा झारड़ा में सामुदायिक भवन के निर्माण को लेकर प्रश्न लगाया है . भवन की लागत 211.97 लाख है और ठेकदार को विभाग की ओर से वर्क आर्डर 20.10.2012 को दिया गया है और यह उत्तर में कहा गया है कि यह बिल्डिंग ठेकेदार को और विभाग को मिलकर 18 माह में पूर्ण करना थी उसमें ठेकेदार द्वारा 197.12 लाख रुपये निकाल लिये गये हैं और मात्र विभाग के पास 14.85 लाख रुपये शेष बचे हैं और आज भी बिल्डिंग का कार्य 30 प्रतिशत से अधिक बचा हुआ है. उत्तर में यह कहा गया है कि सिर्फ फिनिशंग कार्या बाकी है और कार्य उपरांत परीक्षण करके विभाग के अधिकारियों पर या ठेकेदार पर कार्यवाही करेंगे. जिस बिल्डिंग का कार्य 30 प्रतिशत से अधिक बचा है. 2 करोड़ से अधिक ल्ला लागत की बिल्डिंग है . अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से सीधा सीधा प्रश्न है कि कार्य से अधिक भुगतान कर देने के कारण जो भी उत्तरदायी अधिकारी है, क्या माननीय मंत्री जी उनके खिलाफ कार्यवाही करायेंगे?

डॉ. नरोत्तम मिश्रा—माननीय अध्यक्ष महोदय,सम्मानीय विधायक की पीड़ा स्वाभाविक है. यह 15.9.2009 में राज्य सरकार की ओर से उस पर रोक लगायी गयी थी और 5.8.2011 को रोक हटा दी गयी है जो 30 प्रतिशत कार्य फिनिशंग टचिंग का बताया है,ऐसा नहीं है. उसमें दरवाजे फिटिंग, वॉटर सप्लाई, सेनेटरी फिटिंग ऐसा काम है जो 20 प्रतिशत के लगभग अभी बकाया है और मैं सम्मानित सदस्य को आश्वस्त करता हूँ कि 2 से 3 महीने के अन्दर हम उस बिल्डिंग को कम्प्लीट कर करके जनता को समर्पित कर देंगे.

श्री बहादुर सिंह चौहान—माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें प्रश्न उद्‌भूत नहीं होता लेकिन मैं आपका संरक्षण चाहते हुए माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि इसकी ड्राइंग बदल दी गयी है. माननीय अध्यक्ष जी, इसमें केवल इतना उत्तर दिलवा दें कि इस बिल्डिंग की जो ड्राइंग थी वह एक मंजिल बनाने की थी, विभाग द्वारा डबल मंजिल करके किसी विशेष व्यक्ति की वहां पर जमीन थी

वहां पर कम से कम उसकी 1500 वर्गफीट जमीन जाती थी तो मैं पूछना चाहता हूँ कि किस आधार पर, किस नियम के तहत् बिल्डिंग का वर्क आर्डर होने के बाद ड्राइंग बदल दी गयी है और बिल्डिंग को डबल मंजिल करवाया गया. क्या ऐसे कार्य करने वाले उत्तरदायी अधिकारियों पर माननीय मंत्री जी कार्यवाही करेंगे?

डॉ.नरोत्तम मिश्रा—माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानीय सदस्य काफी जागरुक सदस्य हैं अगर वह मुझे लिख के देंगे तो मैं पूरी उस पर जानकारी बुलवा लूंगा.

श्री बहादुरसिंह चौहान—धन्यवाद.

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खिलचीपुर, जीरापुर में रिक्त पदों की जानकारी

5. (*क्र. 217) कुंवर हजारीलाल दांगी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खिलचीपुर, जीरापुर, माचलपुर, छापीहेड़ा में कितने पुरुष चिकित्सक एवं महिला चिकित्सकों के पद स्वीकृत हैं तथा स्टाफ नर्स एवं वार्डबाय के कितने पद रिक्त हैं? (ख) उक्त पदों में से कितने पद कितने समय से रिक्त हैं? यदि रिक्त हैं तो अभी तक क्यों नहीं भरे गये हैं? (ग) रिक्त पद कब तक भरे जावेंगे? समय-सीमा बतावें? (घ) सामुदायिक स्वा. केन्द्र, खिलचीपुर में रिक्त 2 स्टाफ नर्स एवं 2 वार्डबाय के पदों की पूर्ति कब तक की जावेगी? समय-सीमा बतावें?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्रा) : (क) विभाग में महिला एवं पुरुष चिकित्सा अधिकारी के नाम से पद स्वीकृत नहीं हैं. शेष प्रश्न भाग की जानकारी †संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (ख) प्रश्नांश की जानकारी †संलग्न परिशिष्ट में वर्णित है. प्रदेश में विशेषज्ञों की अत्याधिक कमी है अत: विशेषज्ञों के शत्प्रतिशत् रिक्त पदों की पूर्ति किए जाने में कठिनाई है. पदोन्नति की प्रक्रिया निरंतर जारी है. चिकित्सकों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विभाग निरंतर प्रयासरत् है, गत वर्ष लोक सेवा आयोग से चयन उपरान्त 825 चिकित्सकों की नियुक्ति प्रदेश के विभिन्न संस्थाओं में की गई है. हाल ही में म. प्र. लोक सेवा आयोग के माध्यम से पदपूर्ति हेतु 1271 पदों का विज्ञापन जारी किया जा चुका है. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत चिकित्सकों की वॉक इन इन्टरव्यू के माध्यम से भी नियुक्ति की कार्यवाही सतत् जारी है. नर्सिंग संवर्ग के पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही निरंतर जारी है. (ग) रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निश्चित समय-सीमा बतायी जाना संभव नहीं है. (घ) स्टाफ नर्स की नियुक्ति की कार्यवाही निरंतर जारी है, प्रश्नांकित संस्थाओं में वार्ड-बॉय का कोई पद रिक्त नहीं है. निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है.

कुंवर हजारीलाल दांगी—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने प्रश्न में पूछा था कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खिलचीपुर, जीरापुर में डाक्टर के कितने पद स्वीकृत है, कितने कार्यरत हैं और रिक्त हैं तो कब से रिक्त हैं. जवाब में परिशिष्ट में दिया है कि यहां पर कोई पद स्वीकृत नहीं है जबकि इसमें आगे लिखा है कि परिशिष्ट अनुसार, तो परिशिष्ट में लिखा है कि चिकित्सा अधिकारी के दो पद स्वीकृत, स्त्री रोग विशेषज्ञ का एक पद स्वीकृत, सर्जरी विशेषज्ञ का एक पद स्वीकृत, मेडीकल विशेषज्ञ का एक पद स्वीकृत है और अप्रेल 2011 से रिक्त हैं जबकि इसमें सारे पद रिक्त हैं तो वह अस्पताल कैसे चल रहा होगा? सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खिलचीपुर, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जीरापुर में भी 3 पद रिक्त हैं.

2011 से अभी तक रिक्त हैं इतने बड़े अस्पताल में अभी तक कोई डाक्टर नहीं है . बगल से,भोजपुर से एक डाक्टर को अटैच करके उसको चला रहे हैं तो भोजपुर खाली है. मेरा निवेदन है कि जब पद स्वीकृत हैं तो कब तक भर दिये जायेंगे?

डॉ. नरोत्तम मिश्रा—माननीय अध्यक्ष महोदय, भरे जाने के बारे में अधिकांश सवाल है तो मैं समझता हूँ कि सभी के बारे में मेरा समान उत्तर रहेगा कि अभी हमने 825 चिकित्सक नियुक्त किये हैं. 1274 की हमारी वेकेन्सी निकली है और इनमें जो भी हमारे पास में अगले महीने में डाक्टर आ जाएंगे, हम लगातार भरते चले जाएंगे और जिनके प्रश्न आये हैं उनको हम प्राथमिकता देंगे.

कुंवर हजारीलाल दांगी—माननीय अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन है कि जो पूरे पद रिक्त हैं,अस्पताल की इतनी दुर्दशा है तो कम से कम तत्काल ऐसी कोई व्यवस्था कर दें, एक दो की व्यवस्था हो जाए तो कम से कम वे अस्पताल सुचारु रुप से चलने दो लगें.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा—माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे पद रिक्त नहीं हैं, यह कहना ठीक नहीं है. आप स्वयं भी उस चार्ट को देख लें.

कुंवर हजारीलाल दांगी—खिलचीपुर में पूरे पद रिक्त हैं.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा—अध्यक्ष महोदय, मैं पढ़ के सुना देता हूँ, आप भी देख लें. जो रिक्त पद हैं और स्वीकृत पद हैं उनमें अभी वहां पर चिकित्सा अधिकारी पदस्थ हैं. वर्तमान में दो पद स्वीकृत हैं उसमें से एक चिकित्सा अधिकारी वहाँ अभी वर्तमान में पदस्थ हैं जो इस खिलचीपुर के अस्पताल को चला रहे हैं इसके बावजूद भी सम्मानित सदस्य मुझसे व्यक्तिगत मिले थे और अपनी पीड़ा बताई थी. उनकी पीड़ा जायज है. निश्चित रूप से हम तात्कालिक रूप से कोई ना कोई अन्य व्यवस्था वहाँ कर देते हैं.

श्री गोपाल भार्गव--- अध्यक्ष महोदय, आप निर्देश दे दें यहाँ पर बहुत से एमबीबीएस लोग बैठे हैं और मंत्री बन गये हैं. अब एक डॉक्टर का पद तो वैसे ही चला गया.

श्री बाबूलाल गौर-- गोपाल भार्गव जी आप इनके मित्र हैं कि...

डॉ. नरोत्तम मिश्रा--- विचार करना पड़ेगा कि मित्र हैं कि शत्रु हैं.

श्री गोपाल भार्गव--- अध्यक्ष महोदय, यह भी संविदा का पद है और वह भी संविदा का पद होगा. न यह स्थाई है न वह स्थाई है.

अध्यक्ष महोदय--- यह क्वेश्चन डिस्एलाउ़ है.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा--- अध्यक्ष महोदय, आप डिस्एलाउड कर सकते हैं पर गोपाल भार्गव जी के इस तरह के जो बयान आते हैं उन पर मेरी आपत्ति तो है अब क्या है जैसे डॉ. साहब के बारे में कह दिया.(XX)

अध्यक्ष महोदय--- यह विलोपित कर दें, पूरा विलोपित कर दें.

(xx) आदेशानुसार विलोपित.

अशासकीय विद्यालयों की अनियमितता

6. (*क्र. 72) श्री यशपालसिंह सिसौदिया : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रतलाम, मन्दसौर, नीमच जिले में अनिवार्य शिक्षा अधिनियम का पालन न करने की कितनी शिकायत विभाग के पास लम्बित हैं? प्रकरणों में कार्यवाही की अद्यतन स्थिति भी बताएं? (ख) गत 1 जुलाई, 2012 से उक्त जिलों के कितने विद्यालयों ने अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के तहत कितने बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा प्राप्त कराई और प्रवेश दिया?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारसचंद्र जैन) : (क) जी नहीं. शेष प्रश्नांश, प्रश्न उपस्थित नहीं होता. (ख) जानकारी ††संलग्न परिशिष्ट अनुसार.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया-- माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में बैठे सारे जनप्रतिनिधि , सरकार में सहयोग करने वाले सारे अधिकारी, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की शिक्षा को लेकर , संवेदनशीलता को लेकर काम कर रहे हैं . माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसे जन आंदोलन की संज्ञा दी है. पहली बार मोबाइलों के माध्यम से इस आंदोलन में प्रेरकों को जोड़ा जा रहा है. 0755-257000 नंबर पर डायल करने पर शिक्षा के इस अभियान में सहयोगी साथी प्रेरक बन रहे हैं. माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा का कानून अधिकार के रूप में परिवर्तित हुआ. शासकीय स्कूलों के साथ –साथ निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत का आरक्षण सुनिश्चित किया गया. उन प्राइवेट स्कूलों में फीस की अदायगी सरकार के द्वारा की जाएगी यह भी सुनिश्चित किया गया.

अध्यक्ष महोदय--- आपका प्रश्न क्या है.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया--- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहूंगा. मेरा प्रश्न पूरे प्रदेश से संबंधित है लेकिन इसको मैंने सीमित करते हुए मंदसौर, रतलाम और नीमच जिले के बारे में पूछा था. माननीय अध्यक्ष महोदय, (क) के जवाब में माननीय मंत्री महोदय ने मुझे जवाब दिया है कि प्रवेशार्थियों के पालकों की,अभिभावकों की या बालक की कोई शिकायत 1 जुलाई 2012 से अब तक तीन वर्षों में रतलाम, मंदसौर और नीमच जिले में प्राप्त नहीं हुई है. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बात से सहमत हूं कि प्राप्त नहीं हुई है लेकिन मैं मंत्री जी पूछना भी चाहता हूं और व्यवस्था भी चाहूंगा और आज आपसे मैं आश्वासन भी चाहूंगा कि क्या ऐसी व्यवस्था आपने उन प्राइवेट स्कूलों में सुनिश्चित की है जिसमें इस बात की अभिस्वीकृति उन विद्यार्थियों और पालकों को मिल जाए कि हाँ आपका शासन की इस नीति के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन हुआ है और आपको इस कारण से हम प्रवेश नहीं दे रहे हैं. माननीय अध्यक्ष महोदय, पालक-बालक, अभिभावक भटक रहे हैं. अध्यक्ष महोदय, मेरा सीधा प्रश्न यह है कि मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि पावती को लेकर के सरकार ने क्या व्यवस्था की है, उन निजी स्कूलों में विद्यार्थी जा रहे हैं , पालक जा रहे हैं लेकिन उनको कोई पावती नहीं दी जा रही है जो नतीजे आ रहे हैं, उसके बारे में भी पूरक प्रश्न मैं इसके बाद करूंगा.

अध्यक्ष महोदय-- मंत्री जी, यह जो एप्लीकेशन्स आती हैं उनकी कोई पावती देते हैं.

श्री पारस जैन--- माननीय अध्यक्ष महोदय, पावती देने का प्रावधान है यदि कोई गरीब व्यक्ति वहाँ एडमीशन के लिए जाता है,कक्षा में तो उसको पावती दी जाती है और यदि हमारे सदन के विधायक जी के पास यदि कोई ऐसी जानकारी हो कि पावती नहीं दी गई है, तो हम उसको दिखवा लेंगे. अभी भी हमारा सत्र चल रहा है उसमें एडमीशन करा सकते हैं. उसमें प्रावधान है.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया--- माननीय अध्यक्ष महोदय, पावती का प्रावधान है लेकिन पावती नहीं दी जा रही मेरा यह कहना है.

अध्यक्ष महोदय--- इसकी जानकारी मंत्री जी को आप उपलब्ध करा दीजिये.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया--- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो टालने वाली बात हो गई .

अध्यक्ष महोदय--- टालने वाली बात नहीं है.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया--- अध्यक्ष महोदय, मैं आपके संरक्षण के साथ पूछना चाहता हूं कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर निजी स्कूलों को, जहाँ सरकार मदद कर रही है, वहाँ पावती का सिस्टम आप व्यवस्थित क्यों नहीं करते हैं. पावती मांगने के लिए शिकायत क्यों करना पड़े. पावती क्यों प्राप्त नहीं हो रही है.

अध्यक्ष महोदय--- अभी ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है इसलिए यह काल्पनिक है.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया--- अध्यक्ष महोदय, मैं मेरे जिले का एक उदाहरण दूंगा.

अध्यक्ष महोदय--- मंत्री जी कह रहे हैं कि आप उनको जानकारी उपलब्ध करा दें .

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया --- माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में जब चर्चा हो रही है तो फिर अलग से जानकारी क्यों दूं. बड़ी मुश्किल से प्रश्न आता है. माननीय मंत्री जी मुझे आश्वस्त कर दें कि पावतियों को लेकर के सरकार गंभीर हो जाएगी और स्कूलों में निर्देश जारी कर दिये जाएंगे.

अध्यक्ष महोदय-- पावती के बारे में सरकार गंभीर हो जाएगी.

श्री पारसचन्द्र जैन-- माननीय, सरकार तो गंभीर है लेकिन माननीय यदि उनको पावती नहीं दी गई है तो वे डी ई ओ से भी शिकायत कर सकते हैं. यदि वे डी ई ओ से शिकायत करा देंगे तो हम उस हिसाब से कार्यवाही कर लेंगे.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया-- अध्यक्ष महोदय, सिर्फ एक और प्रश्न पूछना चाहता हूँ. अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि रतलाम जिले में प्रायवेट स्कूल की संख्या 576, मंदसौर जिले में 577, नीमच जिले में 380 है परिशिष्ट चार, इन तीनों जिलों में तीन वर्षों में औसत एक विद्यालय में मात्र 10 से 8 बच्चों को ही प्रवेश मिला है. अध्यक्ष महोदय, प्रति विद्यालय इस शिक्षा के अधिकार के कारण 8 से 10 की संख्या कुल आई है.

अध्यक्ष महोदय-- आप अपनी जानकारी उनको उपलब्ध करा दें.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया-- मैं मंत्री जी को सिर्फ एक जानकारी दे रहा हूँ. ऐसे विद्यालयों में संख्या की कमी को लेकर के मंत्री जी क्या आश्वासन देंगे?

अध्यक्ष महोदय-- आप जानकारी नहीं दें, प्रश्न करें.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया-- अध्यक्ष महोदय, जवाब में संख्या आई है. मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ इतनी गिरावट क्यों है?

अध्यक्ष महोदय-- अब वे कैसे बताएँगे. ओम जी आप बोलिए.

श्री ओमप्रकाश सखलेचा-- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह चर्चा जिला योजना की बैठक में हमने भी यह बात पिछली बार जब राज्य शिक्षा मंत्री वहाँ थे तब चर्चा में आई थी कि कुछ प्रायवेट स्कूल वाले एडमिशन देते ही नहीं हैं. माननीय मंत्री जी, सब वहाँ थे. लेकिन कोई व्यवस्था नहीं हुई है और जब तक यह व्यवस्था नहीं होगी यह निजी स्कूल सामान्य गरीब बच्चों को किसी कीमत पर प्रवेश नहीं देंगे और यह बहुत जरूरी है, शासन की जब नीति है तो हर स्कूल में इसकी अनिवार्यता हो.

अध्यक्ष महोदय-- क्या उचित व्यवस्था करेंगे.

श्री ओमप्रकाश सखलेचा-- अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न पूरा कर लेने दीजिए. किन बच्चों को एडमिशन इस नियम के तहत दिया है उसकी सूची संलग्न कर दें ताकि कल को वे बोगस नाम न हों.

अध्यक्ष महोदय-- यह सुझाव है. प्रश्न नहीं है. आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं यह सुझाव है. आप सीधे पूछिए कि क्या ऐसी व्यवस्था करेंगे.

श्री ओमप्रकाश सखलेचा-- अध्यक्ष महोदय, ऐसी व्यवस्था कर दें कि वहाँ के जनप्रतिनिधि को पता चल जाए कि सामान्यजन के वास्तविक कोटे के गरीब परिवार के बच्चे हैं. ऐसी व्यवस्था करेंगे क्या? अध्यक्ष महोदय, जवाब बहुत अनिवार्य है. हजारों, लाखों बच्चों का सवाल है.

अध्यक्ष महोदय-- क्या ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे.

श्री पारसचन्द्र जैन-- अध्यक्ष महोदय, आप आँकड़े देखेंगे तो परिशिष्ट में आँकड़े भी बताए हैं कि 11124 बच्चों को रतलाम में प्रवेश दिया गया है.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया-- अध्यक्ष महोदय, तीन वर्षों में.

श्री पारसचन्द्र जैन-- और मंदसौर में, आपने पूछा है तो मेरी बात भी सुन लें दादा. 8443 मंदसौर में और नीमच में 7990, जितने आवेदन आए हैं उन सब लोगों को, गरीबी रेखा से नीचे वालों को प्रवेश

दिया गया है. ऐसी और व्यवस्था करेंगे, हम इनकी बात से सहमत हैं कि गरीबों को एडमिशन मिलना चाहिए और सरकार ने व्यवस्था की है हम उसमें और सावधानी करके उसको करेंगे...(व्यवधान)..

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया-- धन्यवाद...(व्यवधान)..

श्री ओमप्रकाश सखलेचा-- अध्यक्ष महोदय, जिन बच्चों को उस कोटे में एडमिशन करके एक महीने बाद निकाल दिया जाता है, और जन प्रतिनिधियों की चिट्ठी के बाद भी, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे क्या?

श्योपुर जिला चिकित्सालय में रिक्त विशेषज्ञों की पूर्ति

7. (*क्र. 790) श्री दुर्गालाल विजय : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या श्योपुर जिला चिकित्सालय में शिशु रोग विशेषज्ञ के पांच पद, सर्जीकल और मेडीसिन विशेषज्ञ के दो-दो पद तथा रेडियोलॉजिस्ट, स्त्री रोग, नेत्र रोग, दन्त व क्षय रोग विशेषज्ञों के एक-एक पद शासन से स्वीकृत तो हैं लेकिन कई वर्षों से रिक्त पड़े हैं? (ख) क्या यह सच है कि उक्त चिकित्सालय में आई.सी.यू. एवं डिजीटल एक्सरे एवं बड़ी सोनोग्राफी मशीन प्रारंभ से ही नहीं है? पुराने मॉडल की बहुत पुरानी एक्सरे मशीन तो उपलब्ध है परन्तु वह बार-बार खराब होती रहती है? इसी तरह की छोटी सोनोग्राफी मशीन से केवल गर्भवती महिलाओं की ही जांच की जाती है? अन्य महिला/पुरुष मरीजों को सोनोग्राफी हेतु अन्यत्र जिलों में ही जाना पड़ता है? (ग) क्या यह भी सच है कि जनवरी, 2012 से वर्तमान तक की अवधि में अस्पताल प्रबंधन को आई.सी.यू. के न होने व सर्जीकल विशेषज्ञ तथा रेडियोलॉजिस्ट के पद रिक्त होने के कारण 286 पंजीकृत मरीजों को एवं 548 पंजीकृत अन्य गंभीर रोग से ग्रसित मरीजों को अन्यत्र रेफर करना पड़ा, इसके अतिरिक्त प्रतिवर्ष सैकड़ों मरीज चिकित्सालय में उपचार/ऑपरेशन सुविधाएं न होने के कारण स्वेच्छा से लेकिन विवश होकर अन्यत्र चले जाते हैं? (घ) क्या अन्यत्र जाने-आने में मरीज/परिजनों को धन व समय की बर्बादी के साथ-साथ कई प्रकार की कठिनाईयों का सामना भी करना पड़ता है? (ङ) यदि हां तो जिले के मरीजों को हो रही कठिनाइयों से निजात दिलाने व उन्हें बेहतर उपचार/ऑपरेशन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु क्या शासन शीघ्र रिक्त पदों पर उक्त विशेषज्ञों की पदस्थी करेगा व सुविधाएं उपलब्ध करायेगा? यदि नहीं तो क्यों?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्रा) : (क) जी नहीं. यह पूर्णतः सत्य नहीं है, शिशुरोग विशेषज्ञ के स्वीकृत 5 पदों के विरुद्ध 4 नियमित शिशुरोग योग्यताधारी चिकित्सक एक आर. सी. एच. चिकित्सक पदस्थ होकर कार्यरत हैं. मेडिकल विशेषज्ञ के 2 पदों के विरुद्ध एक विशेषज्ञ व एक मेडिसिन योग्यता के चिकित्सक कार्यरत हैं. स्त्रीरोग विशेषज्ञ के 2 पद स्वीकृत एवं 1 विशेषज्ञ व एक स्त्रीरोग योग्यता के आर.सी.एच. चिकित्सक कार्यरत हैं दंत रोग विशेषज्ञ के एक पद के विरुद्ध एक नियमित दंत चिकित्सक पदस्थ होकर कार्यरत है. विभाग में विशेषज्ञों की अत्याधिक कमी है, अतः शतप्रतिशत रिक्त पदों की पूर्ति किए जाने में कठिनाई है. उपलब्धता के आधार पर विशेषज्ञ/चिकित्सकों की पदस्थापना की कार्यवाही निरंतर की जा रही है. (ख) जी हां. जी हां, कम्प्यूटराइज्ड रेडियोग्राफी सिस्टम (डिजिटल एक्सरे मशीन) क्रय किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है शीघ्र ही संचालन कर मरीजों को इसका लाभ प्रदान किया जावेगा. जी हां. (ग) जी हां. जी नहीं, प्रश्नांश अवधि में 1003 सिजेरियन ऑपरेशन, 29 हिस्टरेक्टमी एवं 29 आर्थोपेडिक्स कुल 1061 ऑपरेशन जिला चिकित्सालय श्योपुर में किए गए हैं. (घ) जी हां. (ङ) जी हां. शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

श्री दुर्गालाल विजय-- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने प्रश्न के माध्यम से श्योपुर जिला चिकित्सालय में जो कठिनाइयाँ हैं उनको उठाया है. अध्यक्ष महोदय, श्योपुर जिला चिकित्सालय में विशेषज्ञों के बहुत सारे पद सुनिश्चित किए गए हैं सर्जिकल विशेषज्ञ, शिशु रोग विशेषज्ञ, मेडिसिन विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ, क्षय रोग विशेषज्ञ, दन्त रोग विशेषज्ञ, उत्तर आया है कि विभाग में विशेषज्ञों की विशेष कमी है. जो उत्तर आया है उसमें मेरा प्रश्न यह है कि विशेषज्ञों की जो विशेष कमी है

इस कमी की पूर्ति के लिए विभाग की ओर से क्या प्रयास किए जा रहे हैं? और अध्यक्ष महोदय, मेरा यह भी आग्रह है.....

अध्यक्ष महोदय-- आप इसका उत्तर ले लें, आग्रह नहीं करें.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा—माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानित सदस्य की पीड़ा स्वाभाविक है लेकिन अभी वर्तमान में श्योपुर में पांच शिशु रोग विशेषज्ञों के विरुद्ध चार नियमित शिशु रोग विशेषज्ञ के चिकित्सक पदस्थ हैं. आर.सी.एच. चिकित्सक पदस्थ होकर कार्यरत हैं. मेडिकल विशेषज्ञ के 2 पद के विरुद्ध एक मेडिसन योग्यता का चिकित्सक भी कार्यरत है. स्त्री रोग विशेषज्ञ के दो पद स्वीकृत हैं और एक विशेषज्ञ और एक स्त्री रोग योग्यता की आर.सी.एच. चिकित्सक कार्यरत है. दन्त विशेषज्ञ है.

माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक उनका सवाल यह है कि प्रदेश में विशेषज्ञों की बहुत कमी है. निश्चित रुप से प्रदेश में हमारे पास विशेषज्ञों की बहुत बड़ी कमी है. यह भी आपको मालूम होगा कि यह पद पदोन्नति के द्वारा भरे जाते हैं, उन्होंने प्रदेश का पूछा है, वे कहें तो मैं पूरे प्रदेश की जानकारी पढ़कर बता देता हूँ कि कौन-कौन से विशेषज्ञों की कहां-कहां कमी है.

माननीय अध्यक्ष महोदय, चिकित्सा विशेषज्ञ के 444 पद खाली हैं, शल्य चिकित्सा के 365 पद खाली हैं, स्त्री रोग के 427 पद खाली हैं, शिशु रोग विशेषज्ञ के 288 पद खाली हैं, निश्चेतना के 201 पद खाली हैं, नेत्र विशेषज्ञ के 30 पद खाली हैं, अस्थि रोग विशेषज्ञ के 49 पद खाली हैं, रेडियोलॉजिस्ट के 35, पैथालॉजी विशेषज्ञ के 65, नाक-कान-गला के 23.

श्री रामनिवास रावत—माननीय सदस्य श्योपुर के बारे में पूछ रहे हैं आप पूरे मध्यप्रदेश का वर्णन कर रहे हैं.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा—आप ध्यान से सुना करो तो कुछ समझ में आयेगा.

श्री रामनिवास रावत—अकेले श्योपुर की पूर्ति कर दो.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा—माननीय सदस्य ने पूरे प्रदेश में खाली पदों के बारे में ही पूछा है, आप प्रोसीडिंग भी पढ़ लिया करें, कल भी ऐसे ही सवाल कर रहे थे, आप विद्वान हैं.

श्री रामनिवास रावत—प्रश्न पढ़ लो श्योपुर के बारे में पूछा है.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा—माननीय सदस्य प्रश्नोत्तरी के अलावा भी प्रश्न पूछ सकते हैं यह आपको जानकारी दे रहा हूँ.

डॉ. गोविन्द सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी यह जानकारी पिछले आठ वर्षों से दे रहे हैं, विधान सभा में इनके तीन-चार आश्वासन हैं कि मैं रिक्त पदों की पूर्ति शीघ्र करुंगा, क्या इस शीघ्र की कोई समय-सीमा है, 8 वर्ष हो गये हैं.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा—माननीय अध्यक्ष महोदय, समय-सीमा है. हमें डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं यह बात सही है हम लगातार विज्ञप्ति निकाल रहे हैं. जैसा कि अभी मैंने पिछले प्रश्न के जवाब में बताया.

डॉ. गोविन्द सिंह—डॉक्टरों को पूरा वेतन देते नहीं हो, उन्हें संविदा पर रखते हो तो कैसे मिलेंगे ?

अध्यक्ष महोदय—आप कृपया बैठ जायें आपको अनुमति नहीं दी है. मूल प्रश्न दुर्गालाल जी का है आप कृपया बैठ जायें अभी उनका प्रश्न पूरा नहीं हुआ है. दुर्गालाल जी, क्या आप कोई पूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं ?

डॉ. नरोत्तम मिश्रा—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं गोविन्द सिंह जी के प्रश्न का भी जवाब देना चाहूंगा वे मेरे मित्र हैं.

अध्यक्ष महोदय—ठीक है.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा—मैं यह कह रहा था कि हम लगातार भर्ती की प्रक्रिया को...

श्री बाबूलाल गौर—इनके मित्र कौन-कौन हैं यह बता दें.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा—शत्रु कोई नहीं है इतना बता रहा हूँ. भर्ती की प्रक्रिया सतत् जारी है. गोविन्द सिंह जी भी डॉक्टर रहे हैं यह बात अलग है कि उन्होंने डॉक्टरी कभी की नहीं है और पढ़ाई कभी की नहीं है.

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह था कि पिछली बार 800 से 875 के बीच में हमने डॉक्टरों की भर्ती की है. अभी पीएससी के द्वारा लगभग 1275 डॉक्टरों की विज्ञप्ति जारी की है उस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाने के लिये walk in interview के माध्यम से भी कलेक्टरों को अधिकार दिये हैं कि वे

इनकी भर्ती करें. हम लगातार भर्ती कर रहे हैं जहां तक श्योपुर जिले का सवाल है हमने वहां पिछले दो साल में 20 डॉक्टर पदस्थ किये हैं.

श्री दुर्गालाल विजय—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि जो विशेषज्ञों के पद रिक्त हैं उनमें कुछ बहुत आवश्यक हैं जिनकी पूर्ति के लिये माननीय मंत्रीजी और विभाग प्रयत्न करके अगर भेज देंगे तो लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा. एक वर्ष में 2000 से अधिक गंभीर मरीजों बाहर भेजना पड़ा है. एक सवाल और रह गया है.

अध्यक्ष महोदय—आप बैठ जायें आप भाषण दे रहे हैं.

श्री दुर्गालाल विजय—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भाषण नहीं दे रहा हूँ भाषण तो माननीय मंत्रीजी का हुआ श्योपुर के बारे में पूछा था उन्होंने पूरे प्रदेश के बारे में बताया. बहुत ही महत्वपूर्ण बात है श्योपुर भौगोलिक दृष्टि से बहुत ही पिछड़ा जिला है राज्य के एक कोने में स्थित है. हमने एक एक्स-रे मशीन की मांग की थी.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा—माननीय अध्यक्ष महोदय, डिजीटल एक्स-रे स्वीकृत कर दी है.

अध्यक्ष महोदय—आप उत्तर पढ़िये स्वीकृत हो गई है.

श्री दुर्गालाल विजय—माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला चिकित्सालय में आईसीयू के वार्ड के लिये मैंने पूछा है क्या उसकी व्यवस्था करेंगे. मैंने यह भी पूछा है कि वहां अल्ट्रा साउंड मशीन नहीं है लोगों को इसके लिये बाहर जाना पड़ रहा है.

प्रश्न क्रमांक :- 8

वर्ष 2013-14 में एस. सी. एवं एस.टी. वर्ग छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति वितरण में अनियमितता

8. (*क्र. 1488) श्री उमंग सिंघार : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म. प्र. शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 में एस.सी./एस.टी. की छात्रवृत्ति के लिए कितनी राशि का बजट प्रावधान किया गया था? छात्रवृत्ति का वितरण किस माह तक विद्यार्थियों को किया जाना था? निर्धारित माह तक कितनी छात्रवृत्ति का वितरण किया गया, यदि नहीं तो क्यों? (ख) वर्ष 2013-14 में छात्रवृत्ति की कितनी राशि वितरित नहीं की गई? छात्रवृत्रि की कितनी राशि लेप्स हुई एवं अन्य योजना में कितनी राशि पुनर्नियोजित की गई? (ग) समय पर छात्रवृत्ति नहीं बांटने के लिए कौन दोषी है? दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) वित्तीय वर्ष 2013-14 में अनुसूचित जनजाति की छात्रवृत्ति के लिए निम्नानुसार विभागीय बजट प्रावधान किया गया था :—

क्र.	छात्रवृत्ति का प्रकार	2013-14 का बजट प्रावधान (राशि लाखों में)
1	राज्य छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 5	3075.17
2	राज्य छात्रवृत्ति कक्षा 6 से 10	7385.11
3	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	17841.96

राज्य छात्रवृत्ति का वितरण 31 अक्टूबर तथा पोस्ट मैटिक छात्रवृत्ति 31 दिसम्बर तक वितरण करने के निर्देश हैं. आयुक्त, लोक शिक्षण द्वारा सभी छात्रवृत्तियां 31-3-2014 तक वितरण करने का लक्ष्य रखा गया. आयुक्त, लोक शिक्षण द्वारा राज्य छात्रवृत्ति की 45082910 राशि व्यय की गई, वितरण †संलग्न प्रपत्र ''अ'' अनुसार है. आदिवासी विकास विभाग द्वारा क्रियान्वित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति अन्तर्गत 111890 विद्यार्थियों को 10439.09 लाख पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति वितरित की गई.

अनुसूचित जाति

वित्तीय वर्ष 2013-14 में अनुसूचित जाति वर्ग की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के बजट प्रावधान की जानकारी †संलग्न प्रपत्र ''अ'' पर है. अनुसूचित जाति वर्ग की कक्षा 1 से 12 तक की छात्रवृत्ति योजनाएं क्रियान्वयन हेतु स्कूल शिक्षा विभाग को सौंपी गई है. वर्तमान में केवल महाविद्यालयीन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का क्रियान्वयन विभाग द्वारा किया जा रहा है. इस योजना की स्वीकृति एवं वितरण विभिन्न पाठ्यक्रमों के प्रवेश की तिथि पृथक्-पृथक् होने के कारण वित्तीय वर्ष के अंतर्गत किया जाता है. वर्ष 2013-14 में महाविद्यालयीन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 117319 विद्यार्थियों को राशि रु. 15148.00 लाख वितरण किया गया. आयुक्त, लोक शिक्षण द्वारा दी गई जानकारी अनुसार छात्रवृत्ति का वितरण दिनांक 31-3-2014 तक किया जाना था. दिनांक 31-3-2014 तक वितरित छात्रवृत्ति का वितरण †संलग्न प्रपत्र ''अ-1'' अनुसार है. समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन अंतर्गत वृहद स्वरूप की छात्रवृत्ति योजना का प्रथमवार ऑनलाईन क्रियान्वयन किया जा रहा है.

(ख) **अनुसूचित जनजाति**

राज्य छात्रवृत्ति के बजट प्रावधान की समर्पित राशि वितरित नहीं की गई. †संलग्न प्रपत्र ''अ'' अनुसार. आदिवासी विकास विभाग द्वारा क्रियान्वित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की स्वीकृति.अनुसार वितरित की गई. पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति राशि लेप्स नहीं हुई है और न ही अन्य योजनाओं में पुनर्विनियोजन किया गया.

अनुसूचित जाति

अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा क्रियान्वित महाविद्यालयीन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में पात्रता अनुसार छात्रवृत्ति जिलों में प्राप्त आवेदनों के आधर पर स्वीकृत कर यथासमय वितरित की गई है. अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा क्रियान्वित महाविद्यालयीन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की कोई राशि लेप्स नहीं हुई है और न ही पुनर्विनियोजित हुई है. आयुक्त, लोक शिक्षण द्वारा दी गई जानकारी अनुसार †संलग्न प्रपत्र ''अ-1' में उल्लेखित राशि समर्पित की गई है. कोई राशि लेप्स नहीं हुई है. वर्ष 2013-14 की शेष राशि का वितरण 1 मई, 2014 द्वारा पुन: प्रारम्भ किया जा चुका है. राशियों का पुनर्विनियोजन नहीं कराया गया है. (ग) आयुक्त, लोक शिक्षण द्वारा दी गई जानकारी अनुसार वर्ष 2013-14 की शेष छात्रवृत्ति का वितरण 1 मई, 2014 से प्रारम्भ किया जा चुका है. कोई दोषी नहीं है. वित्तीय सत्र 2013-14 में समग्र छात्रवृत्ति प्रक्रिया अन्तर्गत स्वीकृति अनुसार वितरण किया गया है. अत: कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है.

श्री उमंग सिंगार:-अध्यक्ष महोदय इस प्रदेश की सरकार एस सी एस टी वर्ग के प्रति कितनी असंवेदनशील है। उस बारे में मेरा प्रदेश है। यह एक नीतिगत मामला है। अध्यक्ष महोदय, मैं दो लाईन में बताना चाहूंगा कि पहली से लेकर दसवीं तक करीब डेढ़ करोड़ छात्र- छात्रा, राज्य छात्र वृत्ति से स्कालरशिप लेते हैं। गांव, जंगल से आते हैं और स्कालरशिप में पांच सौ- हजार रूपये जो उनको मिलते हैं लेकिन इस सरकार के नीतिगत निर्णय के कारण वे नहीं ले पाते हैं। अध्यक्ष महोदय, 2013-14 में 104 करोड़

का बजट एस टी के लिये, उसमें से साढ़े चार सौ करोड़ रूपये खर्च हुए और 100 करोड़ रूपये समर्पित कर दिये गये ।

अध्यक्ष महोदय:- आप प्रश्न पूछे।

श्री उमंग सिंगार – इस प्रकार एस सी में 102 करोड़ रूपये का बजट था, 16 करोड़ रूपये खर्च किये और 86 करोड़ रूपये समर्पित कर दिये । यह बोलते हैं कि हमने समर्पित नहीं किये। ।

अध्यक्ष महोदय:- आपने यह पूछा था कि पुनर्विनियोजन नहीं किया यह पूछा था। आपने समर्पित करने का नहीं पूछा था। इन्होंने पूछा कि आपने पुनर्विनियोजन नहीं किया, पहले आप पिन पाईंट प्रश्न पूछ लीजिये ।

श्री उमंग सिंगार:- अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि अनुसूचित जाति जनजाति विभाग से स्कूल छात्र वृद्वि का जो पैसा था, वह शासन ने किस मंशा से स्कूल शिक्षा विभाग को दिया , क्या नीति बनायी।

अध्यक्ष महोदय:- आप पिन पाईंट प्रश्न पूछिये। आपके प्रश्न का बड़े विस्तार से उत्तर है। मंशा और नीति की बात आप प्रश्न काल में कैसे पूछेंगे।

श्री उमंग सिंगार:-अच्छा में इस बात को वापस लेता हूं कि क्या कारण रहा कि स्कूल शिक्षा विभाग को पैसा दिया गया और इसका समय पर वितरण नहीं हुआ और क्या कारण है कि इसको पास लेना पड़ा।

श्री ज्ञान सिंह :- अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूंगा कि हमारी सरकार और विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा संकल्प पत्र के माध्यम से देश के इतिहास में पहली बार मध्यप्रदेश एक ऐसा राज्य है, जहां नौ विभागों की छात्रवृत्तियों को एक सिस्टम के माध्यम से वितरित करने की विभाग की योजना है, जैसा कि माननीय सदस्य ने शंका जतायी है , कोई राशि सरेंडर नहीं हुई है। हमारे छात्रों और छात्राओं के खाते में छात्रवृत्ति जाने की प्रक्रिया जारी हे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को करना चाहूंगा कि एक करोड़ चौरासी लाख छात्र छात्र छात्राओं को शासन की छात्रवृति पहुंचाने का जिम्मा विभाग को है।

श्री उमंग सिंगार:- अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न क्या था जवाब क्या दे रहे हैं।

श्री ज्ञान सिंह :- मैं आपके प्रश्न पर ही आ रहा हूँ। आपने जो शंका व्यक्त की है कि राशि कहां गयी, राशि कहीं नहीं गयी है। सतत् प्रक्रिया में है, आपने देरी की बात तो पूछ नहीं। उस पर भी आपको अवगत कराना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय – उन्होंने पूछा था कि देर होने का क्या कारण है ?

श्री ज्ञान सिंह – विलंब के कारण प्रथम बार बच्चों के चिन्हांकन एवं छात्रवार जानकारी के एकत्रीकरण दूसरा शहरी क्षेत्रों में सर्वे का डाटा अपूर्ण होना लगभग 50 प्रतिशत बच्चों के पास ही स्थाई जाति प्रमाणपत्र उपलब्ध, हितग्राहियों के बैंक खाते उपलब्ध न होना, कोषालयों द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में राशि अंतरण में समस्या.

श्री मुकेश नायक- आप स्वीकार कर रहे हैं कि आपने समय पर जाति प्रमाणपत्र बनाए ही नहीं.

अध्यक्ष महोदय – आप बैठ जाएं. अभी उनका प्रश्न होने दें. श्री उमंग सिंघार जी अपना प्रश्न करें.

श्री मुकेश नायक - ये बताएं कि 186 करोड़ रुपये लेप्स हुए कि नहीं . आपने बांटे या नहीं बांटे. कितना विलंब हुआ.

अध्यक्ष महोदय – प्रक्रिया जारी है. आप बैठ जाएं कृपया.

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) - अध्यक्ष महोदय, राज्य के समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत

श्री रामनिवास रावत – आप जवाब दे रहे हो.

श्री गोपाल भार्गव – मैं दे रहा हूं.

अध्यक्ष महोदय – मंत्रिमण्डलकी सामूहिक जिम्मेदारी है.

श्री मुकेश नायक –अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से उत्तर कौन देगा

एक माननीय सदस्य – तो फिर मुकेश नायक जी किस आधार पर खड़े हुए हैं.

(.व्यवधान..)

अध्यक्ष महोदय – आप लोग बैठ जाएं कृपया.

श्री मुकेश नायक – मैं इसलिये खड़ा हुआ हूं, इनका विभाग नहीं है ये उस विभाग के मंत्री नहीं हैं.

श्री गोपाल भार्गव – यह दो विभागों का थोड़ा बहुत मिलता जुलता है. अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं. राज्य में छात्रवृत्ति के वितरण का कार्यक्रम छात्रों के अकाउंट में..

अध्यक्ष महोदय – आप उनको प्रश्न पूछने दें.

श्री गोपाल भार्गव – मैं बता तो रहा हूं. सिंघार जी आप बैठ जाएं मैं बता तो रहा हूं. अध्यक्ष महोदय, राज्य में ट्रिपल एस के माध्यम से समग्र सामाजिक सुरक्षा जो हमारा कार्यक्रम है..

श्री रामनिवास रावत – यह 2013-14 के बारे में है. हम पूरी पालिसी की जानकारी नहीं चाह रहे. प्रश्नकाल है, समय कम है.

श्री गोपाल भार्गव – उसी में जैसे-जैसे फीडिंग होती जा रही है छात्रों को छात्रवृत्ति दे रहे हैं.

अध्यक्ष महोदय – इस बात को उन्होंने कहा है. माननीय मंत्री जी कृपया बैठ जाएं.

श्री गोपाल भार्गव – कोई राशि लेप्स नहीं हुई है.

अध्यक्ष महोदय – वह कह दिया उन्होंने उनको दूसरा प्रश्न पूछने दीजिये.

श्री उमंग सिंघार – बच्चों के अकाउंट में इस वित्तीय वर्ष में राशि नहीं पहुंची है. इसकी जानकारी चाहिये.

अध्यक्ष महोदय – इसका उत्तर उन्होंने दे दिया है कि लेप्स नहीं हुई है और प्रक्रिया चालू है. वह माननीय मंत्री जी बोल चुके. अब आप कृपया दूसरा प्रश्न पूछें.

डॉ.गोविन्द सिंह – जुलाई-अगस्त में मिलना थी वह जब कालेज में पहुंच जाएंगे तब मिलेगी.

अध्यक्ष महोदय – जिनका मूल प्रश्न है उनको तो पूछने दें.

श्री गोपाल भार्गव – डॉ. साहब जैसे ही फीडिंग हो जाएगी उसके अकाउंट में राशि पहुंच जाएगी.

श्री मुकेश नायक – इसमें फीडिंग होनी चाहिये . हर वर्ष स्कालरशिप मिलना चाहिये ना.

अध्यक्ष महोदय – आप कृपया बैठ जाएं. उनको तो पूछने दें जिनका मूल प्रश्न है.

श्री मुकेश नायक – हम आपकी बात से सहमत हैं. लेकिन समय से फीडिंग होना चाहिये.

अध्यक्ष महोदय – माननीय सदस्य अपना पूरक प्रश्न पूछें.

श्री उमांग सिंघार – मैं 2013-14 के बजट की बात कर रहा हूं. पहले भी विभाग देता आया अपने विभाग से तब तो प्रमाणपत्र की कोई आवश्यक्ता नहीं थी. समय पर स्कूल में पहुंच जाती थी. अक्टूबर-नवम्बर में सबको स्कालरशिप मिल जाती थी. क्या कारण रहा है कि पूरा बजट इनको स्कूल शिक्षा विभाग को देना पड़ा और क्या विभाग की जवाबदारी नहीं है विभाग के अधिकारियों की जवाबदारी नहीं है कि उसकी मानीटरिंग करें कि वास्तव में प्रदेश के बच्चों को पैसा मिला कि नहीं. पैसा समर्पित तो कर दिया. सरेंडर कर दिया कुछ नहीं हुआ.

अध्यक्ष महोदय – क्या मानीटरिंग करेंगे ?

श्री ज्ञान सिंह - अध्यक्ष महोदय, लगातार समीक्षा की जा रही है. कोई राशि लेप्स नहीं हुई है मैं माननीय सदस्य के मन में जो शंका है उसका समाधान करना चाहूंगा. 31 अगस्त तक पूरी छात्रवृत्ति की राशि वितरित की जा चुकी है.

श्री उमांग सिंघार – मंत्री जी का यह कहना है कि राशि लेप्स नहीं हुई है तो 2013-14 के बजट में पुन: प्रावधान किया जाएगा.

अध्यक्ष महोदय – छात्रवृत्ति की राशि वितरित की जा चुकी है.

श्री उमांग सिंघार- नहीं हुई.

अध्यक्ष महोदय – तो आप उनको बतला दीजिये.

श्री उमांग सिंघार – यह उनने खुद जवाब दिया है.

श्रीमती ललिता यादव - अध्यक्ष महोदय, अगला प्रश्न भी है.

श्री उमांग सिंघार- मेरा यह कहना है अध्यक्ष महोदय.

अध्यक्ष महोदय—आप पिन प्वाईंट पूछ लीजिये मैंने किसी को अनुमति नहीं दी.

श्री मुकेश नायक—अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी प्रश्न का जवाब ही ठीक से नहीं दे पा रहे हैं. एक मंत्री जी कह रहे हैं कि जाति प्रमाण-पत्र नहीं बने हैं. दूसरे कह रहे हैं कि राशि वितरण कर दी गई है.

अध्यक्ष महोदय—आपका प्रश्न बड़ा ही विस्तृत है उसका बिल्कुल सूक्ष्म उत्तर नहीं दिया जा सकता है.

श्री गोपाल भार्गव—अध्यक्ष महोदय, एक लाईन का उत्तर है.

श्री उमंग सिंघार—अध्यक्ष महोदय,100 करोड़ रूपये लेप्स हुए हैं एसटी में.

अध्यक्ष महोदय—मंत्री जी कह रहे हैं कि नहीं हुए हैं. वह कह रहे हैं कि उसकी प्रक्रिया जारी है.

(व्यवधान)

श्री उमंग सिंघार—अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी बतायें कि आप 2013-14 के पैसे छात्र-छात्रों को देंगे क्या ? यह नीति का मामला है.

अध्यक्ष महोदय—आपका प्रश्न बड़ा विस्तार का है.

(व्यवधान)

श्री उमंग सिंघार—अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब ही नहीं आया है.

अध्यक्ष महोदय—आपके यहां के सदस्यगण बोलने के लिये खड़े हो जाते हैं मंत्री जी को प्रश्न का उत्तर ही देने नहीं देते.

अध्यक्ष महोदय—आपके सदस्यों को तो चुप कराये.

डॉ.नरोत्तम मिश्रा—अध्यक्ष महोदय, छात्र-छात्राओं का एक भी पैसा लेप्स नहीं हुआ है.

श्री उमंग सिंघार—अध्यक्ष महोदय, यह कह रहे हैं एक भी पैसा लेप्स नहीं हुआ है, लेकिन आज भी छात्र-छात्राएं पैसे के लिये घूम रहे हैं. आप इनको बजट में प्रावधान करके पैसा देंगे. इतना जवाब दिलवा दीजिये हां और ना में. क्या वर्ष 2013-14 की राशि वितरित कर देंगे क्या.

अध्यक्ष महोदय—माननीय मंत्री जी राशि वितरित की जानी है जो राशि वितरण में छात्र-छात्राओं की रह गई है आप उनको नहीं दे पाये क्या वर्ष 2013-14 की राशि को वितरण करने की व्यवस्था करेंगे.

श्री ज्ञान सिंह—अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है.

श्री गोपाल भार्गव—अध्यक्ष महोदय, एक लाईन का उत्तर है कि इसमें एक रूपया भी लेप्स नहीं हुआ है.

श्री रामनिवास रावत—पैसा लेप्स नहीं हुआ है तो पैसे को सरेन्डर कैसे कर दिया.

श्री उमंग सिंघार—अध्यक्ष महोदय, पैसे को सरेन्डर किया गया है.

श्री गोपाल भार्गव—अध्यक्ष महोदय, इसमें कहां लिखा है कि उन छात्रों को राशि नहीं दी जायेगी. मेरी पूरी जिम्मेदारी के साथ विधान सभा में कहा रहा हूं कि उन छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति से वंचित नहीं किया जायेगा.

(व्यवधान)

श्री संजीव उइके—माननीय अध्यक्ष महोदय, डेढ़ करोड़ बच्चों के भविष्य का मामला है.

अध्यक्ष महोदय—आप लोग कृपया बैठ जाएं आप लोगों को उत्तर लेना है कि नहीं लेना है.

डॉ.नरोत्तम मिश्रा—अध्यक्ष महोदय, गोपाल भार्गव जी ने जो कहा है हम सभी लोग उससे सहमत हैं एक भी पैसा लेप्स नहीं होगा सभी छात्रों को छात्रवृत्ति मिल जायेगी.

(व्यवधान)

श्री रामनिवास रावत—वर्ष 2013-14 की राशि की बात हो रही है.

अध्यक्ष महोदय—आपको बोल तो दिया कि राशि मिलेगी.

मरीजों को सिटी स्केन व सोनोग्राफी का लाभ न मिलना

9. (*क्र. 526) श्रीमती ललिता यादव : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर जिला चिकित्सालय में सिटी स्केन और सोनोग्राफी की मशीन कब से मरीजों की सेवा में उपलब्ध है? तिथि सहित बतायें? (ख) छतरपुर जिला चिकित्सालय में सिटी स्केन व सोनोग्राफी मशीन का लाभ अब तक कितने मरीजों को दिया गया? (ग) क्या यह सही है कि सिटी स्केन व सोनोग्राफी मशीन का लाभ मरीजों को नहीं मिल रहा है. चिकित्सक मरीजों से उक्त जांचें प्राईवेट सेन्टरों से कराने के लिये बाध्य करते हैं?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्रा) : (क) जिला चिकित्सालय छतरपुर में सीटी स्केन मशीन दिनांक 24-2-2009 से स्थापित है तथा सोनोग्राफी मशीन दिनांक 17-8-2005 से स्थापित है. (ख) सीटी स्केन से अब तक लाभांवित मरीजों की संख्या 601 तथा सोनोग्राफी से अब तक लाभांवित मरीजों की संख्या 4444 है. (ग) जी नहीं. प्रश्नांश ''ख'' में दर्शाए अनुसार रोगियों को इन जांचों का लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है. गत दो माह से रेडियोलॉजी में एक मात्र पी.जी.एम.ओ. डॉक्टर रामबरन बौद्ध के मेडिकल अवकाश पर होने के कारण मरीजों को लाभ नहीं मिल पा रहा है.

श्रीमती ललिता यादव--माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी रेडियोलाजिस्ट डाक्टर की व्यवस्था करेंगे क्या ?

डा. नरोत्तम मिश्रा--कर दिया है यह आर्डर भिजवा दिया है मैंने आपके पास.

श्रीमती ललिता यादव--माननीय मंत्री जी, धन्यवाद.

(प्रश्नकाल समाप्त)

`नियम 267- क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय--शून्यकाल की सूचनाएं..

नियम 267-क के अधीन लम्बित सूचनाओं में से 25 सूचनाएं नियम 267-क (2) को शिथिल कर आज सदन में लिये जाने की अनुज्ञा मैने प्रदान की है यह सूचनाएं संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेंगी. इन सभी सूचनाओं को उत्तर के लिये संबंधित विभागों को भेजा जाएगा.

मैं समझता हूं सदन इससे सहमत है.

अब में सूचना देने वाले सदस्यों के नाम पुकारूंगा.

क्रं.	सदस्य का
1	श्री सुदर्शन गुप्ता (आर्य)
2	श्री यशपाल सिंह सिसोदिया
3	श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार
4	डॉ. रामकिशोर दोगने
5	श्री आरिफ अकील
6	श्री राजेन्द्र फूलचन्द वर्मा
7	श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा
8	श्री रामनिवास रावत
9	डॉ. गोविंद सिंह
10	श्री दुर्गालाल विजय
11	श्री ठाकुरदास नागवंशी
12	श्री गिरीश गौतम
13	श्री कमलेश्वर पटेल
14	श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर
15	श्री नारायण सिंह पँवार
16	श्री दिव्यराज सिंह
17	श्री जितू पटवारी
18	श्री प्रताप सिंह
19	श्री बेलसिंह भूरिया
20	पंडित रमाकांत तिवारी
21	श्री (इंजी.) प्रदीप लारिया
22	श्री लखन पटेल
23	श्री हर्ष यादव
24	श्री मोती कश्यप
25	श्री दीवान सिंह विट्ठल पटेल

(व्यवधान)

श्री उमंग सिंघार--अध्यक्ष महोदय (XX)

अध्यक्ष महोदय--आप बैठें. यह रिकार्ड में बिल्कुल नहीं आयेगा, यह कार्यवाही से निकाल दिया जाये. मेरी बिना अनुमति के जो भी बोलेगा, उसका बिल्कुल भी नहीं लिखा जायेगा, रिकार्ड में बिल्कुल नहीं आयेगा. (व्यवधान)

श्री उमंग सिंघार-(XX)

श्री सुंदर लाल तिवारी---(XX)

अध्यक्ष महोदय--कृपया बैठ जायें इसकी अनुमति नहीं है. यह कार्यवाही से निकाल दिया जाये जो बिना अनुमति के बोला जा रहा है .

श्री उमंग सिंघार--(XX)

श्री सुंदर लाल तिवारी--(XX) (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय--बिना अनुमति के जो भी बोलेगा, नहीं लिखा जायेगा. अध्यादेश का पटल पर रखा जाना सुश्री कुसुम सिंह महदेले...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय--नहीं, अनुमति नहीं है उसकी कृपया तिवारी जी आप बैठ जायें आप बिना अनुमति के बोल रहे हैं. इनका रिकार्ड में बिल्कुल नहीं आयेगा..(व्यवधान)

अध्यादेश का पटल पर रखा जाना

सुश्री कुसुम सिंह महदेले (विधि और विधायी कार्य मंत्री) अध्यक्ष महोदय, मैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार--

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2014 (क्रमांक-1 सन् 2014) पटल पर रखती हूं.

पत्रों का पटल पर रखा जाना

1.

श्री बाबूलाल गौर (गृह मंत्री) ---अध्यक्ष महोदय,मैं, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619 (क) की उपधारा (3)(ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड भोपाल का बत्तीसवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा 2012-13 पटल पर रखता हूं.

(XX) आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया.

2.

श्री जयंत मलैया (वित्त मंत्री)--अध्यक्ष महोदय, मैं, दि स्टेट फायनेंशियल कार्पोरेशन एक्ट, 1951 (क्रमांक-63 सन् 1951) की धारा 37 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश वित्त निगम का 58 वां वार्षिक प्रतिवेदन 2012-13 पटल पर रखता हूं.

3.

श्री गोपाल भार्गव (सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण मंत्री)--अध्यक्ष महोदय, मैं,

(क) मध्यप्रदेश निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता अधिनियम 1970 (क्रमांक-12 सन् 1970) की धारा 9 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सामाजिक न्याय विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-2-83-छब्बीस-2-2010, दिनांक 01 अक्टूबर, 2013 तथा

(ख) नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) नियम, 1997 के अध्याय 7 के नियम 49 की अपेक्षानुसार आयुक्त, नि:शक्तजन, मध्यप्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 पटल पर रखता हूं.

4.

श्री पारस चन्द्र जैन (स्कूल शिक्षा मंत्री)--अध्यक्ष महोदय, मैं, मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम विनियम, 1974 के नियम 48 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम के वार्षिक प्रतिवेदन एवं अंकेक्षित लेखे वर्ष 2012-13 पटल पर रखता हूं.

श्री सत्यदेव कटारे-- अध्यक्ष महोदय मैं कुछ निवेदन कर रहा हूं.

अध्यक्ष महोदय--यह कार्यवाही हो जाने दें.

श्री सत्यदेव कटारे--मैं जो निवेदन कर रहा हूं वह तो सुन लें.

अध्यक्ष महोदय--कृपा करके यह कार्यवाही हो जाने दें.

(XX) आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया.

श्री सत्यदेव कटारे--जीरो आवर्स काहे के लिये होता है अध्यक्ष महोदय, इसके लिये होता है कि सदस्य अपनी बात कहें तो सुनें तो आप.

श्री सुंदरलाल तिवारी--(XX)

श्री सत्यदेव कटारे--अध्यक्ष महोदय, कल मुख्यमंत्री जी सदन से बाई काट करके चले गये और अध्यक्ष महोदय, हमारी मांग थी कि जो आरोप उन्होंने लगाये और जो हमने लगाये उसकी सी.बी.आई. जांच होनी चाहिये.(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय--नहीं, यह कोई बात नहीं. स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा हो चुकी अब हम उस विषय को नहीं लेने देंगे. माननीय प्रतिपक्ष के नेता जी बैठें. मैं इसकी अनुमति नहीं देता.

श्री सत्यदेव कटारे--या तो सी.बी.आई. जांच करायें या इस्तीफा दे दें. आरोप झूठे क्यों लगाये इन्होंने ? हमारे दल के ऊपर असत्य आरोप क्यों लगाये इन्होंने ?

श्री सुंदरलाल तिवारी--(XX)

श्री सत्यदेव कटारे--हमारे दल के ऊपर असत्य आरोप क्यों लगाये इन्होंने ?

श्री सुंदरलाल तिवारी--(XX)

अध्यक्ष महोदय--बिना अनुमति के कुछ नहीं लिखा जायेगा.

श्री सत्यदेव कटारे--(XX)

अध्यक्ष महोदय--कुछ रिकार्ड में नहीं आ रहा है. बहस करने से कोई फायदा नहीं है.

बहिर्गमन

व्यापम मामले की जाँच सी.बी.आई. से नहीं कराये जाने के विरोध में

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों का सदन से बहिर्गमन

श्री सत्यदेव कटारे---सी.बी.आई. जांच की हमारी मांग नहीं मानी जा रही है इसलिये हम सदन से बहिर्गमन कर रहे हैं.

(श्री सत्यदेव कटारे के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन किया गया).

(XX) आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया.

(5) (क) मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल, जबलपुर के लेखों का वार्षिक विवरण वर्ष 2012-2013

(ख) (i)एम.पी. पॉवर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड का सप्तम् वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012-13.

(ii) मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड का 31 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012-13.

(ग) माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्याल, भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012-13.

श्री राजेन्द्र शुक्ल, (ऊर्जा, मंत्री) :- अध्यक्ष महोदय, मैं,

(क) विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 185 (2) (डी) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल, जबलपुर के लेखों का वार्षिक विवरण वर्ष 2012-2013, एवं

(ख) कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा(3)(ख) की अपेक्षानुसार :-

(i) एम.पी. पावर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड का सप्तम वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012-2013 एवं

(ii) मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड का 31 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012-2013 तथा

(ग) मध्यप्रदेश माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय अधिनियम, 1990 (क्रमांक-15 सन् 1990) की धारा 36 की उपधारा(4) की अपेक्षानुसार माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन 2012-2013 पटल पर रखता हूँ.

(6) लोक सेवा प्रबंधन विभाग की विभिन्न अधिसूचनाएं.

श्री भूपेन्द्र सिंह, (लोक सेवा प्रबंधन, मंत्री) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गांरटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक-24 सन् 2010) की धारा 10 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार निम्नलिखित अधिसूचनाओं :-

1 अधिसूचना क्रमांक-एफ 2-13/2012/61/लोसेप्र/पी. एस. जी.-07, दिनांक 24 फरवरी, 2014,

2 अधिसूचना क्रमांक-एफ-2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस. जी.-04, दिनांक 26 मई, 2014 तथा

3 अधिसूचना क्रमांक-एफ-2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-14, दिनांक 26 मई, 2014 पटल पर रखता हूँ.

11.37 बजे मार्च, 2014 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का पटल पर रखा जाना.

अध्यक्ष महोदय -- मार्च, 2014 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तर का संकलन पटल पर रखा गया.

11.38 बजे नियम 267-क के अधीन मार्च,2014 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना.

अध्यक्ष महोदय -- नियम 267-क के अधीन मार्च,2014 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनका शासन से प्राप्त उत्तरों का संकलन सदन के पटल पर रखा गया.

11.39 बजे

कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

अध्यक्ष महोदय :- कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुधवार, दिनांक 2 जुलाई, 2014 को सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित शासकीय विधेयकों एवं वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक में सम्मिलित मंत्रियों की विभिन्न मांग समूहों पर चर्चा के लिये उनके सम्मुख अंकित समय निर्धारित करने की सिफारिश की गई है:-

क्रमांक	नाम शासकीय विधेयक	आवंटित समय
1.	मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक,2014 (क्रमांक 10 सन्2014)	30 मिनट
2.	मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक,2014 (क्रमांक 11 सन् 2014)	30मिनट
3.	मध्यप्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 13 सन् 2014	30मिनट
4.	मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2014	30मिनट

2. वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक में सम्मिलित मंत्रियों की विभिन्न मांग समूहों पर चर्चा के लिये आवंटित समय

क्र.	प्रस्तावक मंत्री	मांग संख्या सेवा या प्रशासन जिससे मांग संबंधित है, का विवरण	आवंटित समय
1.	श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री	1- सामान्य प्रशासन एवं लोक सेवा प्रबंधन 2- सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय 26- संस्कृति 37- पर्यटन 48- नर्मदा घाटी विकास 65-विमानन	2 घण्टे 30 मि.
2.	श्री बाबूलाल गौर, मंत्री	3- पुलिस 4- गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय 5- जेल	2 घण्टे
3.	श्री जयंत मलैया, मंत्री	6- वित्त 7- वाणिज्यिक कर 23- जल संसाधन 31- योजना, आर्थिक और सांख्यिकी 40- जल संसाधन विभाग से संबंधित व्यय-आयाकट 45- लघु सिंचाई निर्माण कार्य 57- जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनायें 60- जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय 61- बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	वित्त विभाग की मांग को छोड़ कर शेष मांगों के लिये 2 घण्टे

क्र.	प्रस्तावक मंत्री	मांग संख्या सेवा या प्रशासन जिससे मांग संबंधित है, का विवरण	आवंटित समय
4.	श्री गोपाल भार्गव, मंत्री	17- सहकारिता 30- ग्रामीण विकास 34- सामाजिक न्याय 59- ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं 62- पंचायत 74- त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2 घण्टे
5.	डॉ. गौरीशंकर शेजवार, मंत्री	10- वन 71- जैव विविधता (बायो-डायवर्सिटी) तथा जैव प्रौद्योगिकी (बायो-टेक्नालॉजी)	1 घण्टा
6.	श्री कैलाश विजयवर्गीय, मंत्री	21- आवास एवं पर्यावरण 22- नगरीय प्रशासन एवं विकास-नगरीय निकाय 75- नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता 78- सिंहस्थ, 2016 से संबंधित व्यय	2 घण्टे
7.	श्री सरताज सिंह, मंत्री	24- लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल 67- लोक निर्माण कार्य- भवन	1 घण्टा 30 मिनट
8.	डॉ. नरोत्तम मिश्र, मंत्री	19- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण 38- आयुष 72- भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास 73- चिकित्सा शिक्षा	2 घण्टे
9.	कुंवर विजय शाह, मंत्री	39- खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	1 घण्टा
10.	श्री गौरीशंकर बिसेन, मंत्री	13- किसान कल्याण तथा कृषि विकास 54- कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	2 घण्टे
11.	श्री उमाशंकर गुप्ता, मंत्री	44- उच्च शिक्षा 47- तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास 70- तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	2 घण्टे
12.	सुश्री कुसुम सिंह महदेले, मंत्री	14- पशुपालन 16- मछली पालन 20- लोक स्वास्थ्य यॉत्रिकी 28- राज्य विधान मण्डल 29- विधि और विधायी कार्य 50- उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण 56- ग्रामोद्योग	1 घण्टा
13.	श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया, मंत्री	11- वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार 43- खेल और युवक कल्याण 51- धार्मिक न्यास और धर्मस्व	1 घण्टा
14.	श्री पारस चन्द्र जैन, मंत्री	27- स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा) 77- स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	1 घण्टा

क्र.	प्रस्तावक मंत्री	मांग संख्या सेवा या प्रशासन जिससे मांग संबंधित है,का विवरण	आवंटित समय
15.	श्री राजेन्द्र शुक्ल, मंत्री	12-ऊर्जा 25-खनिज साधन 32-जनसम्पर्क 76-नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	2 घण्टे
16.	श्री अन्तर सिंह आर्य, मंत्री	18-श्रम 63-अल्प संख्यक कल्याण 66-पिछड़ा वर्ग कल्याण	1 घण्टा
17.	श्री रामपाल सिंह, मंत्री	8-भू राजस्व तथा जिला प्रशासन	2 घण्टा
		9-राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	
		35-पुनर्वास	
		58-प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	
18.	श्री ज्ञान सिंह, मंत्री	15-अनूसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता 33-आदिम जाति कल्याण 41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना 42-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य –सड़कें और पुल 49-अनुसूचित जाति कल्याण एवं विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण 52-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता 53-अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता 64- अनुसूचित जाति उपयोजना 68-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	1 घण्टा 30 मिनट
19.	श्रीमती माया सिंह, मंत्री	55-महिला एवं बाल विकास	30 मिनट
20.	श्री भूपेन्द्र सिंह , मंत्री	36-परिवहन 46-विज्ञान और टेक्नालॉजी 69-सूचना प्रौद्योगिकी	30 मिनट

अब, इसके संबंध में डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे

डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री :- अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि-

अभी अध्यक्ष महोदय ने 'शासकीय विधेयकों एवं वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक में सम्मिलित मंत्रियों की विभिन्न मांग समूहों पर चर्चा के लिए समय निर्धारण करने के संबंध में कार्य मंत्रणा समिति की जो सिफारिशें पढ़ कर सुनाई, उन्हें सदन स्वीकृति देता है.

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि-

ज़िन कार्यों पर चर्चा के लिए समय निर्धारण करने के संबंध में कार्य मंत्रणा समिति की जो सिफारिशें पढ़ कर सुनाई, उन्हें सदन स्वीकृति देता है.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

समय : 11.40 बजे

नियम 138(1) के अधीन ध्यानाकर्षण

1. प्रदेश में सहकारी समितियों द्वारा कृषकों को अधिक दर से खाद की बिक्री

श्री कैलाश चावला (मनासा) -- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण की सूचना का विषय इस प्रकार है :

म.प्र. सहकारी समितियों में विभिन्न खाद के विक्रय मूल्य का निर्धारण त्रुटिपूर्ण होने से सहकारी समिति के सदस्यों को ऊंची दर पर खाद क्रय करना पड़ रहा है, अथवा बाजार से खाद क्रय करने को मजबूर होना पड़ रहा है । छोटे सदस्य कृषक जो सहकारी समिति से ऋण लेकर खाद का उपयोग करते है उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है । सहकारी समितियों से सुपर फास्फेट 332/- रूपये प्रति बेग के मूल्य पर कृषकों को दिया जा रहा है, जबकि बाजार में 270/- रूपये से 290/- रूपये में सुपर फास्फेट उपलब्ध हैं । इसी प्रकार डी.ए.पी. खाद सहकारी समितियों से 1198/- रूपये बेग में विक्रय किया जा रहा है, जबकि बाजार में इसका मूल्य 1100/- रूपये प्रति बेग है । सहकारी समितियों द्वारा महंगा खाद विक्रय करने से प्रदेश के कृषकों में असंतोष व्याप्त है ।

मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास (श्री गोपाल भार्गव) -- माननीय अध्यक्ष महोदय,

यूरिया को छोड़कर शेष उर्वरक डीकन्ट्रोल (विनियंत्रित) हैं। भारत सरकार द्वारा दिनांक 01.04.2010 से न्यूट्रियेन्ट बेंस सबसिडी नीति लागू की गई है जिसके अन्तर्गत उर्वरक के प्रदायकों को एम0आर0पी0 निर्धारित करने की स्वतंत्रता दी गई है। इस नीति के कारण यूरिया की दरों का निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया जाता है एवं प्रदायकों द्वारा भारत सरकार से प्राप्त होने वाली सबसिडी के अलावा शेष उर्वरकों की लागत के अनुसार एम0आर0पी0 निर्धारित की जाती है।

प्रदेश में रासायनिक उर्वरकों का वितरण संस्थागत एवं निजी व्यापारियों द्वारा किया जाता है। प्रदेश में डीएपी, काम्पलेक्स, पोटास एवं यूरिया उर्वरकों की व्यवस्था के लिए म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन सघ को शासन द्वारा राज्य की नोडल एजेंसी घोषित किया गया है। संस्थागत वितरण म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ, एम0पी0 एग्रों एवं तिलहन संघ द्वारा किया जाता है। प्रदेश में सहकारिता क्षेत्र में म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा प्राथमिक साख सहकारी समितियों के माध्यम से दूरस्थ अंचलों तक एक ही भाव पर किसानों को रासायनिक उर्वरक उपलब्ध कराने हेतु राज्य शासन रासायनिक उर्वरकों की व्यवस्था, दरों एवं शर्तों के निर्धारण के लिए राज्य स्तरीय उर्वरक समन्वय समिति का गठन किया गया है।

इस समिति द्वारा उर्वरकों की व्यवस्था के लिए विपणन संघ द्वारा प्रत्येक सीजन में बुलाये गये आफरों के आधार पर दरों एवं शर्तो का निर्धारण किया जाता है जिसके आधार पर विपणन संघ द्वारा प्रदेश में उर्वरकों की आपूर्ति एवं वितरण की व्यवस्था संचालित की जाती है।

उपरोक्त व्यवस्था के तहत वर्ष 2014–15 के लिए राज्य स्तरीय उर्वरक समन्वय समिति द्वारा खरीफ 2014 हेतु सहकारी संस्थाओं एवं कृषकों को लिए सुपरफास्फेट एवं डी.ए.पी. सहित अन्य उर्वरकों के विक्रय दरें निर्धारित की गई है। डी.ए.पी. हेतु 10 कम्पनियों द्वारा दिये गये आफर अनुसार कृषकों के लिए विक्रय दरें पृथक–पृथक निर्धारित की गई है, जो कि रू. 1150 प्रति बोरी (50 किलो) से रू. 1203.21 प्रति

बोरी तक है। जबकि पावडर सिंगल सुपरफास्फेट हेतु सभी कम्पनियों के लिए एक समान दर रू. 332.50 प्रति बोरी एवं दानेदार सिंगल सुपरफास्फेट हेतु रू. 362.50 प्रति बोरी निर्धारित की गई है। वर्ष 2013 की तुलना में उर्वरक समन्वय समिति द्वारा निर्धारित दर सिंगल सुपर फास्फेट तथा ईफको एवं जीएफसी का डीएपी की दर पिछले वर्ष की तुलना में क्रमशः 150/- एवं 200/- प्रति टन अधिक है। शेष उर्वरक की दर वर्ष 2013 की तुलना में लगभग एक समान ही है।

उर्वरक से संबंधित राज्य सरकार की विभिन्न एजेंसियों को‍ा बाजार में सहकारी समिति से कम कीमत में सिंगल सुपर फास्फेट एवं ईफको डीएपी विक्रय करने की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

मार्कफेड द्वारा प्राप्त किये गये ऑफर में यह भी प्रावधान है कि यदि प्रदाय करने वाली एजेंसियों द्वारा राज्य सरकार को दी गई दरों से कम दरों पर किसी अन्य एजेंसी अथवा खरीददार को उर्वरक विक्रय किया जाता है तो राज्य शासन को प्रदाय की जाने वाली दरों में भी अन्य एजेंसियों को ऑफर किये गये कम दरों को लागू माना जाएगा एवं उन्हीं कम दरों के आधार पर विपणन संघ द्वारा भुगतान किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा, उठाये गये मुद्दों पर राज्य के कृषि विभाग, विपणन संघ, अपेक्स बैंक, डीसीसीबी, पैक्स व मार्केटिंग सोसायटी के माध्यम से बाजार में विक्रय होने वाली उर्वरकों की दरों पर नजर रखी जाती है। यदि सहकारी सोसायटी की विक्रय दर से कम दरों पर बाजार में विक्रय की शिकायत पाई जाती है तो तत्काल उन्हें अनिवार्यतः रिपोर्ट करते हुए निविदा शर्त अनुसार सहकारी एजेंसी में कम दरे लागू कराये जाने के निर्देश राज्य सरकार द्वारा दिये जा रहे हैं।

उर्वरक समन्वय समिति द्वारा भी पिछले वर्षों की तुलना में उर्वरक की बढी हुई दरें अनुमोदित की गयी है, के संबंध में विपणन संघ से स्थिति स्पष्ट करायी जा रही है।

अतः यह कहना सही नही है कि किसानों में असंतोष व्याप्त है।

श्री कैलाश चावला-- अध्यक्ष महोदय, मैं, माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे द्वारा प्रबंध संचालक, मार्कफेड को इस बात की शिकायत की गई कि सोसायटी में रेट ज्यादा लग रहा है और बाजार में कम रेट पर मिल रहा है. मंत्रीजी, उत्तर में यह कहना कि कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है. यह शायद उचित नहीं है. माननीय मंत्रीजी को इसको दिखवायें कि जब जन प्रतिनिधि द्वारा शिकायत की गई तो उसका नोटिस क्यों नहीं लिया गया? मैं माननीय मंत्रीजी के समक्ष नीमच जिले के कुछ बिल भी प्रस्तुत कर देना चाहूंगा जिसमें बाजार में कम रेट पर माल बिक रहा है और सोसायटी में ज्यादा रेट पर माल बिक रहा है. मंत्रीजी क्या नीमच,मंदसौर और बाकी जिलों में तीन दिन में जांच कराकर सोसायटी को कम मूल्य पर खाद दिये जाने हेतु निर्देश दिये जायेंगे?

श्री गोपाल भार्गव-- अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने उत्तर में ही स्पष्ट कर दिया है. जो कॉर्डिनेशन कमेटी थी जिसकी अध्यक्षता मार्कफेड के प्रबंध संचालक करते हैं और बाकी सभी विभागों के अधिकारी इसमें आते हैं. इसमें जब अनुबंध होता है तो अनुबंध में यह बात उनके साथ तय की जाती है कि यदि बाजार मूल्य कम हुए तो मार्कफेड बाजार मूल्य ही लगायेगी और यदि किसान ने ज्यादा पैसा दे दिया होगा तो उसके अकाऊंट में पैसा डेबिट कर दिया जायेगा. अध्यक्ष महोदय, फिलहाल कम बारिश की स्थिति होने के कारण हो सकता है कि प्रायवेट ट्रेडर्स अपना माल जल्दी-जल्दी निकालने के चक्कर में जो रेट मार्कफेड ने, सरकार के प्रतिनिधियों की कमेटी ने तय किया है उससे थोड़ा बहुत मूल्य से कम बेच रहे हों. कम वर्षा की स्थिति के कारण हो सकता है वे स्टॉक जल्दी से जल्दी बेच रहे हों. लेकिन कल ही हमारे प्रमुख सचिव ने सारे कलेक्टर्स को, कृषि विभाग, सहकारी संस्थाओं के लिए पत्र लिखे और उसमें निर्देश दिया है कि वह इस बात पर नजर रखें कि अगर कम रेट पर वहां खाद बिक रही है तो उसके रेट के बारे में सूचित करें ताकि वही रेट मार्कफेड किसानों के लिए लगायेगा और उसी रेट से जो उर्वरक कंपनियां हैं और उर्वरक के डीलर्स हैं उनके लिए राशि प्रदाय की जायेगी.

श्री कैलाश चावला-- अध्यक्ष महोदय, मैं, इस पर गंभीर आपत्ति करता हूं. माननीय मंत्रीजी कह रहे हैं 'हो सकता है'. हम कोई बाजार के एजेन्ट नहीं हैं. हमको किसान के हित का ध्यान रखना है. मैं होल सेलर्स के बिल भी आपको दे सकता हूं जिसमें कंपनी ने कम रेट पर प्रायवेट डीलर्स को माल दिया है. क्या हमारे अधिकारियों को यह पता नहीं लग रहा है कि कंपनी कम रेट पर उनको माल दे रही है और अगर कम रेट पर कंपनी माल दे रही है तो उन्हें तीन दिन का नोटिस देकर सोसायटी को कम रेट पर खाद देने के निर्देश आप क्यों नहीं दे सकते? इसका उत्तर दीजिए.

श्री गोपाल भार्गव-- अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने उत्तर में स्पष्ट किया है...

श्री कैलाश चावला-- माननीय मंत्रीजी आपने यह कहा है कि अगर रेट कम होगा तो मार्कफेड भुगतान कम करेगा. मार्कफेड जब भुगतान कम करेगा, तब करेगा परन्तु आज किसान को तो ऊंचे मूल्य पर खाद लेना पड़ रहा है.

श्री गोपाल भार्गव-- अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश का सवाल है. एक दो जिलों में यदि यह समस्या आती तो अलग बात थी. पानी कम गिरा है. नीमच में वर्षा हुई नहीं. जिन लोगों ने रख लिया होगा तो वह कम रेट पर 10-15 रुपये पर बेच रहे होंगे. यदि यह हो भी रहा है तो सारे कलेक्टर्स को निर्देशित किया गया है. मैं माननीय सदस्य और सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हम तीन दिन में रेट की जानकारी लेकर और जो रेट बाजार में होगा, उसकी वास्तविक जानकारी लेकर, क्योंकि उसमें भी वेरिएशन है, कोई डीलर कुछ रेट बेच रहा है, कोई ट्रेडर कुछ रेट बेच रहा है. तो उसकी एक समग्र संख्या निकाल कर, औसत लगाकर जो कुछ भी होगा, करेंगे. मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसानों के लिए जो बाजार रेट है वही रेट लगाया जायेगा. उससे एक पैसा भी ज्यादा नहीं लिया जायेगा. यदि बाजार में रेट बढ़ जाता है तो किसान के लिए कम मूल्य पर खाद दी जायेगी.

श्री उमाशंकर गुप्ता - अध्यक्ष महोदय, सहकारिता का कोई ऐसा प्रश्न नहीं होता, जिसमें डॉक्टर साहब का नाम नहीं हो. यह क्या चक्कर है?

डॉ. गोविन्द सिंह (लहार) - यह आपकी मेहरबानी है, आप हमारा नाम जोड़ लेते हो. अध्यक्ष महोदय, वास्तव में यह किसानों के साथ में कुठाराघात है. श्री गोपाल भार्गव जी आप भी जानते हैं कि सवाल इस बात का नहीं है. सुपर फॉस्फेट प्रायवेट कंपनियों से इसलिए लिया जाता है जबकि डीएपी और सुपर फॉस्फेट एक ही काम करता है, जड़ों को मजबूत करने के लिए और पेड़ बढ़ाने के काम में उसका उपयोग किया जाता है. सुपर फॉस्फेट प्रायवेट कंपनियों से क्यों महंगा मिल रहा है? पूरे प्रदेश में छोटे-छोटे गांव में महंगा बेचा जा रहा है तो आप कहां तक परीक्षण करवाएंगे? यह असंभव है. आपने घपले की जांच भी की है.

अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का हमने वक्तव्य पढ़ा है कि मार्फेड सुपर फॉस्फेट की खरीदी में होने वाले भ्रष्टाचार के संबंध में आपने जांच खड़ी की है. यह सभी समाचार पत्रों में, टेलीविजन, रेडियो पर आपके वक्तव्य देखे हैं. इसके लिए आपको धन्यवाद. लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि यह महंगा क्यों बिक रहा है? माननीय मंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं कि भारत सरकार की जो अंडर टेकिंग KRISHCO, KRIBHCO कंपनियां हैं, वहां डीएपी मिलता है. यद्यपि मैंने तो ध्यानाकर्षण में नकली खाद का भी उल्लेख किया था जो इसमें शामिल नहीं हुआ है. लेकिन माननीय मंत्री जी मैं आपसे जानना चाहता हूं कि भविष्य में किसानों के हित में क्या आप आगामी नीति बनाएं उसमें पहली प्राथमिकता KRISHCO, KRIBHCO से डीएपी खरीद कर गांव में सोसाइटियों को उपलब्ध कराएंगे? जो इसमें अधिक रेट की गड़बड़ी हुई है, वह इसलिए हुई है कि एक तो उसको महंगा लिया है और दूसरा इसमें डबल ट्रासपोर्टेशन लग गया, इसलिए खाद महंगा बिक रहा है. क्या आपने जो जांच खड़ी की है, इन बिन्दुओं को उसमें शामिल करके विस्तार से शीघ्र जांच कराएंगे और क्या नकली खाद के बारे में भी जो हमने उल्लेख किया था तो हर जिले में 4-6 सेम्पल लेकर उनका भी परीक्षण करने का काम करेंगे?

श्री गोपाल भार्गव - अध्यक्ष महोदय, दो अलग-अलग विषय आए हैं. एक तो यह है कि फर्टिलाइजर के रेट सही नहीं लगे. जो मार्फेड की कमेटी थी शायद उसने रेट सही तय नहीं किये, जैसा माननीय सदस्य

का कहना है. इसके बारे में जो हमें थोड़ी जानकारी मिली थी तो मैंने स्वयं पहल करके उसकी कमेटी बनाकर प्रमुख सचिव और सारे अधिकारियों को कहा है कि इसकी आप जांच करें. यदि कहीं ऐसा हुआ है तो उस पर भी हम कार्यवाही करेंगे. दूसरी बात जो माननीय सदस्य कह रहे हैं KRISHCO, KRIBHCO तो यह बात सही है कि जो भारत सरकार अंडर टेकिंग कंपनियां हैं, ये बहुत बड़ी मात्रा में खासतौर से डीएपी का प्रदाय किसानों के लिए करती हैं. वे सुपर फॉस्फेट, एसएसपी नहीं बनाती हैं. एसएसपी प्रायवेट कंपनियां बनाती हैं और किसानों की मांग जिस प्रकार से कुछ को डीएपी यूज करना होगी, ग्रोथ के लिए एसएसपी, यह भी आवश्यक होता है. भारत सरकार के उपक्रम KRISHCO, KRIBHCO ये नहीं बनाते हैं. KRISHCO, KRIBHCO द्वारा प्रदाय की जाने वाली खाद में तो रेट के अंतर का सवाल ही पैदा नहीं होता है. सभी के लिए वह समान होती है. सिर्फ एसएसपी की जहां तक समस्या है. इसमें वेरिएशन होता रहता है. जो प्रतिष्ठित कंपनियां होती है उनका रेट थोड़ा ज्यादा होता है. जो कम प्रतिष्ठित हैं उनका रेट कम होता है. इसके वेरिएशन की भी जांच के लिए हमने कहा, क्योंकि इसमें सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं. मैने कहा कि इसकी भी जांच कर लें. जहां तक उसकी क्वालिटी का सवाल है तो वह कृषि विभाग से संबंधित है. मैं कृषि मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वह इसकी गुणवत्ता के बारे में और ऐसा न हो कि अमानक खाद जिलों में प्रायवेट टेडर्स के द्वारा बेची जाय तो इसके सेम्पल लेकर अपनी प्रयोगशाला में उसकी जांच करवाएं. एक्ट में काफी अच्छा सख्त कानून है, उसमें दंड का प्रावधान है, वह दंड भी दिलाएं.

(2) उज्जैन जिला अंतर्गत क्षिप्रा नदी में प्रदूषित जल छोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति

डॉ.मोहन यादव (उज्जैन दक्षिण), श्री जितू पटवारी

मेरी ध्यान आकर्षण की सूचना का विषय इस प्रकार है:-

उज्जैन जिलान्तर्गत पविंत्र शिप्रा नदी में स्नान करने देश और विदेश के लगभग 1 करोड़ लोग प्रति वर्ष उज्जैन आते है ऐसी मोक्ष दायिनीं शिप्रा में सतत प्रभाव बनाए रखने के लिए नर्मदा शिप्रा लिंक परियोजना की शुरूआत की कर दी गई है, और जल प्रवाह भी प्रारंभ हो गया है, किंतु प्रशासन के उदासीन एवं लापरवाह रवैये के कारण देवास की फैक्ट्रियों एवं खान नदी इंदौर का प्रदूषित जल तथा उज्जैन शहर के सीवरेज के गंदे पानी के कारण शिप्रा नदी का जल अत्यधिक प्रदूषित हो रहा है, जिससे स्नानार्थियों की भावना के साथ तो खिलवाड़ हो ही रहा है साथ ही मछलियां और अन्य जल जीव भारी संख्या में मारे जा रहे हैं । इस संबंध में कई बार जिला प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास भी किया गया लेकिन प्रदूषण बदस्तूर जारी है, जिसके कारण उज्जैन वासियों में आक्रोश व्याप्त है ।

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय)- माननीय अध्यक्ष महोदय,

म0प्र0 शासन द्वारा नर्मदा-क्षिप्रा लिंक योजना का शुभारम्भ फरवरी 2014 में किया गया है। इस योजना के प्रारंभ होने से उज्जैन में क्षिप्रा नदी की जल गुणवत्ता में सुधार परिलक्षित हुआ है । उक्त योजना से श्रद्धालुओं को स्नान के समय तथा गांवों को सिंचाई में लाभ पहुंच रहा है । परन्तु यह कहना सही नहीं है कि औद्योगिक क्षेत्र देवास की फैक्ट्रियों का निस्त्राव क्षिप्रा नदी में निस्सारित हो रहा है। देवास स्थित समस्त जल प्रदूषणकारी प्रकृति के उद्योगों द्वारा उत्पन्न निस्त्राव का उपचार कर स्वयं के परिसर में उपयोग किया जा रहा है। देवास शहर का घरेलू जल मल क्षिप्रा नदी में मिलता है। जिसके प्रबंधन हेतु यू.आई.डी. एस.एस.एम.टी.योजनांतर्गत 40 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत है । जिसमे 03 घरेलू जल उपचार संयंत्र की स्थापना भी होना है। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत उज्जैन के सदावल में 52 एमएलडी क्षमता का उपचार संयंत्र स्थापित है, जिसमें 11 नालों के इंटरसेप्शन डायवर्सन कर घरेलू दूषित जल-मल पहुंचता है । उक्त स्थापित संयंत्र की क्षमता कम होने से एवं उज्जैन शहर का घरेलू दूषित जल क्षिप्रा नदी में मिलने से रोकने के लिये दो दूषित जल उपचार संयंत्र क्रमशः 14 एमएलडी एवं 08 एमएलडी. सदावल एवं पिपलियांखाल में जेएनयूआरएम योजना के अंतर्गत प्रस्तावित है,जिसकी लागत लगभग रू. 330 करोड़ स्वीकृत है । नगरीय ठोस अपशिष्ट डिस्पोजल हेतु ग्राम गोंदिया में रू.33 करोड़ की योजना भी स्वीकृत है।

खॉन नदी इन्दौर के दक्षिण-पूर्व में स्थित निम्बोदी ग्राम से निकलकर 04 किमी0 पश्चात इन्दौर शहर से लगभग 12 किमी0 की लंबाई में बहती है। इसके पश्चात लगभग 54 किमी0 बहाव के पश्चात उज्जैन की अप स्ट्रीम में क्षिप्रा नदी में मिलती है। उल्लेखनीय है कि वर्षा ऋतु को छोड़कर शेष वर्ष में खान नदी में प्राकृतिक बहाव नही देखा जाता है। इस नदी में मुख्यतः इन्दौर शहर का सीवेज जो लगभग 240 एमएलडी है,मिलता है । इन्दौर शहर के सीवेज के उपचार के लिए राष्ट्रीय नदी कार्य योजना के अन्तर्गत 78 एमएलडी तथा 12 एमएलडी के 02 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित कर संचालित है। इसके अतिरिक्त 122.5 एमएलडी क्षमता के अलग अलग 02 दूषित जल उपचार संयंत्र नगर निगम इन्दौर द्वारा बनाया जाना प्रचलन में है। इनमें से एक 122.5 एमएलडी क्षमता का दूषित जल उपचार संयूंत्र निर्माणाधीन है, जिसकी पूर्णता का लक्ष्य दिसम्बर 2015 रखा गया है। जवाहर लाल नेहरू नेशनल अरबन रिन्यूवल मिशन के अन्तर्गत इन्दौर शहर में सीवर लाइन डालने का कार्य भी प्रगति पर है। इस सीवर लाइन के संचालित होने पर लगभग समस्त सीवेज, सीवर लाइन के माध्यम से सीधे उपचार संयंत्र में उपचार के पश्चात ही नदी में जा सकेगा जिससे नदी का प्रदूषण नियंत्रण संभव हो सकेगा । साथ ही खान नदी का प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए खान नदी में इंदौर शहर के नालों को सीधे मिलने से रोकने हेतु रू. 59.00 करोड़ की एवं सांवेर औद्योगिक क्षेत्र के निस्त्राव को उपचारित करके खान नदी में डालने की कार्य योजना रू. 20 करोड़ की स्वीकृति सिंहस्थ - 2016 हेतु गठित राज्य स्तरीय साधिकार समिति द्वारा दी गई है। जिला कलेक्टर,उज्जैन व देवास के माध्यम से मत्स्य विभाग से प्राप्त जानकारी दिनांक 29/6/2014 के अनुसार फैक्ट्रियों के प्रदूषित जल के कारण क्षिप्रा नदी में मछलियां तथा जल जीवों के मारे जाने की पुष्टि नही होती।

उज्जैन वासियों में आक्रोश फैलने की बात तथ्यों से परे है ।

डॉ.मोहन यादव—माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है इसमें थोड़ा सा अंतर है, यद्यपि मैं जानता हूं कि मंत्री जी की भी इच्छा है कि जल शद्ध रहे, नगरवासियों को जल मिले लेकिन देवास की नागधम्मन नदी का जो जल मिलने वाला है और 40 करोड़ का संयंत्र स्थापित करने की जो माननीय मंत्री जी स्वयं बात कर रहे हैं , यद्यपि नर्मदा का जल प्रति सेकण्ड 5 हजार लीटर , यानि पौने दो करोड़ रूपये महीने का बिजली का बिल नर्मदा जी का जल लाने के लिया लगाया जा रहा है और उसके उल्टा देवास में जो 40 करोड़ का यंत्र अभी लगा ही नहीं है , जो पानी लगातार प्रदूषित कर रहा है, यह जवाब से ही स्पष्ट है. इसी प्रकार से खान नदी के अंदर जो आने वाला जल है उसकी मात्रा जो बताई गई, बाद में तीन संयंत्र लगने वाले हैं, इसके कारण से बड़ी संख्या में न केवल जल जव बल्कि जिला प्रशासन ने जो रिपोर्ट दी, मैं नहीं जानता कि कैसे दे दी कि कोई जलजीव नहीं हैं. आज भी हम चलकर देख सकते हैं, क्योंकि वर्षाकाल है नहीं.

अध्यक्ष महोदय—आप कृपया प्रश्न पूछे.

डॉ.मोहन यादव—अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि आने वाला जो खान का पानी है, इसके बारे में भी गंभीरता के साथ, खाली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नहीं, साथ ही इरीगेशन डिपार्टमेन्ट और तीसरा आपने जो सटावल, उज्जैन के संबंध में जानकारी दी है कि यहां पर भी आपने सटावल में जो ट्रीटमेन्ट प्लांट लगाया है, मेरी जानकारी में है कि 2001 के बाद से लेकर एक करोड़ रूपया प्रतिमाह बिजली के बिल के अभाव में वह संयंत्र काम नहीं कर रहा है और सीधा सीवेज का पानी नदी में मिल रहा है. मेरा निवेदन है कि उज्जैन, देवास, इंदौर का गंदा पानी लगातार उसमें मिल रहा है तो इस संबंध में कोई कठोर कार्यवाही होना चाहिए और यह अकेले प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बस की बात नहीं है तो इस संबंध में माननीय मंत्रीजी व्यवस्था बनाएं क्योंकि श्रद्धालुओं को प्रभावित करने वाली बात है, इससे पूरे प्रदेश का चित्र पूरे देश की निगाह में गलत जा रहा है.

अध्यक्ष महोदय—ठीक है, माननीय मंत्रीजी क्या व्यवस्था बनाएंगे?

श्री कैलाश विजयवर्गीय—माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से माननीय विधायक डॉ.मोहन यादव जी को धन्यवाद देता हूं कि उज्जैन की क्षिप्रा नदी के बारे में बहुत ही गंभीर प्रश्न ध्यानाकर्षण के माध्यम से उन्होंने आज उठाया है और मैं उनको अगवत् कराना चाहता हूं कि जब पिछली

बार सिंहस्थ प्रारंभ हुआ था और इत्तेफाक से मैं ही प्रभारी था, तब क्षिप्रा नदी को मैंने देखा था और हमें देखने के बाद अफसोस हुआ था कि क्षिप्रा जी में सारे नाले मिल रहे थे और सिंहस्थ के लिए सिर्फ 100 दिन थे हमारे पास लोगों को स्नान कराने के लिए, हमने पूरी क्षिप्रा जी को साफ किया और गंभीर का पानी उसमें मिलाकर लोगों को स्नान कराया. उसके बाद से ही लगातार हमारी चिंता थी कि आने वाले सिंहस्थ में क्षिप्रा का जल साफ हो. क्योंकि क्षिप्रा नदी के जो वास्तविक स्रोत थे, वह सारे समाप्त हो गए, इसलिए बहुत जरूरी था कि हम क्षिप्रा नदी को जीवंत रखें और इसलिए हमने जब मुख्यमंत्री जी से आगृह किया कि क्षिप्रा जी में अगर नर्मदा जी नहीं जोड़ेंगे तो क्षिप्राजी अपना अस्तित्व समाप्त कर देंगी. मुझे कहते हुए गर्व है और मैं सदन की ओर से मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने नर्मदा जी को क्षिप्रा जी में जोड़कर क्षिप्रा नदी को जीवंत करने का काम किया है. मैं माननीय विधायक जी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जो भी बात कही है, उसमें निश्चित रूप से काफी सत्यता है. क्योंकि जितने भी क्षिप्रा जी में मिलने वाले नाले हैं, पर मुझे कहते हुए गर्व है और जिस प्रकार मैंने बताया कि लगभग 1100 करोड़ की योजना है, हमारी क्षिप्रा जी में प्रदूषण को रोकने के लिए चल रही है और मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करता हूं कि सिंहस्थ के पहले क्षिप्रा जी में एक भी नाला नहीं जुड़ेगा, यह मैं सदन को आश्वस्त करता हूं. अध्यक्ष महोदय, आज ही जब मैं विधानसभा के लिए आ रहा था तो केन्द्रीय मंत्री आदरणीय उमा भारती जी का फोन आया था और उन्होंने कहा कि अगर मेरे विभाग से भी 100-200 करोड़ की आवश्यकता हो तो मैं प्रस्ताव भेज दूं वह उस राशि को दे सकती हैं, क्षिप्रा जी और महाकाल मेरा बहुत श्र श्रद्धा का केन्द्र है. अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय विधायक महोदय और सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम सिंहस्थ के पहले क्षिप्रा जी को एकदम निश्चल कर देंगे, बहुत अच्छी नदी कर देंगे, किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं मिलेगा, हमेशा के लिए इस प्रकार की व्यवस्था कर रहे हैं और लगभग 1100 करोड़ की योजना है, जिसको हम सिंहस्थ के पहले पूरा कर देंगे.

12.03 बजे **राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना**

अध्यक्ष महोदय—चतुर्दश विधानसभा के विगत सत्र में पारित निम्नलिखित विधेयकों को माननीय राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो गई है, अनुमति प्राप्त विधेयकों के नाम कार्यवाही में मुद्रित किए जाएंगे—

1. मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-5) विधेयक 2014

   (क्रमांक 7 सन् 2014)-(अधिनियम क्रमांक 7 सन् 2014)

2. मध्यप्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2014

   (क्रमांक 8 सन् 2014)-(अधिनियम क्रमांक 8 सन् 2014),

3. मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2014

   (क्रमांक 9 सन् 2014)-(अधिनियम क्रमांक 9 सन् 2014)

12.04 बजे **विधानसभा की सदस्यता से त्याग-पत्र**

अध्यक्ष महोदय—निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 92- विजयराघवगढ़ से निर्वाचित सदस्य श्री संजय पाठक तथा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 166 आगर (अ.जा.) से निर्वाचित सदस्य श्री मनोहर ऊंटवाल ने विधानसभा के अपने अपने स्थान से त्याग पत्र दे दिया है, जिन्हें मेरे द्वारा क्रमशः दिनांक 31 मार्च तथा 30 मई 2014 को स्वीकृत किया गया है.

सभापति तालिका की घोषणा

अध्यक्ष महोदय—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 9 के उप नियम (1) के अधीन, मैं, निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नाम निर्दिष्ट करता हूं—

1. श्री मानवेन्द्र सिंह
2. श्री कैलाश चावला
3. श्रीमती अर्चना चिटनीस
4. श्री केदारनाथ शुक्ल
5. श्री रामनिवास रावत
6. डॉ.गोविन्द सिंह.

नेता प्रतिपक्ष(श्री सत्यदेव कटारे)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा निवेदन करना चाहता हूँ.अध्यक्ष महोदय, जब हमारा दल बहिर्गमन करके गया था उस समय कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन यहां उल्लेख हुआ. अभी हमारे दल ने उसमें अभी सहमति नहीं दी है. उस पर हम अपनी आपत्ति दर्ज करना चाहते हैं .

अध्यक्ष महोदय-- उसमें सभा की सहमति हो गई.

श्री सत्यदेव कटारे—ठीक है. अगर हो गई तो बहुत अच्छी बात है.

12.06 बजे **प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं स्वीकृति**

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन

श्री गोविन्द सिंह पटेल(गाडरवारा)—

अध्यक्ष महोदय, मैं, गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं:-

प्रतिवेदन इस प्रकार है:-

शुक्रवार, दिनांक 04 जुलाई, 2014 को चर्चा के लिये आने वाले गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार किया तथा निम्नलिखित पांच अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिये निर्धारित करने की सिफारिश की है।

अशासकीय संकल्प	शुक्रवार, दिनांक 04 जुलाई, 2014	निर्धारित समय
1 (क्रमांक-2)	श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी	30 मिनट
2 (क्रमांक-4)	श्री रामवल्लभ वैश्य	30 मिनट
3 (क्रमांक-7)	श्री केदारनाथ शुक्ल	30 मिनट
4 (क्रमांक-11)	श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा	30 मिनट
5 (क्रमांक-15)	श्री विश्वास सारंग	30 मिनट

श्री गोविन्द सिंह पटेल—अध्यक्ष महोदय,मैं, प्रस्ताव करता हूँ कि सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के प्रथम प्रतिवेदन से सहमत है.

अध्यक्ष महोदय-- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

प्रश्न यह है कि—

सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के प्रथम प्रतिवेदन से सहमत है.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

12.07 **याचिकाओं की प्रस्तुति**

अध्यक्ष महोदय—आज की कार्यसूची में सम्मलित सभी याचिकाएं प्रस्तुत की हुई मानी जाएंगी.

वक्तव्य

अध्यक्ष महोदय—अब डॉ. नरोत्तम मिश्रा,संसदीय कार्यमंत्री, भूमि प्रयोजन में व्यपवर्तन के फलस्वरुप प्रीमियम निर्धारण में परिवर्तन के लिए नियम(धारा 59 के अधीन नियम) बनाये जाने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

(1) भूमि के प्रयोजन में व्यपवर्तन के फलस्वरुप प्रीमियम निर्धारण में परिवर्तन के लिए नियम(धारा 59 के अधीन नियम) बनाया जाना

(2)

संसदीय कार्यमंत्री(डॉ.नरोत्तम मिश्रा)--

मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 59 के अधीन भूमि व्यपवर्तन के मामलो में प्रीमियम अधिरोपण एवं पुनर्निर्धारण के लिए राज्य सरकार द्वारा नियम बनाए जाना अपेक्षित रहे हैं। अतः राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जाकर इन नियमों को अंतिम रूप दिया गया है और इन नियमों के अनुसार अब कृषि भूमि को कृषि भिन्न प्रयोजन अर्थात् आवासीय, शैक्षणिक, औद्योगिक, वाणिज्यिक, खनन या अन्य प्रयोजन में व्यपवर्तित करने पर प्रीमियम एवं पुनर्निर्धारण नये नियमों के अनुसार लगाया जाएगा।

2/ प्रीमियम एवं पुनर्निर्धारण के लिए इन नियमों में भूमि के बाजार मूल्य को आधार माना गया है, जिसके अनुसार अब राज्य सरकार द्वारा बनाए जा रहे नियमों के आधार पर व्यपवर्तन के मामलो में प्रीमियम एवं पुनर्निधारण किए जाने पर पूरे प्रदेश में एकरूपता रहेगी। कृषिभूमि का कृषिभिन्न प्रयोजन के लिए जिस प्रयोजन में व्यपवर्तन किया जाएगा, उस प्रयोजन के अनुसार प्रीमियम एवं भू–राजस्व का निर्धारण नियमों के साथ संलग्न अनुसूची अनुसार किया जाएगा।

3/ पूर्त प्रयोजन में व्यपवर्तन किए जाने पर कोई प्रीमियम देय नहीं होगा। उल्लेखनीय है कि चेरिटेबिल प्रयोजन में शारीरिक, मानसिक निसक्त व्यक्तियों के लिए संस्थाएं, अनाथ आश्रम, लड़कियों/कामकाजी महिलाओं के छात्रावास, वृद्धाश्रम तथा खेल कूद संबंधी सुविधाएं शामिल मानी जाएगी।

(2) स्थायी पट्टो के नवीनीकरण तथा स्थाई पट्टों की शर्त उल्लंघन/ अपालन के मामलों के निराकरण की प्रक्रिया बनायी जाना

अध्यक्ष महोदय—अब डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्यमंत्री, स्थायी पट्टों के नवीनीकरण तथा स्थाई पट्टों की शर्त उल्लंघन/अपालन के मामलों के निराकरण की प्रक्रिया बनाये जाने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में विभिन्न प्रयोजनों के लिए समय–समय पर जो स्थाई पट्टे जारी किए गये हैं, उनकी अवधि का अवसान हो जाने के बाद भी उनका नवीनीकरण नहीं हो सका है। ऐसे अनेक मामले हैं जिनमें नवीनीकरण के प्रकरण विचाराधीन है किन्तु स्थाई पट्टों की शर्तों का उल्लंघन/अपालन के प्रकरणों का निराकरण नहीं होने के कारण उनका नवीनीकरण नहीं हो पा रहा है और न ही ऐसी भूमियों पर पट्टावधि का अवसान हो जाने के परिणामस्वरूप पुनर्प्रवेश की कार्यवाही की जा रही है। एक ओर पट्टेदार निरंतर पट्टे की भूमि का उपभोग कर रहा है, दूसरी ओर स्थाई पट्टों का नवीनीकरण नहीं हो पाने के कारण कतिपय पट्टेदार जो अपने पट्टे के भू–खंड को विक्रय, दान या अन्यथा अंतरित करना चाहते हैं, वे भी अंतरण नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही भू–भाटक के रूप में शासन को होने वाली निरंतर आय भी अवरूद्ध है।

2/ सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि समय–समय पर जारी किए गये स्थाई पट्टे, चाहे ऐसे पट्टे तत्कालीन विधि/अधिनियम/ नियम/परिपत्र के अंतर्गत किसी भी प्राधिकारी के द्वारा दिए गये हों, के संबंध में समय–समय पर तत्संबंधी जारी निर्देशों को अधिक्रमित करते हुए स्थाई पट्टों के नवीनीकरण तथा शर्त उल्लंघन के प्रकरणों के निराकरण के लिए प्रकिया निर्धारित की जा रही है।

3/ स्थाई पट्टों के नवीनीकरण तथा शर्त उल्लंघन के मामलो में निराकरण के लिए कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत अपर कलेक्टर को प्राधिकृत अधिकारी बनाया जा रहा है। प्राधिकृत अधिकारी ऐसे प्रकरणों में आवेदन पर या स्वप्रेरणा से कार्यवाही कर सकेंगे। कार्यवाही के लिए जारी किए जाने वाले परिपत्र में प्रकियात्मक निर्देश भी दिए जा रहे हैं।

4/ पट्टे की शर्तों के सभी संभावित उल्लंघन या अपालन की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऐसे उल्लंघन या अपालन के शमन के लिए प्राधिकृत अधिकारी पट्टेदार पर शास्ति अधिरोपित करेगा और शास्ति जमा किए जाने पर पट्टे का नवीनीकरण किया जाएगा। विभिन्न शर्तों के उल्लंघन या अपालन के मामलो में शास्ति निर्धारण करने के लिए

भू–खंड के बाजार मूल्य को आधार मानकर बनाए जा रहे नियमों में दी गई अनुसूची के अनुसार शास्ति अधिरोपित की जाएगी।

5/ आवासीय प्रयोजन हेतु आबंटित भू–खंड में 25 प्रतिशत से कम भाग का उपयोग स्वयं अथवा परिवार के किसी सदस्य द्वारा चिकित्सीय या विधिक परामर्श जैसे कार्य के लिए परामर्श कक्ष के रूप में, ट्यूशन कार्य हेतु या सिलाई कढ़ाई, पापड़–बड़ी जैसे कुटीर उद्योग के लिए किया जाता है तो इसे प्रयोजन परिवर्तन नहीं माना जाएगा किन्तु कोचिंग क्लास, बुटीक या ब्यूटी पार्लर जैसे कार्यों को वाणिज्यिक प्रयोजन माना जाएगा। यहां यह भी स्पष्ट किया गया है कि आवासीय प्रयोजन के लिए आबंटित भू–खंड पर निर्मित भवन को आवासीय प्रयोजन के लिए किराये पर दिए जाने पर भी प्रयोजन परिवर्तन नहीं माना जाएगा, किन्तु 4 कमरों से अधिक वाले गेस्टहाउस के रूप में भवन के उपयोग को वाणिज्यिक प्रयोजन में परिवर्तन माना जाएगा।

राज्य सरकार द्वारा लिए गये निर्णयानुसार परिपत्र जारी किया जा रहा है, जिससे पट्टेदारों के नवीनीकरण के लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण होगा।

अध्यक्ष महोदय--- आप इस पर कुछ बोलेंगे ?

नेता प्रतिपक्ष(श्री सत्यदेव कटारे)--- अध्यक्ष महोदय, कुछ नहीं बोलेंगे.

अध्यक्ष महोदय--- अब श्री भूपेन्द्र सिंह, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी नीति के तहत सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों को भूमि आवंटन की दर असिंचित कृषि भूमि के मूल्यांकन के आधार पर निर्धारण किये जाने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

सूचना प्रोद्यौगिकी नीति के तहत सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों को भूमि आवंटन की दर असिंचित कृषि भूमि के मूल्यांकन के आधार पर निर्धारण किया जाना

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह)—माननीय अध्यक्ष महोदय,

1. प्रदेश की सूचना प्रौद्योगिकी निवेश नीति-2012 के अन्तर्गत प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी में निवेश को आकर्षित करने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र के निर्माण के लिए विभिन्न छूट/सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है।

2. सूचना प्रौद्योगिकी निवेश नीति में कंपनियों को भूमि कलेक्टर गाइड लाइन रेट के **25** प्रतिशत मूल्य पर उपलब्ध कराई जाने का प्रावधान है। सूचना प्रौद्योगिकी नीति के अंतर्गत प्रदेश में स्थापित होने वाले सूचना प्रौद्योगिकी उद्योगों/सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाऐं संबंधी उद्योगों को आवंटित की जाने वाली शासकीय भूमि का मूल्यांकन तत्समय प्रचलित कलेक्टर गाईड लाईन में उल्लेखित असिंचित कृषि भूमि के बाजार मूल्य के मार्गदर्शक सिद्धान्त में निर्धारित दर को आधार मानकर किया जाता है।

3. सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों को सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र की भूमि रियायती दर पर आवंटन किये जाने के फलस्वरूप इन कंपनियों को भूमि आवंटन के समय भूमि प्रिमियम का निर्धारण असिंचित कृषि भूमि के रूप में मूल्यांकित किया गया मान्य किये जाने तथा यही मापदण्ड भविष्य में सूचना प्रौद्योगिकी नीति के तहत किये जाने वाले समस्त भूमि आवंटनों पर लागू किये जाने का अनुमोदन प्रस्तावित किया गया है।

समय 12.12 बजे (उपाध्यक्ष महोदय(डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह पीठासीन हुए)

श्री सत्यदेव कटारे--- उपाध्यक्ष महोदय, शासन के इस वक्तव्य पर भी हमारे दल की ओर से कुछ नहीं कहना है.

उपाध्यक्ष महोदय-- अब श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया, वाणिज्यिक उद्योग और रोजगार मंत्री विभिन्न रोजगार योजनाओं के युक्तियुक्तकरण के संबंध में वक्तव्य देंगी.

वक्तव्य

रोजगार योजनाओं के युक्तियुक्तकरण के संबंध में वक्तव्य

वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार मंत्री(श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया)--- माननीय उपाध्यक्ष महोदय,

राज्य शासन द्वारा वर्तमान में विभिन्न विभागों के माध्यम से अनेक स्वरोजगार योजनायें संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु निर्धारित अर्हतायें (आयु, शैक्षणिक योग्यता, आय) भिन्न भिन्न हैं तथा इन योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहियों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता (मार्जिन मनी, ब्याज अनुदान एवं सी.जी.टी. गारंटी फीस) में भी भिन्नता है। इस कारण से हितग्राहियों के समक्ष भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है एवं कई बार हितग्राही को उसकी पात्रतानुसार वैसी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता, जिससे उन्हें अधिकतम सहायता प्राप्त हो सकती ।

अतः राज्य शासन द्वारा वर्तमान में स्टेट सेक्टर में संचालित समस्त स्वरोजगार योजनाओं का युक्तियुक्तकरण 3 योजनाओं, **मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना एवं मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना** में समाहित करने का निर्णय लिया गया है ।

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत रूपये 10 लाख से 1 करोड़ तक के ऋण उपलब्ध कराये जायेगें । योजना का लाभ केवल नवीन उद्यमों की स्थापना हेतु देय होगा। योजना अंतर्गत उद्यमी के प्रशिक्षण का भी प्रावधान रखा गया है । उद्यमियों को राज्य शासन द्वारा मार्जिन मनी सहायता, ब्याज अनुदान एवं गारंटी फीस की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जायेगी ।

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत रूपये 20 हजार से 10 लाख तक के ऋण उपलब्ध कराये जायेगे । इस योजना का उद्देश्य लोगों को स्वरोजगार हेतु सुगमतापूर्वक ऋण उपलब्ध कराना होगा। योजना का लाभ

केवल नवीन उद्यमों की स्थापना हेतु देय होगा। उद्यमियों को राज्य शासन द्वारा मार्जिन मनी सहायता, ब्याज अनुदान एवं गारंटी फीस की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जायेगी ।

मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के अंतर्गत रूपये 20 हजार तक के ऋण उपलब्ध कराये जायेगे । इस योजना का उद्देश्य समाज के सबसे गरीब वर्ग को कम लागत के उपकरण तथा कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराना है। योजना का लाभ केवल नवीन उद्यमों की स्थापना हेतु देय होगा। उद्यमियों को राज्य शासन द्वारा परियोजना लागत का 50 प्रतिशत मार्जिन मनी के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जायेगी ।

अध्यक्ष महोदय-- अब श्री जयंत मलैया वित्त मंत्री बजट भाषण में संशोधन के संबंध में वक्तव्य देंगे.

12.35 बजे

वक्तव्य.

बजट भाषण में संशोधन के संबंध में वित्त मंत्री का वक्तव्य.

वित्त मंत्री (श्री जयंत मलैया)-- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दिनाँक 1 जुलाई 2014 को प्रस्तुत मध्यप्रदेश शासन के बजट भाषण 2014-2015 के मुद्रित अंश में निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूँ—

बजट भाषण के पृष्ठ क्रमांक 51, कंडिका 22 की पंक्ति क्रमांक 2 में अंकित, "विक्रय पर 15 प्रतिशत की घटी वेट" के स्थान पर "विक्रय पर 1.5 प्रतिशत की घटी वेट" पढ़ा जाए.

12.36 बजे

शासकीय विधि विषयक कार्य.

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 10 सन् 2014) का पुरःस्थापन.

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता)-- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 के पुरःस्थापन की अनुमति चाहता हूँ.

उपाध्यक्ष महोदय-- प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 के पुरःस्थापन की अनुमति दी जाए.

अनुमति प्रदान की गई.

श्री उमाशंकर गुप्ता-- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 का पुरःस्थापन करता हूँ.

मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 11 सन् 2014) का पुरःस्थापन

विधि और विधायी कार्य मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले)-- उपाध्यक्ष महोदय, मैं, मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2014 के पुरःस्थापन की अनुमति चाहती हूँ.

उपाध्यक्ष महोदय-- प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2014 के पुरःस्थापन की अनुमति दी जाए.

अनुमति प्रदान की गई.

सुश्री कुसुम सिंह महदेले-- उपाध्यक्ष महोदय, मैं, मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2014 का पुरःस्थापन करती हूँ.

उपाध्यक्ष महोदय-- अब वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा प्रारंभ होगी. श्रीमती अर्चना चिटनिस....

12.18 बजे

वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा.

श्रीमती अर्चना चिटनिस-- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं संपूर्ण....

डॉ.गोविन्द सिंह-- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले विपक्ष वाले बोलते हैं.

श्री रामनिवास रावत-- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सामान्य परंपरा रही है विपक्ष वाले प्रारंभ करते हैं.

उपाध्यक्ष महोदय-- (श्रीमती अर्चना चिटनिस से)अगर आप अनुमति दें....डॉ.गोविन्द सिंह जी आप बोलें.

डॉ.गोविन्द सिंह(लहार)-- माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

उपाध्यक्ष महोदय-- डॉ.साहब, क्षमा करेंगे अनुभव की थोड़ी कमी है.

डॉ.गोविन्द सिंह-- कोई बात नहीं. आप तो हमसे बहुत सीनियर हैं. हो जाता है, चिट इधर की उधर हो गई होगी.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले तो मेरा व्यवस्था का प्रश्न है. व्यवस्था का प्रश्न यह है कि माननीय वित्त मंत्री बहुत वरिष्ठ हैं, विद्वान हैं, समझदार हैं लेकिन वित्त मंत्री जी ने बजट की गोपनीयता भंग की है. 29 और 30 जून को सभी समाचार पत्रों में छपा कि बजट में इस बार कोई कर नहीं लगेगा और जो बजट आया तो बजट भी उसी के अनुरूप आया. हालाँकि यह अवमानना का मतलब विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं

है, यह तो मानता हूँ लेकिन बजट में सदन जब चल रहा है और सदन में जो विषय आना है उसको पहले से ही समाचार पत्रों में पहुँचना बजट की गोपनीयता भंग करना, यह सदन की अवमानना है.

श्री उमाशंकर गुप्ता—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री ने कोई प्रेस को जानकारी नहीं दी. अखबार अपने हिसाब से कयास लगाए रहते हैं...(व्यवधान)..

उपाध्यक्ष महोदय-- एक मिनट डॉक्टर साहब को अपनी बात कह लेने दें.

डॉ.गोविन्द सिंह-- मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि अभी ऐसा ही प्रश्न लोकसभा में आया था वित्त मंत्री चिदंबरम् वाला, कुछ बात हुई नहीं लेकिन समाचार पत्रों में छपा है और इस बात को लेकर आपकी पार्टी के सभी लोगों ने विरोध किया और वास्तव में कौल एंड शकधर में भी यह लिखा हुआ है कि सामान्य बजट....

उपाध्यक्ष महोदय— साहब आपके भाषण का समय शुरु हो गया है.

डॉ. गोविन्द सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, आप कह देंगे तो हम अभी बैठ जायेंगे. इस पर माननीय वित्त मंत्रीजी को खेद व्यक्त करना चाहिये.

श्री उमाशंकर गुप्ता—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि इसमें खेद व्यक्त करने की कोई बात नहीं है केवल हवा में लठ्ठ चला रहे हैं मेरा यह कहना है कि लगातार किसी भी बात को, अनर्गल बातों को यहां लाकर समय बर्बाद कर रहे हैं.

डॉ. गोविन्द सिंह—आप बैठें क्या आप उनके वकील हैं ? मैं वित्त मंत्री जी से पूछ रहा हूं वे यहां बैठे हैं वे कह दें कि हमने ऐसा नहीं किया है या यह कह दें कि हम खेद व्यक्त करते हैं, मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी पहली-पहली बार थी इसलिये बोल दिया.

वित्त मंत्री (श्री जयंत मलैया)—उपाध्यक्ष महोदय, गोविन्द सिंह जी हमारे बहुत वरिष्ठ साथी हैं इन्होंने यह बात उठाई है, अमूमन आप देखेंगे कि जब भी कोई बजट आता है तो सारे अखबार अपने-अपने कयास लगाते हैं और हम लोग भी सारे अखबार वालों से मिलते जुलते रहते हैं परन्तु यह हमें भी पता है कि हमें अखबार वालों से कब बात करनी है और कितनी बात करनी है. बजट या बजट का कोई भी अंश मैंने कभी भी किसी को नहीं बताया है.

उपाध्यक्ष महोदय— साहब आपने मंत्रीजी के लिये इतने अच्छे विशेषण इस्तेमाल किये उसी के अनुरुप उनका जवाब आया, अब बात समाप्त हो जाती है. आप अपना भाषण जारी रखें.

डॉ.गोविन्द सिंह—ठीक है, धन्यवाद. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्रीजी द्वारा वर्ष 2014-15 का बजट प्रस्तुत किया गया है. पिछले 11 वर्षों से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तब से लगातार लाभ का बजट प्रस्तुत कर रहे हैं, जब लाभ का बजट हर साल प्रस्तुत हो रहा है फिर ऐसी क्या परिस्थिति है कि आपका राजकोषीय घाटा लगातार बढ़ रहा है. यह जो आप लाभ का बजट दिखाते हैं इसमें कुछ लीकेज है या गड़बड़ी है यह जनता और सदन को गुमराह करने की बात है. वर्ष 2004-05 में आपका राजस्व आधिक्य काफी था लेकिन उसके बाद लाभ का बजट पेश होने के बावजूद तीन वर्षों से राजकोषीय घाटा लगातार बढ़ रहा है और राजस्व आधिक्य में लगातार कमी आ रही है. वर्ष 2011-12 में राजस्व आधिक्य 9910.37 करोड़ था एक वर्ष बाद यह राजस्व आधिक्य घटकर 7558.55 करोड़ रह गया. आपने वर्ष 2014-15 का जो अनुमानित आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया है उसमें 6873.83 करोड़ रहा है. राजकोषीय घाटा आपका लगातार बढ़ रहा है. वर्ष 2011-12 में राजकोषीय घाटा 5861.18 करोड़, 2012-13 में 9420.29 करोड़, 2013-14 में जो अनुमानित है वह 11628.98 करोड़ है. तीन वर्षों से आपका प्राथमिक घाटा लगभग 10 गुना हो गया है. वर्ष 2011-12 में 561.41 करोड़, 2012-13 में 3846.55 करोड़, वर्ष 2013-14 में 5272.74 करोड़ हुआ है. इसी प्रकार आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक आपके लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योग हैं उनमें वर्ष 2012-13 की अपेक्षा 2013-14 में 10 प्रतिशत की कमी आई है. इससे उद्योगों से जो रोजगार निर्मित होने वाले थे उनमें 5.54 प्रतिशत की कमी आई है.

उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार यह प्रदेश को गर्त में ले जाने का काम करते जा रहे हैं सरकार सचेत नहीं है. कर्ज की स्थिति बहुत बढ़ा दी है 31 मार्च 2013 को मध्यप्रदेश पर 91735 करोड़ रुपये कर्ज था एक वर्ष बाद ही आपने इसे एक लाख करोड़ रुपये कर दिया. प्रतिवर्ष आप 6900 करोड़ रुपये ब्याज में दे रहे हैं.

यह हालत इस प्रदेश की है। इतना आपने प्रदेश को कर्ज में लाद दिया है। प्रति व्यक्ति के ऊपर हजारों रूपये का कर्ज है। हम लोगों के सिर पर जितने बाल नहीं हैं उससे सौ गुना कर्ज आपने कर दिया है। मार्च 2001 में प्रति व्यक्ति पर कर्जा तीन हजार तीन सौ बयानवे था। आप लोग प्रदेश को डुबाने में लगे हुए हो प्रदेश को लुटाने में लगे हुए हो इसलिये ये स्थिति बता रहा हूं। आप लोग लाभ-लाभ दिखाने में लगे हो । आपने पूरा प्रदेश आर्थिक रूप से खोखला कर दिया है। मार्च 2011 में प्रति व्यक्ति पर कर्जा 9256 रूपये आ गया था और आज मार्च 2014 मध्यप्रदेश के जो प्रदेश के निवासी हैं उन पर प्रति माह में कर्जा 12,419 रूपये हो गया है, ये आप की सी.ए.जी की रिपोर्ट के मुताबित बोल रहा हूं। वित्त मंत्री जी आपने लगातार करों में छूट दी है। आपने अनुमानित बताया कि हम टोटल इतने करों में छूट दे रहे हैं। आपने घंटा मजीरा में छूट दे दी, मंदिर में जाकर घंटा बजाओ, जनेउ में छूट दे रहे हो। कितने लोग जनेऊ पहनते हैं।

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) :- डॉक्टर साहब आप घंटा बजाने नहीं जाते हैं।

डॉ. गोविन्द सिंह:- हम जाते हैं, घंटा बजाते हैं।

श्री उमाशंकर गुप्ता:- डॉक्टर साहब यह तो करना पड़ेगा।

डॉ. गोविन्द सिंह:-बाद में आप जाना भ्रष्टाचार का घंटा बजाना। आप छूट कहां कहां दे रहे हों, सिलाई मशीन की सुई में 10 पैसे की छूट। माल वाहन प्रदेश कर में छूट जो पहले नहीं लगता था उसमें भी छूट, पोषण आहार में छूट, कुल मिलाकर उपाध्यक्ष महोदय माननीय वित्त मंत्री ने 402 करोड़ की छूट दी है। एक तरफ आपने एक हाथ से छूट दी और दूसरे हाथ से निकालने का काम किया है। आपने तत्काल इसी भाषण में कहा है कि गौण खनिज पर लगने वाली रायल्टी में अनिवार्य भू-भाटक पर लगने वाली रायल्टी में लगने वाली भू-भाटक दरों का पुनर्रीक्षण करके बढ़ाया जाये। इधर आप कुल मिलाकर अनुमानित वह भी आपने अभी कहा नहीं है, दस पैसे की सुई में कौन सा टैक्स लगता है, कौन लेने जाता है। इसमें में तीन सौ से चार सौ करोड़ रूपये आप खनिज की रायल्टी पहले बहुत थी, पहले नौ सौ रूपये की रेत ट्राली मिलती थी आज चार हजार रूपये की मिल रही है। उसमें भी आप रायल्टी के पुनर्रीक्षण करके रेट बढ़ाकर पूरे प्रदेश की जनता को और गरीब लोगों के मकान बनने से महरूम करना चाहते हो।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कृषि का बढ़ाया है, कृषी की बड़ी बड़ी वाह वाही, हम किसान के बेटे हैं। किसान के शुभचिन्तक हैं, इस सरकार को बिना किसानों के गुणगान किये नींद नहीं आती। आपने कृषि में बीस प्रतिशत बजट रखा है,मैं धन्यवाद देता हूं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो बजट आपने कृषकों के लिये दिया है उससे ज्यादा आपने कृषको की जेब से निकाले का काम किया है। एक तरफ आपने किसानों को बाईस हजार करोड़ लगभग बीस प्रतिशत करोड़ आपने इस प्रदेश की वर्ष 2014-15 में रखा है। परन्तु मैं बता दे चाहता हूं कि आज 72 प्रतिशत किसान आज गांव में रहता हैं। उसमें से 70 प्रतिशत किसान गांव में रहता है। उसकी रोजी रोटी खेती पर निर्भर है। केवल 2 प्रतिशत व्यक्ति ऐसे होते है जो दुकानदारी या सरकारी नौकनी में होंगे, या सरकारी नौकरी में होंगे। 70 प्रतिशत जो लोग गांव में रहते हैं, जो लोग गांव में रहते हैं उनके लिये आपने किया । लेकिन में यह बता देना चाहता हूं कि आपने एक तरफ कहा है कि कृषि की वद्धि कितनी दिखायी है, 24.99 प्रतिशत और इस साल कृषि, इस साल कृषि की वृद्धि वर्ष 2014 -15 में अनुमानित कर डाली। अब मैं पूछना चाहता हूं इस बार लगातार अतिवृष्टि हुई, ओला वृष्टि हुई आधे से ज्यादा प्रदेश के जिलों में अतिवृष्टि और ओला वृष्टि हुई। आधे से ज्यादा प्रदेश के जिले अतिवृष्टि और ओला वृष्टि से तबाह हो चुके हैं। मैं खुद किसान हूं, आपके के यहां भी अधिकांश लोग किसान बैठें होगें । प्रतिवर्ष हमारे यहां एक हेक्टेयर में करीब बारह क्विंटल गेंहूं हो जाता था लेकिन आज एक हेक्टेयर में ज्यादा से ज्यादा चार क्विंटल गेहूं हुआ है, सरसों तो इस बार किसी खेत में एक मन निकली, किसी में चालीस मन निकली, जो पांच पांच क्विंटल सरसों होती थी पूरा प्रदेश, पूरा प्रदेश तबाह हो गया। यही हालत सोयाबीन की है, पूरा सोयाबीन सड़ गया अधिक पानी से। मसूर सड़ गयी अधिक पानी से,चने की तो यह हालत हुई है कि चने का पेड़ कभी भी नहीं देखा कि वह ढाई से तीन फिट तक बड़ा होगा। उसमें चने का दाना नहीं आया, फुल नहीं आया। यह हालत इस बार फसल की हुई है।

डॉ.गोविन्द सिंह..(जारी) - इधर आप मुआवजा बांट रहे हो उधर आप आठ हजार करोड़ भारत सरकार से मांग रहे हो और आप कह रहे हो कि कृषि की वृद्धि 25 प्रतिशत रही तो यह कैसे हो गई यह प्रश्नचिह्न आपकी सोच पर और आपकी समझ पर लगता है इस सरकार की समझ क्या है. यह मैं आपको बोलना चाहता हूं. आपने किसानों के लिये जो 34 स्वचालित यंत्र हैं उसमें आपने छूट दी है, थ्रेशर है, पंप हैं उस पर 32 करोड़ का अनुमानित व्यय बताया है.

कृषि मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) – वह 2012-13 का है.

डॉ.गोविन्द सिंह – इस साल तो फसल ही नहीं हुई.यह 2013-14 का है मैंने पढ़ लिया.

उपाध्यक्ष महोदय – मंत्री जी जब आप जवाब दें तो यह उल्लेख कर दीजिये.

श्री गौरीशंकर बिसेन - उपाध्यक्ष महोदय, 2012-13 का था वह मैं भैया को सिर्फ सुधारने के लिये बोल रहा हूं.

डॉ.गोविन्द सिंह – मालूम है पढ़ लिया मैंने. आपकी विद्वता तो बता दी पटेल साहब ने टी.वी. रेडियो पर. उपाध्यक्ष जी, मैं बता देना चाहता हूं 32 करोड़ का अनुमानित आपने मंडी शुल्क 2014-15 में बताया है कि इतना हम किसानों को राहत देंगे 34 यंत्रों पर लेकिन आपने घोषणापत्र में वायदा किया था कि मंडी शुल्क किसानों से 2 परसेंट से 1 परसेंट करेंगे. आप 1 परसेंट ज्यादा लेकर जब वह बेचने जाता है किसान तो 100 रुपये की फसल बेचता है तो 100 रुपये उस पर लग जाते हैं. आप उससे वसूल कर रहे हैं. आप पहले नामांतरण बटवारे सीमांकन पर कभी फीस नहीं लगती थी. लेकिन आप 100 रुपये फीस लेने लगे. खसरा,खतौनी,पटवारी मुफ्त में देता था आज उस पर 20 रुपये आप ऋण पुस्तिका पर लेने लगे. कोई दावा करता है पटवारी के यहां नामांतरण के लिये जाता है तो पहले2 रुपये का टिकट लगता था आज 20 रुपये का ले रहे हैं. इसके अलावा सबसे बड़ी वृद्धि जो की है किसानों को धोखा देने का लूटने का काम किया है किसानों को गर्त में ले जाने का काम किया है तो वह है किसानों की जमीन का पंजीयन. आज अगर सगे भाई एक दूसरे को जमीन बेचते हैं उसका रेट देखिये. मैंने खासकर के लहार शहर के आंकड़े मंगाए वह बताना चाहता हूं. 2004-05 में एक हेक्टेयर सिंचित जमीन की रजिस्ट्री शुल्क कीमत लगती थी 4 लाख 12 हजार प्रति हेक्टेयर सिंचित पर लगता था आज सिंचित का क्या रेट हो गया है 2014-15 में 37 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर. जितनी जमीन की कीमत नहीं है उससे ज्यादा आप पंजीयन शुल्क आप उस किसान से वसूल कर रहे हैं. भाई-भाई बटवारा चाहता है तो आप उसमें लेते हैं. कांग्रेस के समय में जब हम लोगों की सरकार थी एक परिवार के बटवारे के लिये कोई फीस नहीं लगती थी. आप बटवारा कर सकते थे और तहसीलदार को अधिकार दिये थे कि तहसीलदार परिवार के सगे भाईयों का बटवारा निशुल्क करेगा. पंचायतों को अधिकार दिये थे. आपने साढ़े नौ सौ गुना वृद्धि पंजीयन शुल्क में की है. यह स्थिति लहार नगर के आसपास की लेकिन भिण्ड जिले के कई गांव चंबल का बेड़, सिंध का बेड़, 5-6 नदियां हैं. एक तरफ 25 प्रतिशत लैंड

और दूसरी तरफ 75 परसेंट बीस-बीस फुट के गहरे बीहड़. उन बीहड़ों में दस हजार, पांच हजार रुपये बीघा जमीन नहीं बेच पा रहे किसान. कई किसान ऐसे हैं जो दो बीघा समतल करके प्लेन करके अपनी रोजी रोटी चला सकते थे लेकिन आपने वहां के रेट क्या कर दिये जो जमीन हम बेचने वाले हैं हमारे पास है 20 बीघा आप ले लो जिसको लेना है दस हजार रुपये बीघा में जिसको लेना हो हम देने को तैयार हैं. 6 साल से घूम रहे हैं कोई लेने वाला नहीं.

चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी – ले ली साहब.

ड़ॉ.गोविन्द सिंह- ले लो. उसका रेट बता रहा हूं मड़ोरी गांव बेहड़ का.

चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी – – ले ली साहब हमने ले ली.

डॉ.गोविन्द सिंह - आ जाईये. पैसा जमा करो. आ जाओ

चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी – - बिल्कुल लेंगे डाक्टर साहब.

डॉ. गोविन्द सिंह – आ जाओ. बिल्कुल गारंटी से. पूरी जमीन हम दिलवाएं दस हजार रुपेय बीघा में.

चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी – 20 बीघा की बात हुई है. ले ली साहब. तय कर दी 10 हजार रुपये बीघा में.

डॉ. गोविन्द सिंह – चले आओ दे देंगे. दिलवा देंगे जितनी चाहो उतनी.

चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी – – स्वागत है.

डॉ. गोविन्द सिंह – अब बैठ जाओ. उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि 2004-05 में 3 लाख 12 हजार हेक्टेयर में.

उपाध्यक्ष महोदय – आप हमारा काम सरल किये दे रहे हैं. डाक्टर साहब को बोलने दें. बहुत अच्छी लय में बोल रहे हैं डाक्टर साहब.

श्री यशपालसिंह सिसोदिया - आज बहुत लय में बोल रहे हैं.

उपाध्यक्ष महोदय - बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रहे हैं वित्त मंत्री जी उस पर विचार भी कर रहे हैं.

एक माननीय सदस्य – किसानों की सही समस्या को उठा रहे हैं.

डॉ.गोविन्द सिंह —उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि 2004-5 में 3 लाख 12 हजार हैक्टेयर था, खेत में बड़ोड़िया से बेड़ के गांव की, और प्लेन जमीन की बेड़ का अलग रेट था, बीहड़ में जैसे कटा उसका परीक्षण करते थे पटवारी एवं आर.आई. उसकी कीमत के आधार पर उस जमीन का पंजीयन शुल्क लगता था, लेकिन आज उसका पंजीयन शुल्क कर दिया है 9 लाख 30 हजार जमीन की कीमत से करीबन साढ़े तीन सौ गुना ज्यादा वृद्धि कर दी पंजीयन शुल्क में. अब आप कह रहे हैं कि किसान के लिये राहत दे रहे हैं एक तरफ तो 132 करोड़ रूपये देने का वायदा किया है. इसके अलावा पेट्रोल एवं डीजल की भारत सरकार के द्वारा कीमतें बढ़ा दी हैं इससे मध्यप्रदेश सरकार को एक लीटर डीजल पर बढ़े हुए दाम में 61 पैसे उसको मिल जायेंगे अब आप डीजल पेट्रोल कोरेसिन के पूरे आंकड़े निकाल लिये हैं , पेट्रोल पर 27 प्रतिशत ले रहे हैं, डीजल पर आप 23 प्रतिशत ले रहे हैं, केरोसिन पर 23 प्रतिशत वेट टैक्स ले रहे हैं, जबकि आपने घोषणा पत्र में वायदा किया था हम किसानों के डीजल और पेट्रोल पर पैसा कम करेंगे जो कि आपके पहले वाले घोषणा-पत्र में है. 99 प्रतिशत खेती के यंत्र हैं कहीं 30-50 गांवों में जायेंगे तो कहीं पर एकाध बेल जोड़ी मिलेगी. आज थ्रेसिंग, आलू लगाना, सरसों काटना, गेहूं काटना सब मशीनों से हो रहा है हर मशीन में पेट्रोल तथा डीजल लगता है तो क्या आपने 32 करोड़ रूपये किसानों को देने से लाभ पहुंचाने का काम किया है और किसानों की जेब से कम से कम 4 से 5 हजार करोड़ प्रति वर्ष वसूल करने का काम कर रहे हैं इससे आपने किसानों को बर्बाद करने की योजना बनायी है.

उपाध्यक्ष महोदय, महिला सशक्तिकरण का बड़ा जोर से प्रचार हो रहा है, लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिये 778 करोड़ रूपये, बालिकाओं के समग्र विकास के लिये सबला योजना के लिये 153 करोड़ रूपये, कन्यादान निकाह योजना के लिये 111 करोड़, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिये 227 कुल मिलाकर के 1269 करोड़ रूपये आपने महिलाओं के सशक्तिकरण करने के लिये कर रहे हैं और इसके बाद आपने महिलाओं की सुरक्षा के लिये कुल-मिलाकर के 4 हजार 951 करोड़ रूपये आपने टी.व्ही, एस.आर. सबके लिये रखा है इधर आप महिलाओं को मजबूत करने के लिये उनका सशक्तिकरण करने के लिये तथा कानून के लिये आपने प्रावधान किया है, परन्तु मैं कहना चाहता हूं और आपसे पूछना चाहता हूं कि मंत्री जी अभी राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो की रिपोर्ट आयी है उसके अनुसार मध्यप्रदेश में हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुए हैं 4 हजार 335 और इनमें भी मध्यप्रदेश में 50 प्रतिशत से अधिक दुष्कर्म महिलाओं के साथ इस रिपोर्ट में है, जो भारत सरकार के द्वारा करायी गई है. भोपाल में महिलाओं के साथ 55.80 प्रतिशत दुष्कर्म अब आपकी सरकार के नाक के नीचे जहां करोड़ों रूपये महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं इससे आपकी

सच्चाई को राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो की रिपोर्ट उजागर करती है. इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आपने बच्चों को 1 लाख 80 हजार स्मार्ट फोन देंगे, ठीक है फोन तो आप दे रहे हैं, लेकिन स्मार्ट फोन के लिये चिप कहां से आयेगी और उसका मासिक बिल कहां से आयेगा जब आप दे रहे हैं तो उनके बिल की व्यवस्था आप करिये. लड़के कहां से पैसा लायेंगे घर से उनको पैसा मिलेगा नहीं इधर उधर से व्यवस्था करेंगे तो लड़के बिगड़ेंगे और अपराध की स्थिति आयेगी. सरदार सरोवर बांध की 121 से लेकर 138 मीटर बांध बनाने के भारत सरकार ने मंजूरी दे दी. 121 से ले कर 138 मीटर बांध बनाने की भारत सरकार ने मंजूरी दे दी पहले पूर्व में मुख्यमंत्री जी और आपकी सरकार बड़ा चिल्लपों करती थी हाइट बढ़ाओगे तो क्या मध्यप्रदेश का नुक्सान नहीं हो रहा है इससे ? मुख्यमंत्री जी ने पहले विरोध किया और जा कर वहां विदेश यात्रा में भाषण दे रहे हैं कि बहुत अच्छा काम हुआ मध्यप्रदेश के लिये, धन्यवाद. अरे भाई, लिये जाओ अगरबत्ती लेकर और लगा आओ मोदी जी के. मध्यप्रदेश में किसानों के साथ कुठाराघात किया ले जाओ गुलाब की फूल मालायें पहना आओ मोदी ने पूरा प्रदेश बरबाद कर दिया.

एक माननीय सदस्य--माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत गलत बात है इसको विलोपित किया जाये.

डा. नरोत्तम मिश्रा--उसको विलोपित कर दें, उपाध्यक्ष महोदय.

उपध्यक्ष महोदय--उसे विलोपित कर दें. (व्यवधान) विलोपित कर दिया.

डा.गोविन्द सिंह--चलिये मैंने कह दिया मोदी जी का नाम निकाला दाढ़ी वाला.

उपाध्यक्ष महोदय--गलत है, इसे भी विलोपित करें.

एक माननीय सदस्य--डा. साहब आप बड़े सम्मानीय सदस्य हैं. आप हम सब मिलकर के अच्छे से बजट की चर्चा करें, कुछ भी बोलेंगे तो हम बरदाश्त नहीं करेंगे, यह अच्छी बात नहीं है.

उपाध्यक्ष महोदय--कितना वक्त और लेंगे आप ?

डा.गोविन्द सिंह--5-7 मिनट. मैं कहना चाहता हूं कि इससे केवल जो बांध बनेगा उससे मध्यप्रदेश का नुक्सान होगा. हमारे 4 जिले झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी और खंडवा इन 4 जिलों में आपका नुक्सान होने वाला है. करीब ढाई लाख किसान विस्थापित होंगे और 10 हजार हैक्टर सिंचित किसानों की उपजाऊ जमीन बरबाद होगी, इसलिये हमारा सदन में सभी साथियों से अनुरोध है कि जब भी कभी संकल्प, इसके

लिये ले जायें भारत सरकार से निवेदन करें कि यहां मध्यप्रदेश को कुछ मिलने वाला नहीं नुकसान हो रहा है इसलिये इस पर पुनर्विचार किया जाये.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुपोषण के आंकड़े भी हैं बजट में. एकीकृत बाल विकास योजना और पोषण आहार में 2009 में 3 हजार के आसपास बजट रहता था और आज लगातार बजट 12-13, 13-14 में अनुमानित 1200 करोड़ रखा था आपने इस बार और बढ़ाया है लेकिन नेशनल इंस्टीट्यूट आफ न्यू न्यूट्रिशन हैदराबाद की रिपोर्ट कहती है कि आपके मध्यप्रदेश में कुपोषण में बहुत ज्यादा गिरावट जारी है कोई सुधार नहीं हो रहा है इसलिये हमारा कहना है माननीय वित्त मंत्री जी पैसा तो इसमें बढ़ायें हम इसके लिये आपसे मांग करते हैं कि कुपोषण बच्चों का महिलाओं का नहीं होना चाहिये, इसमें अगर बजट की और आवश्यकता है तो दें और इसकी समय समय पर मानीटरिंग करें. परिवहन में सरकार ने तमाम बहुत दिनों से घोषणा पत्र कर रही है तमाम करोड़ों रूपये के इन्होंने वह घेर दिये इलेक्ट्रानिक तौल कांटे लेकिन लगे क्यों नहीं केवल इसमें आपके मुल्ताई और खवासा दो जगह लगे हैं जो बैरियर से जाते हैं और उनमें अगर 400 करोड़ रूपये का पूरे पर लगा दोगे तो 400 करोड़ रूपये आपकी रेवेन्यू बढ़ जायेगी. आज जो बैरियर हैं परिवहन के तमाम पार्टी के लोग वहां से वसूली करते हैं और आधे से ज्यादा चोरी होती है. बिना सरकारी कर्मचारी अधिकारी के अलावा अन्य लोग बैठे हैं जो कि वसूली करते हैं आधे से ज्यादा की टैक्स में चोरी हो रही है और आप जो टैक्स लगाये हैं एक और आपसे कहना चाहते हैं कि वाहन में जो आप टैक्स हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा अगर पंजीयन शुल्क है, तो वह है मध्यप्रदेश में 7 परसेंट, हरियाणा में 3 परसेंट, पंजाब में 3.25 परसेंट और यही कारण है कि यहां तो नहीं देखने को मिलती लेकिन ग्वालियर के आसपास के ग्वालियर चंबल संभाग में देखता हूं कि 50 परसेंट से अधिक गाड़ियां जो रजिस्ट्रेशन है, हरियाणा के नंबर की हैं तो आप टैक्स कम करेंगे तो फिर आपके यहां वाहन जो चोरी हो रही है वह रूकेगी यह मेरा सुझाव है. अभी मुख्यमंत्री जी ने बोला यह स्वर्णिम मध्यप्रदेश के लिये 70 प्वाइन्ट दिये थे क्या आपने 13-14 मई को यहां करोड़ों रूपये खर्च करके विधान सभा चलाई 70 बिन्दुओं पर चर्चा की कि मध्यप्रदेश को सोने का कर देंगे. अरे सोने का तो क्या लोहे का भी नहीं बचने दे रहे हो इसलिये आप बताओ जो 70 बिंदुओं पर जो संकल्प आपने पारित किया था उनमें आपने कितने पर अमल किया और ....

महामहिम राष्ट्रपति जी, ए.पी.जे. अब्दुल कलाम साहब 17 जुलाई,2006 को स्वर्ण जयंती के अवसर पर आये थे. उन्होंने भी आपको 11 बिन्दु सुझाये थे. अगर आप केवल उन 11 बिन्दुओं पर अमल करते, तो आज मध्यप्रदेश हिन्दुस्तान में सबसे आगे नम्बर एक पर पहुंच जाता. लेकिन आप तो संकल्प पारित करो, यहां जाकर भोजन पानी करो, इसमें खर्च करते रहो और प्रदेश हित के लिये आप नहीं सोचते. जो आपने पहले से तय किये हैं, उन पर अमल करेंगे, तो प्रदेश आगे जायेगा. अब डॉ. नरोत्तम मिश्रा जी बैठे हैं. बताइये डॉ. मिश्रा जी, आज आपने धीरे धीरे 3500 पद बताये. इसमें इतने खाली, इतने खाली. काहे को आप विभाग संभाल रहे हैं, अगर नहीं बन रहा है, तो किसी और मंत्री को विभाग सौंपो. ..(हंसी)... एक-एक, डेढ़-दो लाख की आबादी पर..

डॉ. नरोत्तम मिश्रा -- डॉ. साहब आप आ सकते हो. डेपुटेशन पर. ..(हंसी)..

उपाध्यक्ष महोदय -- कई माननीय सदस्य यहा डॉक्टर हैं, अगर संविदा नियुक्ति हो जायेगी, तो बहुत सारे उप चुनाव होंगे.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा -- (डॉ. गोविन्द सिंह जी से) आप आ जाओ. आपको शिवपुरी गुना वालों की कसम है, आप आ जाओ. स्वागत है. ..(हंसी)..

सुश्री कुसुम सिंह महदेले -- उपाध्यक्ष महोदय भी तो डॉक्टर हैं.

डॉ. गोविन्द सिंह -- हम आपको सुझाव दे रहे हैं. सुझाव यह है कि आप संविदा पर रखते हो. संविदा पर डाक्टर जब तक आप रखोगे, तब तक डॉक्टर आयेंगे नहीं. आप उनको फुल फ्लेश पूरा वेतन देकर रखिये. आपको डॉक्टर मिलेंगे और ऐसे तमाम लोग तैयार हैं, लेकिन आप संविदा पर किसी को 20 हजार-30 हजार रुपये देंगे, तो नहीं आ पायेंगे.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा -- आप फुल फ्लेश आ जाओगे. ..(हंसी)..

डॉ. गोविन्द सिंह -- मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी 13 जून को हमारे भिण्ड जिले के मौ कस्बे में गये. हाथ उठा-उठाकर कहने लगे सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में 24 घण्टे बिजली मिल रही है. डॉ. साहब, आप बताओ ईमानदारी से माई पीताम्बरा की कसम खाकर ..

डॉ. नरोत्तम मिश्रा -- ऊर्जा मंत्री जी उधर हैं.

श्री रणजीत सिंह गुणवान -- डॉ. साहब सही को तो सही कहो.

डॉ. गोविन्द सिंह -- तो मैं आपसे कह रहा हूं कि जहां पीताम्बरा माई को सब मानते हैं. आप पीताम्बरा माई की कसम खाकर कहो कि क्या 24 घण्टे बिजली मिल रही है..

डॉ. नरोत्तम मिश्रा -- ऊर्जा मंत्री जी उधर हैं.

उपाध्यक्ष महोदय -- अर्जुन को मछली की आंख दिखती है बस. डॉ. साहब को इधर संसदीय कार्य मंत्री जी ही दिखते हैं. ..(हंसी)..

डॉ. गोविन्द सिंह -- मंत्री जी, आपने जो बिजली में बढ़ाया है.

श्री राजेन्द्र शुक्ल -- उपाध्यक्ष महोदय, यदि बिजली 24 घण्टे नहीं मिलती होती, तो ये 74 से 54 नहीं होते.

डॉ. गोविन्द सिंह -- मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 24 घण्टे बिजली चलने देंगे.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा --आपने सुना ही नहीं उन्होंने क्या कहा. उन्होंने यह कहा कि यदि बिजली 24 घण्टे नहीं मिलती होती तो आप 74 से 54 नहीं होते.

डॉ. गोविन्द सिंह -- ऐसा है कि हमारे लोगों ने जो कर्म किये हैं, वह हम भोग रहे हैं. ..(हंसी)..

श्री बहादुर सिंह चौहन -- डॉ. साहब बधाई.

डॉ. मोहन यादव -- डॉ. साहब, आप स्वीकार कर रहे हो क्या.

उपाध्यक्ष महोदय -- अब राजेन्द्र शुक्ल जी इंजीनियर हैं, तो उनका गणित अच्छा है.

डॉ. गोविन्द सिंह -- उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी से हमारी विनम्र प्रार्थना, अनुरोध है कि पूरे मध्यप्रददेश में कम संख्या में अंशकालीन लिपिक, अंशकालीन भृत्य हैं, जिनकी कोई सुनवाई नहीं होती, ऐसे 250-300 हैं. जब शिक्षा कर्मी योजना चालू की थी, तब 300 रुपये में अंशकालीन भृत्य और 400 रुपये मे अंशकालीन लिपिक और 500 रुपये में शिक्षा कर्मियों की भर्ती हुई थी. जो शिक्षा कर्मी भर्ती हुए थे, वह भारी तादाद में हैं. तो उनका तो वेतन बढ़ते बढ़ते 13 हजार रुपये पर पहुंच गया. लगातार

हम हर सदन में मांग करते हैं, तो पहले माननीय पूर्व वित्त मंत्री जी को हम धन्यवाद देंगे कि उन्होंने 300 रुपये से 1600 रुपये इन अंशकालीनों का कर दिया. हमारा आपसे विनम्र अनुरोध है कि उनकी कोई कहने वाला नहीं है. कम लोगो हैं, गरीब लोग हैं. उन पर आप जरा सहानुभूतिपूर्वक विचार करें. आज के समय में उनका वेतन 1600 ररुपये बहुत कम है. जबकि अंशकालीन नाम है, लेकिन सुबह 10 बजे से लेकर के सब काम करते हैं. पूरे प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा 800-1000 तक हैं. तो उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके उनके वेतन के लिये सोचें.

इसके साथ ही साथ एक और निवेदन करना चाहता हूं कि क्षिप्रा नदी में नर्मदा नदी को ले जाने का काम किया है. नर्मदा नदी सतपुड़ा घाटी में बहने वाली है. उसका कम से कम एक किलोमीटर ऊपर आपने पानी उठाया है. नर्मदा नदी बहती है घाटी में और क्षिप्रा नदी बहती है मालवा पठार के ऊपर. आप एक किलोमीटर पानी उठाकर ऊपर ले जा रहे हैं. हां आप पानी वहां ले जा रहे हैं, उसका हम स्वागत करेंगे. आप धार्मिक कार्य के लिये, कुम्भ के लिये उसमें आप पानी डालें. वहां पानी डाला है, अच्छा काम किया है, हम धन्यवाद भी देना चाहते हैं. लेकिन इतनी महंगी? आप 6 पम्प लगा रहे हैं. 50 किलोमीटर लाइन डाल रहे हैं. अगर आप नगरीय प्रशासन और नगर पालिका प्रशासन जो पानी देता है 2 रूपये में 1000 लीटर पानी उपलब्ध कराता हैं और इसका खर्चा तकरीबन 22 से लेकर के 25 रूपये प्रति 1000 लीटर मतलब आप प्रतिदिन लाखों रूपये बिजली पर खर्चा कर रहे हैं, 6 पंप लग रहे हैं, यह रूपये बर्बादी की योजना है . आपने चुनावी वाहवाही लूट ली, जनता को गुमराह करके आप सत्ता में आ गये .

डॉ. मोहन यादव-- डॉ. साहब आप अपनी जानकारी ठीक कर लें. नर्मदा-क्षिप्रा योजना के बारे में कहना चाहता हूं कि इतनी अच्छी योजना पर आप इतना खराब कमेंट कर रहे हैं.

उपाध्यक्ष महोदय-- आप कृपया बैठ जायें. आपको जब मौका मिलेगा तब आप बताईयेगा.

डॉ.गोविंद सिंह -- आप केवल उसका उपयोग धार्मिक उपयोग के लिये, नैनसुख के लिये उपयोग नहीं करें कि बैठकर के नाव में घूम रहे हैं.

डॉ. मोहन यादव-- पानी को शुद्ध रखने की बात बोलना थी बोल कुछ ओर ही रहे है.

डॉ.नरोत्तम मिश्रा-- डॉ. साहब यह बाद वाला भाषण तो आपका था, पहले जो आपने आंकडे बताये हैं वह किसने आपको दिये हैं. (हंसी)

डॉ. गोविंद सिंह -- उपाध्यक्ष महोदय, अंतिम बात कहते हुये कहना चाहता हूं कि यह बजट जनता को गुमराह करने वाला है. किसान विरोधी बजट है, किसानों को बर्बाद करने वाला बजट है, इसलिये वित्त मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत बजट 2014-15 का मैं विरोध करता हूं. धन्यवाद.

उपाध्यक्ष महोदय-- डॉ. साहब आपने जो अच्छे सुझाव दिये हैं , वित्त मंत्री जी उनको बड़ी गंभीरता से सुन रहे थे जरूर उस पर विचार करेंगे.

आज भोजनावकाश नहीं होगा माननीय सदस्यों के लिये भोजन की व्यवस्था सदन की लॉबी में की गई है . कृपया सुविधानुसार भोजन ग्रहण करने का कष्ट करें.

श्रीमती अर्चना चिटनिस(बुरहानपुर) -- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन शब्दों के साथ में अपनी बात को प्रारंभ करूंगी और बजट के आय व्ययक पत्रक का समर्थन करूंगी कि -

बड़े सलीके से, बड़ी सादगी से काम किया

दीया जलाकर के अंधेरों से इंतकाम लिया.

श्री मुकेश नायक -- इसीलिये आपको मंत्रि मंडल में शामिल नहीं किया.(हंसी)

श्रीमती अर्चना चिटनिस-- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानती थी कि मैं बोलना शुरू करूंगी और सामने से कहीं न कहीं कोई मेरी हितचिंतक जरूर बोलेगा.

उपाध्यक्ष महोदय-- पूर्व शिक्षा मंत्री वे भी हैं और आप भी हैं.

श्रीमती अर्चना चिटनिस-- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात को प्रारंभ करूं उसके पहले मैं माननीय विधायक महोदय से कहना चाहती हूं कि विधायक पद को छोटा न समझें. मेरे क्षेत्र की जनता का अपमान मत करें.

माननीय उपाध्यक्ष जी, समाज ने, पार्टी ने मेरे क्षेत्र की जनता ने मेरे परिवार को इतना दिया है कि आज के बाद मुझे कुछ भी आगे न मिले तो भी मैं सतत सेवा करने को तैयार हूं (मेजों की थपथपाहट) मैं फिर कहना चाहूंगी कि -

बड़े सलीके से, बड़ी सादगी से काम किया

दीया जलाकर के अंधेरों से इंतकाम लिया.

उपाध्यक्ष महोदय, अपनी बात को प्रारंभ करते हुये परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना भी करूंगी कि जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने, वित्त मंत्री जी ने बारिश की है खुशहाली की, तरक्की की, राहत की, स्नेह की, परमपिता परमेश्वर भी अपने स्नेह की बरसात इस मध्यप्रदेश में जल्द करे और अच्छी बारिश हमारे यहां पर हो.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बधाई देना चाहती हूं माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की तीसरी बार की सरकार के पहले बार के बजट की इतनी सुन्दर प्रस्तुति हुई है. मैं बधाई देना चाहती हूं माननीय मलैया जी द्वारा प्रस्तुत पहले इतने सर्वव्यापी, समवेशी बजट की. बजट देखकर के एक ही वाक्य में सब कुछ जयंत मलैया जी के बारे में कह देना चाहती हूं कि हमारे वित्त मंत्री जी ने दरियादिली दिखाई है, उनके पास में जल संसाधन विभाग भी है . हमारे वित्त मंत्री जी पानीदार हैं यह बजट इसका द्योतक है. मैं बधाई इसलिये नही दे रही हूं क्योंकि मैं सत्ता पक्ष की विधायक हूं, मैं बधाई इसलिये देना चाहती हूं कि बजट में इस बात को प्रमाणित किया है कि यह सरकारी एक जिम्मेदार सरकार है, यह सरकार एक संवेदनशील सरकार है, यह शासन एक योग्य शासन है और विजनरी शासन है इस बार का बजट, एक वर्ष का बजट नहीं आने वाले 5 सालों की प्रगति का रोडमेप है.

समय 1255 बजे अध्यक्ष महोदय (डॉ सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

अध्यक्ष महोदय, कोई भी सार्वजनिक जीवन में काम करने वाला सरकार में रहा व्यक्ति यह सोचकर आश्चर्य कर सकता है कि पहली बार यह बजट देखकर यूं नहीं लगता कि हम अभी तो जीतकर आये हैं. इस बजट को देखकर यह नहीं लगता कि तीसरी बार की जीत ने सरकार को रिलेक्स मोड, कम्फर्ट ज़ोन में ला दिया है. बल्कि बजट देखकर यह लगता है कि The government is on its toes. The government is full of zeal. सरकार में उत्साह है, उमंग है, सपने हैं, कल्पनाएं हैं और आगे जाने की तत्परता है.

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगी कि यह चुनावी वर्ष का बजट नहीं था इसलिए लोक लुभावना बजट नहीं है, बल्कि यह जनता की सेवा के लिए तत्पर और प्रदेश के विकास से सरोकार रखने वाला बजट है.

अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्रीजी अत्यन्त संवेदनशील है और बहुत कुछ करने की उनमें जिजीविषा है. उनकी और वित्त मंत्री जी की स्नेहमयी दृष्टि से प्रदेश का कोई वर्ग इस बजट में अछूता नहीं रहा है. यह इस बजट की विशेषता है. मैं बजट के असर पर बात करुं उससे पहले मैं इसकी कुछ Financial strength को अंडरलाईन करना चाहूंगी. वैसे तो माननीय वित्त मंत्रीजी ने बजट प्रस्तुत किया तो प्राइमाफेसी यह बजट 117040.99 करोड़ रुपये का बजट है परन्तु सही मायने में यह बजट उससे भी व्यापक है क्योंकि एक बड़ी रिस्पॉसिबिलिटी हम पर है कि रि-पेमेंट ऑफ लोन एक्सपेंडिचर को अगर साथ जोड़ लिया जाये तो बजट 1 लाख 29 हजार करोड़ रुपये का बजट है.

अध्यक्ष महोदय, एक बहुत बड़ा लिटमस टेस्ट होता है किसी भी बजट के लिए जो किसी भी बजट के स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण पेरामीटर है कि Fiscal Deficit FRBM एक्ट के अनुसार

3 प्रतिशत से अंदर रहे. कई सारे बिंदु पर माननीय सदस्य बोल रहे थे. मैं उनको बहुत जोर देकर कहना चाहूंगी कि बजट केवल स्वास्थ्य के लिए समर्पित बजट नहीं है बल्कि यह अपने आप में यह एक स्वस्थ बजट है क्योंकि आपने फीसकल डेफिसिट को 2.98 प्रतिशत के अंदर रखने में सफलता प्राप्त की है. यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है.

अध्यक्ष महोदय, यहां चर्चा हो रही थी कि कर्जा बढ़ गया लेकिन जिस अनुपात में इसका मेग्नीट्यूड बढ़ा. जिस अनुपात में यह बजट इनलार्ज हुआ है, उसको अगर देखें तो मैं सदन का ध्यान एक महत्वपूर्ण चीज पर आकर्षित करना चाहूंगी. जब हमारी पार्टी ने सरकार संभाली तब ब्याज का भुगतान हम 22.4 प्रतिशत करते थे और आज ब्याज का भुगतान घटकर 6.4 प्रतिशत हो गया है. यह अपने आप में बड़ी सफलता है.

अध्यक्ष महोदय, राजस्व आय में 27 प्रतिशत की बढ़ौत्री हुई है. स्वयं के राजस्व कर में 20 प्रतिशत की बढ़ौत्री हमने की है जिसके लिए माननीय वित्त मंत्री जी बधाई के पात्र हैं. मुझे यह बात करते करते हिन्दी फिल्म का गाना याद आ गया. यह बजट देखकर यही कहा जा सकता है कि **"तारीफ करुं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया."** और पहले तारीफ करुं तो उस जनता की तारीफ करुं जिसने शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनायी और फिर तारीफ करुं मुख्यमंत्रीजी की जिन्होंने माननीय मलैयाजी को वित्त मंत्री बनाया.

अध्यक्ष महोदय, अगर इसके पैरामीटर की लास्ट और फायनल एक अच्छी बात मैं कहना चाहूं तो 2003-04 में प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 14 हजार थी जो बढ़कर 54 हजार रुपये हो गयी है. इससे अच्छी बात और कोई हो नहीं सकती.

अपने आप में इससे अच्छी बात और कुछ हो नहीं सकती. यह ठीक है कि हम नेशनल एवरेज से कुछ पीछे हैं और वहां तक पहुंचना हमारा लक्ष्य है. किसी भी लोकतंत्र के लिए और विशेषकर भारत जैसे लोकतंत्र के लिए यह कहा जा सकता है कि किसानों की आत्मनिर्भरता लोकतंत्र की आधारशिला है. यह

सरकार केवल जानते और मानते हुए नहीं, बल्कि इसको समझते हुए इस सरकार ने कृषि के क्षेत्र में बजट का 20 प्रतिशत प्रावधान किया है. इसके बहुत विस्तार में न जाते हुए मैं अगर दो-तीन महत्वपूर्ण बातों को ही आपके माध्यम से सदन में रखना चाहूं तो मैं यह कहना चाहूंगी कि जो हमने बहुत बड़ा काम किया है, वह यह किया है कि फसल बीमा के लिए जो प्रावधान पहले 48 करोड़ रुपए का था उसको 20 गुना बढ़ाकर उसको 900 करोड़ रुपए का किया है. अर्थात् हमारी सरकार इस चीज को समझ रही है कि अगर मौसम आधारित बीमा लागू हुआ, बीमे की व्यवस्था को हमने मजबूत किया केवल तभी किसान आने वाली विपदाओं का सामना करने के लिए सक्षम होगा. मात्र आरबीसी 6 (4) के अंतर्गत मिलने वाली छोटी-मोटी राशि से किसान की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकेगा.

अध्यक्ष महोदय, कृषि के 55 उपकरणों पर पहले से ही वेट माफ था, अब 34 उपकरणों को और आपने माफ कर दिया है. मुझे लगता है कि कृषि के क्षेत्र में आने वाले किसी भी उपकरण पर शायद अब वेट नहीं लग रहा होगा. हम एक प्रोग्रेसिव प्रदेश हैं. सारे मॉडर्न एक्विपमेंट्स हर किसान तक पहुंचे. इस ओर हमारी सरकार का ध्यान है. अध्यक्ष महोदय, एक और बड़ी बात है कि 34 लाख किसानों को 15000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त कर्ज इस सरकार में मिलेगा, यह अपने आप में बहुत प्रशंसनीय और किसान के लिए बहुत सपोर्टिव्ह प्रावधान हमारी सरकार ने किया है.

अध्यक्ष महोदय, अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए माननीय वित्त मंत्री जी से एक निवेदन भी करना चाहूंगी कि जिस प्रकार आप किसान के लिए सब्सिडाइज बिजली दे रहे हैं, उसी प्रकार आप टेक्सटॉइल में और पावर लूम सहित इसके सहयोगी उद्योगों में काम कर रहे यूनिट्स के लिए भी सब्सिडाइज बिजली दें और जो आसपास की हमारी ऐसी स्टेट्स हैं जहां टेक्सटॉइल यूनिट्स लगी हुई हैं, चाहे वे सदर्न स्टेट्स हों, चाहे वे हमारे पड़ोसी राज्य हों, उनको यदि हमने incomparable to that नहीं रखा तो हमारे इस टेक्सटॉइल उद्योग के जिस ऊचाईं तक पहुंचने की संभावना है, उसमें कठिनाई आ रही है. आप उससे उसको निजात दिला सकते हैं.

मैं आगे के विषय पर आने के पहले एक और छोटा-सा सुझाव देना चाहूंगी कि कल ही हमारे विपक्ष के किसी सदस्य ने कहा था कि हमारे यहां लघु और सीमांत कृषक बड़ी संख्या में हैं. लघु और सीमांत कृषक

स्वावलंबी बनें उसके लिए कम्पोजिट फॉर्मिंग को हमें बहुत फोकस्ड-वे में लेना चाहिए, जब तक कि खेती, फलदार वृक्ष और पशुपालन सब आपस में जुड़ नहीं जाएंगे, तब तक छोटी जोत का किसान स्वावलंबी नहीं हो सकेगा. अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकेगा.

मैं एक बात के लिए और आग्रह करूंगी, जिसके लिए मैं माननीय डॉ. गोविन्द सिंह जी से सहमत हूं कि पशुपालन और खेती के बीच में जो दूरी हुई है, उसने किसान की आत्मनिर्भरता को कम किया है. यह दूरी जितनी कम होगी किसान की आत्मनिर्भरता उतनी ही बढ़ती जाएगी.

अध्यक्ष महोदय, इस बजट की एक और खूबसूरती यह है कि शहरी विकास पर तो ध्यान दिया ही गया है. परन्तु शहरी विकास के लिए प्रावधान 5895 करोड़ रुपए रखा गया है तो ग्रामीण विकास के लिए 11102 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है. हमारी सरकार, हमारा नेतृत्व इस बात को समझता है कि राष्ट्र की नव रचना के कार्यों का शुभारंभ ग्रामीण अंचल से ही होना चाहिए. जीवन का मूल्य एवं प्राकृतिक संसाधनों का स्रोत एवं विकास का क्रम भी यही है. इसलिए हमारा ग्रामीण विकास का बजट शहरी विकास के बजट से दोगुना है, यह अपने आप में प्रशंसनीय है, यह अपने आप में अनुकरणीय है.

अध्यक्ष महोदय, इस बजट में एक बहुत बड़ी बात यह है कि हमने पिछले 10 सालों में इतनी सड़कें बनाईं. परन्तु फिर भी सड़कों को अपनी प्राथमिकता में रखा है. हमने स्टेट हाई-वे को फोरलेन करने का प्रावधान किया. हमने एमडीआर सड़कों के लिए प्रावधान किया है. हमने प्रधानमंत्री सड़क योजना के लिए इसमें प्रावधान किया है. ये सारे प्रावधानों अगर एकत्रित कर लें तो यह कहा जा सकता है कि यह सरकार को इस बात की समझ है कि कोई भी देश या प्रदेश प्रकट होता है इसलिए सड़कें अच्छी नहीं होतीं बल्कि जब सड़कें अच्छी होती हैं तो प्रदेश की तरक्की होती है, प्रदेश आगे बढ़ता है. इस चीज को समझ कर हमने रोड़ पर अपना इम्फेसिस कायम रखा है. यह अपने आप में बहुत प्रशंसनीय है. मैं मध्यप्रेदश की कोटि कोटि जनता की ओर से, सदन के माध्मय से, माननीय मुख्यमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहती हूं. माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा कहीं होता है कि चुनाव के वर्ष के बाद में आने वाले बजट में हैल्थ के सेक्टर पर सरकार 55 प्रतिशत की बढ़ोत्री करे, यह बहुत बड़ी बात है कि सरकार स्वास्थ्य को इतना अधिक अपनी प्राथमिकता दे रही है कि पिछले ही वर्ष में हमने 55 फीसदी से अधिक बढ़ोत्री इसमें की. मैं

आपको बधाई देना चाहती हूं कि आपने नर्सिंग कालेजेस,और मिडवाईफ प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का प्रावधान रखा जिसमें 720 महिलाएं हर वर्ष ट्रेनिंग लेंगी. मैं आपको इस बात के लिए भी बधाई देती हूं कि हम केवल एलोपैथी पर निर्भर न बनें बल्कि सारे जितने अलग अलग हैल्थ सेक्टर के....

स्वागत

(श्री दिग्विजय सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री का अध्यक्षीय दीर्घा में स्वागत)

अध्यक्ष महोदय—पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान सांसद श्री दिग्विजय सिंह जी अध्यक्षीय दीर्घा में बैठे हैं, सदन उनका स्वागत करता है.

श्रीमती अर्चना चिटनिस—माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी समाज की, परिवार की और देश की प्रगति उसके ह्यूमेन रिसोर्स के डेवलपमेन्ट के इण्डेक्स पर निर्भर करती है. इसे ध्यान में रखते हुए माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार ने शिक्षा पर और शिक्षा से सम्बद्ध स्पोट्‌र्स वगैराह ऐसी चीजों को अगर साथ में जोड़ लिया जाय तो 11922 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है जो पिछले बजट से 9 हजार करोड़ रूपया अधिक है. मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और और माननीय वित्त मंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहती हूं कि उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों में भी 40 नये हायर सेकण्ड्री स्कूल खोलने का प्रावधान किया है. 40 नये आय.टी.आई. बिल्डिंग्स के निर्माण का भी प्रावधान किया है. मैने अभी उल्लेख किया था होमियोपैथी कालेज में पी.जी.प्रारंभ करने का, उसके साथ साथ आयुर्वेद कालेजेस में भी पी.जी. खोलने का प्रावधान किया है.

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और विशेष तौर पर कहना चाहूंगी कि ये सारे प्रावधान लागू हो उसका लक्ष्य क्या हो हम सब जन-प्रतिनिधियों को और सब और बैठे हुए लोगों को इस पर अपना ध्यान और अपनी समझ को क्लीयर करना होगा. महत्वपूर्ण यह नहीं है कि हममें से कौन सी पार्टी यहां बैठे और कौन सी पार्टी वहां बैठे. हम में से कोई भी कहीं बैठे पर इस मध्यप्रदेश की जनता की स्थिति क्या है वह बहुत महत्वपूर्ण है और उसको वह महत्वपूर्ण बिन्दु पर हम तभी पहुंच सकेंगे जब हमको वर्क कल्चर को अपने राज्य में और मजबूती से इन्टीग्रेट (integrate) करना होगा. मात्र पैसा बहाने से प्रगित नहीं होगी बल्कि हर मध्यप्रदेशवासी के पसीने का कंट्रीब्यूशन भी हो. तब मध्यप्रदेश स्वर्णिम मध्यप्रेदश बन सकेगा

जिसकी कल्पना माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं. माननीय अध्यक्ष महोदय,मैं अपनी बात को पूरा कहने के पहले एक मांग रखते हुए, माननीय वित्त मंत्री जी से इस बात का आग्रह करते हुए कि केले का जो पौधा है या केले की जो फसल है वह हार्टिकल्चर क्राप है. उसका लोन हो या उसका फर्टिलाईज हो या किसी भी चीज में उसका आप कोई भी केलकुलेशन करते हैं तो हर चीज को केलकुलेट करते समय हम प्रति पेड़ आंकलन करते हैं. जब केले की 18 महीने की फसल होती है तो जब हम हर चीज का आंकलन प्रति पेड़ करते हैं तो केले के किसान के लिए मुआवजे का आंकलन करते हुए उसको प्रति हैक्टेयर नहीं प्रति पेड़ आंकलन करने का प्रावधान वे करें इसके लिए में उनसे विनम्र आग्रह करना चाहूंगी. माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अपने आप में बहुत प्रशंसनीय विषय है कि हमने इस मुद्दे पर केवल भाषण नहीं दिये कि हमारा नौजवान नौकरियों की तरफ न देखता रहे बल्कि वह स्वावलंबी बनें. हमने इसके लिए प्रावधन किए. हमने उसके लिए 66 करोड़ से प्रावधान बढ़ाया और वह प्रावधान बढ़ाते हुए हमने अपने मध्यप्रदेश के नौजवान को नौकरी मांगने वाला ही नहीं, नौकरी देने लायक बनाने के लिए इस बजट में व्यवस्था की, संकल्पना की. हम जो बात करते हैं अन्त्योदय की, अन्त्योदन की बात करते समय यह कल्पना रहना उचित नहीं है कि मध्यप्रदेश के आम जनजीवन व्यतीत करने वाले व्यक्ति का हाथ नीचे रहे और सरकार उसको देती रहे....

अध्यक्ष महोदय—माननीय सदस्या आप और कितना समय लेंगी?

श्रीमती अर्चना चिटनिस—माननीय अध्यक्ष जी एक मिनट और लूंगी. हमारी कल्पना जब अंत्योदय की है तो यह नहीं है कि हम जनता को देते रहे और जनता लेती रही, अंत्योदय की कल्पना यह है कि मध्यप्रदेश स्वावलंबी बने, मध्यप्रदेश का हर व्यक्ति स्वाभिमानी जीवन जी सके, हर व्यक्ति सामर्थ्यशाली हो और हमारे हर व्यक्ति का हाथ नीचे न होकर ऊपर आए और वह सरकार के साथ मिलकर उल्टा सरकार से आगे बढ़कर प्रगति में आम आदमी लीडरशिप कर सके, मैं इस कल्पना के चरितार्थ होने का, इस कल्पना के पूरे होने की प्रार्थना करती हूं और हम जनता को बेचारी न बनाएं कि हम देते रहें और जनता लेती रहे, उल्टा हमारे देश की परंपरा यह रही है कि शासक जनता पर निर्भर रहे हैं, जनता शासकों पर निर्भर नहीं रही है. उस आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन की ओर बढ़ने के लिए हमने जो कदम आगे बढ़ाएं हैं, वह और भी आने वाले सालों में महत्वपूर्ण साबित होंगे और मैं इतना कहते हुए अपनी बात को पूरा करूंगी कि

प्रकृति को मूल में रखकर किया गया विकास ही चिरस्थायी विकास हो सकता है. हम मिट्टी और पानी की बात करते हैं तो कितना पानी रोका और कितना पानी निकाला, हम उसको लेकर खुश होते रहते हैं. हम जमीन में से पानी निकालते ही रहेंगे और जमीन में पानी डालेंगे नहीं तो यह एक सीमा के बाद यह धरती थक जाएगी चाहे पी.एच.इ. मिनिस्ट्री हो, चाहे डब्लू.आर.डी. मिनिस्ट्री हो, भूजल पर विशेष ध्यान रखते हुए हर किसान, हर गांववासी, हर शहरवासी भूमि में से जितना जल निकालता है, उतना जल डालने के लिए भी संकल्पित हो, इसको मिशन मोड में अपने प्रदेश में लें. मैं इतना कहते हुए अपनी बात को पूरा करूंगी कि भूमि, जल, जंगल, जमीन, वायु यह सारी चीजें कोई सरकार कहीं मैन्युफेक्चर करके नहीं दे सकती है, इनके संरक्षण और संवर्धन को जो हमारी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसे हम अपने शासन की प्रक्रिय में, प्रणाली में, पालिसीज में पार्ट एण्ड पार्सल बनाएं, इतना कहते हुए मैं अपनी बात को पूरी करूंगी

"तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो

मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर कर दरिया पार करो"

जो कमियां हैं, वह बताएंगे और सरकार उनको और दुरुस्त करेगी और ठीक करेगी, उनके अच्छे होने की कोई सीमा नहीं है और बेहतर और बेहतर और अच्छा होने की एक इनफिनाइट गुंजाइश होती है.

"तुमको तुम्हारा फर्ज मुबारक, हमको मुबारक अपना सुलूक,

हम फूलों की डाल तराशें, तुम शाखों पर वार करो"

सहकारिता मंत्री (श्री गोपाल भार्गव)—अध्यक्ष महोदय, यह मुकेश भाई के लिए है.

श्री मुकेश नायक—अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम लिया है, मंत्री जी कहा है.

अध्यक्ष महोदय—आपका नंबर आ रहा है, तभी उत्तर दे दीजिएगा.

श्री मुकेश नायक—मैं उत्तर दे दूंगा, लेकिन अभी सम्मानित विधायिका जो सदन में कह रही थीं, वह एक जागरूक महिला है, अच्छी वक्ता हैं, अच्छी पारिवारिक पृष्ठभूमि से आती हैं, अच्छा होता कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो बजट के प्रावधान हैं....

अध्यक्ष महोदय—वह आप अपने भाषण में कहिएगा. बीच बीच में न बोलें

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा(मुंगावली)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं हमारे वित्तमंत्री जी को क्या इस बात की बधाई दूं कि कांग्रेस शासन में जो 24 हजार करोड़ रूपए का कर्जा था, उसको आपने 90 हजार करोड़ से ऊपर ला दिया है और आप शीघ्र ही उसे एक लाख करोड़ से ऊपर कर्ज में मध्यप्रदेश को डुबाने वाले हैं. क्या इस बात की बधाई दे दूं मैं आपको? क्या मैं आपके बजट को इस बात के लिए समर्थन कर दूं कि मध्यप्रदेश में आप सबसे ऊंची दरों पर बिजली दे रहे हैं. 1 से 50 यूनिट 3.40 रूपए का दर है मध्यप्रदेश में जबकि छत्तीसगढ़ में 1.40 रूपए है, गुजरात में 2.95 रूपए है, राजस्थान में भी 3 रूपए है, लेकिन आप सबसे मंहगी दर की बिजली मध्यप्रदेश को दे रहे हैं. हम लोगों को बड़ी आशा थी कि आप पेट्रोल और डीजल में कम से कम वेट कम करेंगे, लेकिन आपने पेट्रोल और डीजल पर वेट कम नहीं किया.

पेट्रोल और डीजल पर सबसे ज्यादा वेट मध्यप्रदेश में है. दिल्ली में 18.68 प्रतिशत, उत्तरप्रदेश में 26 प्रतिशत, गुजरात में 26 प्रतिशत और मध्यप्रदेश में 28.75 प्रतिशत , यह आपका पेट्रोल पर वेट है. इसी तरह से डीजल पर भी आपका सबसे ज्यादा है. जब केन्द्र में कांग्रेस की सरकार थी तब आप इस बात की बहुत आलोचना करते थे कि पेट्रोल और डीजल का भाव बढ़ता जा रहा है, केन्द्र बढ़ाता जा रहा है लेकिन अब आपकी नयी सरकार ने भी पेट्रोल और डीजल का जबर्दस्त भाव बढ़ाया है और आपको कोई अधिकार नहीं है केन्द्र की आलोचना करने का, जब कांग्रेस की सरकार थी तब नहीं थी, पहले आप वेट कम करिये, पहले आप पेट्रोल और डीजल सस्ता करिये और आप जनता की जेब से पैसे कम वसूल करिये पेट्रोल और डीजल पर वेट के नाम पर और उसके बाद केन्द्र को कहिये. अब तो आप इस सूरत में भी नहीं हैं कि केन्द्र को कह सके कि आप पेट्रोल और डीजल सस्ता करिये तो मुझे ताज्जुब है कि इतनी सारी दुविधाओं के बाद, इतने सारे संकटों के बाद भी आप एक ऐसा बजट प्रस्तुत कर रहे हैं और बिजली की सिर्फ आप दर ही नहीं ज्यादा ले रहे हैं लेकिन बिजली के कारण लोगों को जो परेशानी है. हिटलर का एक प्रचार मंत्री था गाविल्स, वह यह कहता था कि एक झूठ को हजार बार बोलो, जनता सच समझने लगती है. हमारे मुख्यमंत्री जी ने बड़े ऊंचे ऊंचे हाथ कर कर के 24 घंटे बिजली देंगे, 24 घंटे बिजली दे रहे हैं मध्यप्रदेश में, हर जिले में उदघाटन किये 24 घंटे का, आप 24 घंटे तो कम से कम मत बोलो, 20 घंटे, 21 घंटे, 22 घंटे बोल दो लेकिन 24 घंटे, इतना बड़ा असत्य बोलकर भी आप वापस जीतकर आ गए इसमें मुझे बड़ा ताज्जुब है. मेरा आपसे यह अनुरोध है कि बिजली के मामले में सिर्फ दर ज्यादा नहीं दे रहे हैं , कटौती भी जबर्दस्त है. किसान परेशान है. बड़े बड़े बिल आ रहे हैं, बिजली कम्पनियों की पूरी दादागिरी है इसलिए मैं आपके इस बजट का विरोध करता हूँ, इसका समर्थन नहीं कर

सकता. आपने अपने भाषण के पेज दो पर अपनी पीठ थपथपाई है कुशल वित्तीय प्रबंधन पर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत के महालेखा परीक्षक ने कई बार राज्य सरकार को वित्तीय प्रबंधन को कटघरे में खड़ा कर वित्तीय प्रबंधन की कई कमियां उजागर की है. कई बार कई करोड़ के बजट अनुमानों को दोषपूर्ण बताया है. कई बार बजट प्रावधान अनावश्यक साबित हुए. कई बार अनुपूरक प्रावधान ज्यादा किये गये और उपयोगिता प्रमाण-पत्र नहीं भेजना, टैक्स की बकाया वसूली व गबन की राशि वसूली नहीं करना, आंतरिक नियंत्रण कम होना, यह सब कमियां बतायी हैं. केवल प्रदेश स्तर की कमियों को ही उजागर नहीं करना चाहता हूँ जो आपके जिले स्तर पर वित्तीय प्रबंधन में कमियां हैं, उसके बारे में भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ. मध्यप्रदेश के प्रतिवषर्षालाखों करोड़ों रुपया जो बजट का लेप्स होता है उसमें आपक् जिलों का भी बड़ा हाथ है. जिलों में जो बजट लेप्स होता है वह जितना भी पैसा होता है वह विभिन्न एजेन्सियों के मार्फत बैंकों में जिले को योजना अधिकारी जमा करा देते हैं या कलेक्टर्स जमा करा देते हैं और मध्यप्रदेश ट्रेझरी कोड के नियम 268 के वित्त संहिता के नियम-6 का यह स्पष्ट उल्लंघन है कि इस प्रकार आप पैसे जमा नहीं करा सकते. मध्यप्रदेश की कोष संहिता के भाग-एक, नियम-78,79 तथा सहायक नियम 284 तथा वित्तसं संहिता भाग -एक के नियम-6 के अनुसार शासकीय धन को कोषालय से आहरित कर अन्यत्र खाता खोलना स्पष्ट रुप से वर्जित है लेकिन आपके यहां कोषालय से जिलों में पैसा आहरित किया जाता है और विभिन्न बैंकों में, विभिन्न मदों में विभिन्न तरीके से जमा कराया जाता है और यह बता दिया जाता है कि पैसा खर्च हो गया जबकि वास्तविकता यह है कि जो बजट आवंटन है वह खर्च नहीं कर पा रहे हैं. यह पूरे जिले के योजना अधिकारियों से आप जानकारी मांगेंगे तो यह आपको मालूम होगा, यह आपकी जानकारी में भी है क्योंकि आपने मध्यप्रदेश वित्त विभाग ने 1998 के अक्टूबर में सरक्यूलर भी जारी किया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए लेकिन उसके बाद भी ऐसा हो रहा है. आपका राज्य सरकार पर वित्तीय प्रबंधन इतना कमजोर है कि प्रिंसिपल अकाउंटेट जनरल,ग्वालियर को फायनेंस सेक्रेटरी को एक पत्र लिखना पड़ा. इसमें उन्होंने यह लिखा है कि बहुत सारे आडिट आब्जेक्शन लंबित रहते हैं उत्तरदायी अधिकारियों को उच्च पदों पर पदोन्नति हो जाती है जो कि उसमें दोषी हैं , वे सेवानिवृत्त हो जाते हैं और कोई उचित कार्यवाही समय पर नहीं होती . मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक समय पर 9013 प्रतिवेदन के 22433 ऑडिट आब्जेक्शन लंबित थे और इनके उत्तर समय पर नहीं दिये गये. जबकि प्रावधान है कि समय पर उत्तर अधिकारियों को देना चाहिए उसका नतीजा यह होता है कि लेखा संपरीक्षा पूर्ण होने पर प्रारूप समीक्षा प्रतिवेदन विभागाध्यक्ष और शासन के प्रशासनिक विभाग को भेजकर छह सप्ताह में उत्तर भेजने के लिए अनुरोध किया जाता है. किन्तु शासन से उत्तर अप्राप्त रहते हैं और महा लेखाकार के द्वारा सचिव प्रशासनिक विभाग के साथ बैठकें भी की जाती हैं ,संपर्क भी किया जाता है लेकिन उसके बाद भी ऑडिट ऑब्जेक्शन की टिप्पणियों पर उत्तर देने तथा तथ्यात्मक रूप से पूर्ण तैयार नहीं होते हैं और निर्गम वार्ता की औपचारिकता पूर्ण कर ली जाती है इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप विभागों को यह

निर्देश दें कि जितने भी ऑडिट ऑब्जैक्शन्स आते हैं महालेखाकार के उनका समय पर उत्तर दें क्योंकि हमने देखा है कि सालों से दस-दस,पंद्रह-पंद्रह साल तक संतोषजनक उत्तर नहीं आता और उसके कारण दोषी कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाता है और उस फिर पर कोई कार्यवाही आप नहीं कर सकते हैं. तो यह वित्तीय प्रबंधन आपको प्रदेश और जिला स्तरों पर सुधारने की आवश्यकता है. आपके बजट भाषण में आपने पृष्ठ चार पर कृषि,सिंचाई और विविधीकरण और कृषि क्षेत्र में कृषि क्षेत्र की वृद्धि की बात की है.आपने गेहूं उपार्जन में प्रदेश के विभिन्न जो बार्डर के जिले हैं , हमारा चंदेरी, मुंगावली है. राजस्थान से लगा मंदसौर है,मुरैना है, यहाँ सैकड़ो टन गेहूं अन्य प्रदेश के किसानों का खरीदा क्योंकि यहाँ भाव आपका बोनस है, और उस खरीदी के कारण आपने कृषि उत्पादन वृद्धि केंद्र को बता दिया और कृषि में पुरस्कार भी प्राप्त कर लिया और कृषि में वृद्धि दर भी बता दी और इस खरीदने में प्रदेश के किसानों को बहुत इंतजार करना पड़ा और उनका बहुत नुकसान हुआ क्योंकि कई लोग , जो गेहूं खरीदी केंद्र के लोग थे उन्होंने अपना पैसा इनवेस्ट करके कम पैसे में गेहूं खरीद लिया और अन्य नामों से अधिक पैसा राज्य सरकार से प्राप्त कर लिया . इस प्रकार उन लोगों ने पैसा कमाया और इस प्रकार आपने कृषि उत्पादन दर में वृद्धि बताई. यदि आपके कृषि उत्पादन दर में वृद्धि हुई है तो श्रीमान् यह बतायें कि किसान प्रतिवर्ष आत्महत्या क्यों कर रहे हैं. आपका जो रिकार्ड है,यह राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के रिकार्ड के द्वारा मेरे प्रश्न के ही उत्तर में मध्यप्रदेश विधानसभा में बताया गया कि प्रतिवर्ष लगभग 1300 किसान आत्महत्या करते हैं. वर्ष 2004 में 1638, 2005 में 1248, 2006 में 1375 , 2007 में 1263 , 2008 में 1379 , 2009 में 1396 , 2010 में 1237 , 2011 में 2326 और 2013 के आंकड़े मेरे पास नहीं हैं. लेकिन विधानसभा में ये आपने मार्च और अक्टूबर के बीच में छह महीने में 655 आत्महत्यायें किसानों की बताई तो यदि कृषि में इतनी उन्नति हो रही है तो हमारा किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है अगर आपकी कृषि दर में इतनी वृद्धि हुई है तो सोयाबीन बीज की कमी क्यों हो रही, नकली खाद ,बीज और कीटनाशक क्यों बिक रहा है. यदि आप तुलना करें कि आपके कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है तो उसी तुलना में आपका खाद,आपका बीज और आपके कीटनाशक की भी तो खपत होना चाहिए. लेकिन आप देखेंगे कि इसकी खपत नहीं बढ़ी है लेकिन आपका उत्पादन बढ़ रहा है इसका कारण यह है कि आप अन्य प्रदेशों से गेहूं यहाँ खरीदते हैं. अध्यक्ष महोदय, किसानों की बहुत दुर्दशा है और आप खेती और किसानी की बात करते हैं. अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में नायब तहसीलदार, आरटीआई, पटवारियों की बहुत जबर्दस्त कमी है . एक-एक पटवारी के पास कई-कई हलके हैं . अभी गोविंद सिंह जी ने सीमांकन, नामांतरण, पारिवारिक बंटवारे इसमें आपके द्वारा धन वसूली की बात की है , आपने सब पर फीस लगा दी है, वह भी किसान देने को तैयार है लेकिन उसके बाद भी पटवारी नामांतरण और बंटवारे बिल्कुल नहीं करते हैं और आजकल तो उनका रेट इतना बढ़ गया है कि वह लोग भूमि की कीमत का प्रतिशत मांगने लगे हैं. और आप उनका कुछ नहीं कर सकते हैं. तो किसान बिल्कुल मारा-मारा घूम रहा है. प्राकृतिक आपदा के बारे में भी आपने बताया है. प्राकृतिक आपदा के बारे में आपको धनराशि बढ़ाना चाहिए. इसलिए बढ़ाना चाहिए कि पिछले वर्ष जो जबर्दस्त ओलावृष्टि और शीतलहर हुई थी और अतिवृष्टि हुई थी और ओला भी गिरा था. प्रदेश के अन्य जिलों की बात तो छोड़िये मैं जहाँ से चुनकर आया हूं वहाँ अशोकनगर और गुना जिले में चने की फसल का अफलन हो गया क्योंकि उसको धूप नहीं मिली इतनी ज्यादा बारिश हुई. उसको धूप नहीं मिली और अतिवृष्टि के कारण सैकड़ों एकड़ चने की फसल, डॉलर चने के किसान को नुकसान हो गया. उसका आप कोई मुआवजा नहीं दे रहे हैं और समस्त चने की फसल में तो अ-फलन हुआ ही लेकिन

ओले पाले से किसानों को जो जबर्दस्त नुकसान हुआ है, चाहे चना हो, चाहे मसूर हो, चाहे गेहूँ हो और अफीम की फसलें मंदसौर जिले में बर्बाद हुई है. लेकिन उसका मुआवजा आप नहीं दे रहे हैं. मंदसौर की अफीम की फसल की तो यह बड़ी अजीब बात है कि आप इस तर्क पर मुआवजा नहीं देते हैं कि केन्द्र सरकार अफीम की खेती करता है तो केन्द्र ही मुआवजा देगा. आप केन्द्र से पैसे ले आते हों 500 करोड़ पिछली बार भी लिए और ले आते हों. लेकिन अफीम की फसल का मुआवजा देने में आपको तकलीफ होती है... (व्यवधान)..इसलिए आप से अनुरोध है कि अफीम के लिए आप यह प्रावधान करें कि राज्य सरकार ही अफीम के किसान की सुरक्षा करे, अफीम के किसान को मुआवजा दे. चाहे वह पैसा केन्द्र से वसूल करना चाहे तो कर ले. लेकिन किसान को फायदा मिलना चाहिए.

अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में जबर्दस्त ओलावृष्टि हुई है. मैंने किसानों की आत्महत्याओं का जिक्र किया ओलावृष्टि और अतिवृष्टि के कारण भोपाल के गाँव कुल्होल के कमल सिंह, गुना के कोटरा गाँव के रामसिंह मीणा, 28 फरवरी को राजगढ़ के भोपालपुरा के शिवनारायण वर्मा, सीहोर के ओंकार लाल मालवीय, चेनपुरा के हरिओम पाटीदार, अशोक नगर के कुकावली के प्रेमसिंह दांगी, दमोह के पटेरा गाँव के भोपाललाल पटेल, यह तो रिकार्ड में है और कई किसानों ने भी आत्महत्याएँ की हैं और आप मुआवजे के नाम पर किसानों को 200, 300 और 500 रुपये दे रहे हैं. अभी जब प्रभारी मंत्री हमारे यहाँ आए तो हमने उनको कहा तो बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने एक कमेटी बना दी कि जिन लोगों का आंकलन पटवारी ने नहीं किया है. पैसे लेकर के भी आंकलन किए गए मुंगावली में चिरौली गाँव का मैं बता देता हूँ. जहाँ जिन लोगों ने पैसा दिया, उनका आंकलन कर दिया, गरीबों का बिल्कुल आंकलन ही नहीं किया. पर मुझे विश्वास नहीं है कि जब तक आप बजट प्रावधान नहीं करेंगे यह अतिरिक्त जो आवेदन आ रहे हैं, जहाँ अन्याय हुआ है, वहाँ पर मुआवजा कैसे मिलेगा इसके लिए आपने उसका कोई आवंटन नहीं किया है. फसल बीमा अंतर्गत 2 करोड़ 21 लाख किसानों में से आप प्रीमियम के 11 अरब 9 करोड़ रुपये वसूल कर चुके हैं, लेकिन मुआवजा 50 लाख किसानों को कौड़ियों के दाम मिला है. आपकी फसल बीमा योजना में जबर्दस्त भ्रष्टाचार है और यह प्रायवेट बीमा कंपनियाँ हैं इन पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है. ये लोग नीचे के कर्मचारियों को मैनेज करके और कम आंकलन करवा लेते हैं इसलिए किसान को नहीं मिलता है. हमारे क्षेत्र जावरा में एक प्रकरण में हमने पटवारियों से सही आंकलन करवा कर राज्य शासन से बहुत अच्छा मुआवजा दिलवाया. लेकिन वहीं बीमा कंपनियों का बहुत कम पैसा आया. इसका क्या कारण है. इसका कारण यह है कि बीमा कंपनियाँ रेवेन्यू के बड़े बड़े अधिकारियों को मैनेज करती हैं उसके बाद में वे किसान को मुआवजा कम देती हैं और प्रीमियम

पर आप ब्याज भी लेते हैं, बेचारे किसान का पैसा आप काट लेते हैं. सेंट्रल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, में चला जाता है, वहाँ से बीमा कंपनियों को चला जाता है और उसके बाद उसकी प्रीमियम पर भी ब्याज लेते हैं तो यह जो आपका बीमा सिस्टम है. आप सुधारने की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी बात कर रहे हैं. लेकिन अभी तक जो सिस्टम था उसमें जो प्रायवेट कंपनियों की दादागिरी और भ्रष्टाचार है. उसको आप कम नहीं कर पाए.

अध्यक्ष महोदय, कृषि महाविद्यालय के कोऑर्डिनेशन की आपने बात की है. लेकिन जो रिसर्च है उसको आप विश्वविद्यालयों और कॉलेजेस से फील्ड तक और किसान तक जब तक टेक्नालाजी ट्रांसफर नहीं करेंगे काम नहीं चलेगा और इसका कोई आपका कोऑर्डिनेशन नहीं है. कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट के ऑफिसेस, इनमें प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. हमारे रतलाम जिले में दो करोड़ की लागत से लेबोरेट्री बनी हुई है. लेकिन उसमें जो पद स्वीकृत हैं, उनमें 10 साल से आप पदस्थ ही नहीं कर रहे हैं.

अध्यक्ष महोदय, बिजली के बारे में मैंने बोल ही दिया है. मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा. मैं नर्मदा पर जरूर बोलना चाहूँगा कि नर्मदा विवाद न्यायाधिकरण ने जो तय किया था उसके अनुसार मध्यप्रदेश को 18.25 एम ए एफ है और गुजरात को 9, महाराष्ट्र को 0.25, राजस्थान को इतना जल आवंटित किया गया था. लेकिन 31 वर्ष व्यतीत होने के बाद भी 18.25 मिलियन एकड़ फिट जल से मध्यप्रदेश में लगभग कम से कम 5.0 मिलियन जल का उपयोग हुआ है. जो आवंटित का एक तिहाई है. अब 14 वर्ष और बाकी हैं. 14 वर्ष में हमें सब डेम और नालियाँ बनानी हैं. गुजरात ने सारे के सारे पानी का उपयोग कर लिया है. आपने नर्मदा के डेम की हाईट बढ़ने के कारण, अभी तक तो आपने ढंग से उनका पुनर्वास भी नहीं किया. हरसूद तो रो रहा है और जितने गाँव हैं उनमें भी आपने नहीं किया है. आंकलन में जबर्दस्त भ्रष्टाचार भी हुआ है. लेकिन आपने यह जो हाईट, प्रधानमंत्री जी ने बढ़ाई है, बिना आपको कंसल्ट किए, इसके कारण जो सैकड़ों किसान डूबने वाले हैं और जो जमीनें डूबने वाली हैं. इसके लिए आपने बजट में प्रावधान नहीं किया है. यह बहुत अजीब बात है.यह आपको करना चाहिए था.

अध्यक्ष महोदय, पशु नस्ल सुधार की बात की है. आपने दुग्ध उत्पादन वृद्धि की बात की है. मेडम ने भी और गोविन्द सिंह जी ने, पर मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि आदिवासी डेयरी विकास परियोजना छिंदवाड़ा में वर्ष 2010 के दौरान 1050 गायें एक करोड़ रुपये खर्च करके दी गईं थीं उसमें 489 गायों की मृत्यु हो गई क्योंकि उन्हें सुदाना पशु आहार नहीं दिया गया उनकी देखरेख नहीं की गई और सबसे खराब बात यह है कि अधिकारियों कर्मचारियों ने उनका बीमा नहीं कराया था जिसके कारण बेचारे किसानों को पैसा भी नहीं मिल पाया.

अध्यक्ष महोदय, सड़कों के बारे में कहना चाहूंगा. सड़कों के लिये आवंटन किया है लेकिन गुणवत्ता तो देखिये आरईएस की और पीडब्ल्यूडी की जो सड़कें बन रही हैं. मुंगावली से पिपरई होकर अशोकनगर की रोड पीडब्ल्यूडी द्वारा अभी बनाई गई और अभी उखड़ गई. प्रदेश में ऐसी कई सड़कें हैं जो कि बुरी तरह से उखड़ रही हैं. मुंगावली में आरईएस की सड़कों में जबरदस्त भ्रष्टाचार हुआ है कर्मचारियों, अधिकारियों और ठेकेदार ने मिलकर बहुत घटिया काम किया है मैं सभी की जांच करवा रहा हूँ.

जवाहरलाल नेहरु शहरी नवीनीकरण मिशन. UIDSSMT के अन्तर्गत मुंगावली में वित्तीय स्वीकृति नहीं दे रहे हैं 10 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं केन्द्र से पैसा आ रहा है लेकिन आप नहीं दे रहे हैं और प्रदेश के अन्य जिलों में आप इसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं चाहे इन्दौर हो या भोपाल हो. मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास की हालत बहुत खराब है बेचारे किसान भटक रहे हैं.

श्री रामनिवास रावत—माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट पर चर्चा चल रही है प्रदेश के विकास का बजट है और माननीय सत्तापक्ष की यह हालत है.

अध्यक्ष महोदय—संबंधित मंत्रीजी बैठे हुए हैं.

श्री रामनिवास रावत—अकेले मंत्रीजी पूरा प्रदेश चलायेंगे क्या ? मंत्रियों को निर्देश जाना चाहिये.

अध्यक्ष महोदय—सामूहिक जिम्मेदारी है.कृपया आप बैठिये.

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा—मुख्यमंत्री आवास योजना के पैसे नहीं मिल रहे हैं और लोगों के आवास नहीं बन रहे हैं यह शिकायत मुझे मेरे क्षेत्र और जिले में मिली है. खाद्यान्न सुरक्षा के बारे में गुना, अशोकनगर जिले का जो खाद्यान्न, एपीएल का गेहूं और केरोसीन है पूरा पिछले दस सालों से ब्लेक हो रहा

है यह मैं नहीं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के विधायक राजकुमार सिंह यादव ने एक ध्यानाकर्षण और प्रश्न लगाया था कि लाखों रुपये की ब्लेक मार्केटिंग हो रही है और लोगों को अनाज नहीं मिल रहा है और यह अभी तक जारी है. इस तरह से आप पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं उससे क्या हो सकता है. आरटीआई एक्ट के सेक्शन 4 का नान कम्पलाइन्स हो रहा है. लोकायुक्त आपके मंत्रियों की जानकारी मांग रहे हैं आप भेज नहीं रहे हैं इस तरह से आप क्या सुशासन करेंगे. लोकायुक्त ने फिर से अभी डांट लगाई है. लोकायुक्त जो स्टाफ मांग रहे हैं वह आप क्यों नहीं दे रहे हैं. लोकायुक्त को सशक्त क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोकायुक्त को सशक्त नहीं कर रहे हैं इसलिये व्यापम जितने बड़े घपले हो रहे हैं. यदि आप लोकायुक्त को सशक्त करें और सख्ती लायें तो व्यापम जैसे भ्रष्टाचार करने की किसी की हिम्मत नहीं होगी. लोकायुक्त ने एक्ट में संशोधन के लिये जो अनुरोध किया है वह भी आपको करना चाहिये उसको सशक्त करना चाहिये.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया (मंदसौर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2014-15 का वित्तीय वार्षिक बजट, 14 वीं विधान सभा का पहला बजट रखा गया है. मैं माननीय मुख्यमंत्रीजी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और अभिनन्दन करता हूँ और माननीय वित्त मंत्रीजी को मैं बधाई देना चाहता हूँ.

माननीय अध्यक्ष महोदय, मध्यप्रदेश की इसी विधान सभा में स्वर्ण जयंती का समारोह आयोजित किया गया था मिसाइलमेन के नाम से पहचाने जाने वाले तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम आजाद जी का उद्बोधन था. मेरे प्यारे दोस्तों से उन्होंने प्रारंभ किया था तब महामहिम ने मध्यप्रदेश की प्रतिव्यक्ति आय 14 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये करने की बात को दोहराया था और उन्होंने इसी सरकार से यह अपेक्षा और आकांक्षा की थी मुझे बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता है कि महामहिम की मंशा के अनुरुप 2012-13 में मध्यप्रदेश की प्रतिव्यक्ति आय में इजाफा हुआ है वह 43864 हो गई है और मैं समझता हूँ 2013-14 का जो आंकड़ा आयेगा वह 50 हजार से अधिक या उसके समकक्ष हो जायेगा यह तत्तकालीन महामहिम की जो कल्पना थी उस कल्पना के अनुरुप यह काम हुआ है. तत्कालीन महामहिम ने एक बात को और दोहराया था और माननीय शिवराज सिंह जी की प्रशंसा की थी. उन्होंने

विशेषकर समाधान ऑनलाइन, स्कूल चलें हम और जलाभिषेक अभियान को लेकर सरकार को बधाई दी थी दिनांक थी 17 जुलाई 2006.

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी बजट में जो राजस्व का सरप्लस बजट है. स्वास्थ्य के क्षेत्र में 57 प्रतिशत का इजाफा हुआ है यह माननीय मुख्यमंत्रीजी की दृढ़ इच्छाशक्ति के कारण हुआ है. विकासोन्मुखी योजनायें इसमें शामिल हैं विकास की गति को पंख जरुर लगे हैं. माननीय मुख्यमंत्रीजी के चिन्तन के आधार पर जनता को विश्वास हुआ है. प्रदेश में ऐसी अनेक योजनायें हैं जो शून्य से शीर्ष पर पहुंची हैं. बेटी बचाओ अभियान, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, भ्रूण हत्या सामाजिक अपराध जैसे अभियान को गति मिली है. बजट के प्रस्तुतीकरण के तत्काल बाद नेता प्रतिपक्ष जी का इन्टरव्यू मैंने चैनल पर देखा.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा—अब नेता प्रतिपक्ष नहीं हैं, मुख्य सचेतक जा रहे हैं जिन्होंने बजट पर चर्चा शुरु की वह भी नहीं हैं विपक्ष की स्थिति तो देखिये आप.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया—माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय मंत्री नरोत्तम जी ने जिन नेता प्रतिपक्ष की बात कही है मैं उन्हीं के बारे में टिप्पणी कर रहा था कि बजट को लेकर पहली प्रतिक्रिया मैंने टीवी में देखी उन्होंने इसको चाचा चौधरी की कहानी का बजट निरुपित किया.

माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस मंथन करे, विचार कर कि कहीं उनकी इस गतिविधि के कारण से यह पूरी की पूरी सवा सौ साल पुरानी पार्टी कहानी किस्सों में तब्दील न हो जाये. मैं वित्त मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूँ.. कि उन्होंने कृषि की केबिनेट को आगे बढ़ाया है. पहली बार तेरहवीं विधान सभा में कृषि केबिनेट का विषय आया था उसको व्यापकता दी है. समग्र रूप से देखा जाए तो जो बजट पारित हुआ है इसमें किसानों का खासा ध्यान रखा गया है. लगातार दो बार कृषि कर्मण पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में किसानों की मेहनत के कारण और सरकार का किसानों की पीठ पर हाथ है. उनको अनुदान दिये जा रहे हैं. उनको सुविधाएं दी जा रही हैं. सिंचाई के संसाधन बढ़ाये जा रहे हैं. विद्युत की आपूर्ति की जा रही है. गेहूं का उपार्जन, धान का उपार्जन उसके ऊपर बोनस दिया जा रहा है. जीरो प्रतिशत पर कर्जा देकर कहां 18 परसेंट था. इस सबके कारण लगातार दूसरी बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है सरकार को तो लगातार तीसरी बार भी इस प्रदेश की जनता ने माननीय मुख्यमंत्री जी को इस प्रदेश की बागडोर सौंपी है. कृषि के

क्षेत्र में कृषि के पंपों पर सरचार्ज माफ करते हुए इस बजट में पचास प्रतिशत राशि सरकार भुगतान करेगी किसानों का यह ऐतिहासिक निर्णय है. दस घंटे विद्युत की आपूर्ति कृषि पंपों के लिये क्योंकि मैं जिस जिले से आता हूं नीमच जिले से और भी यहां वहां के विधायक बैठे हैं. राजेन्द्र पांडे जी भी जावरा के बैठे हैं. रतलाम,जावरा, मंदसौर,नीमच हमारे यहां सर्वाधिक कुंए हैं. इन कुंओं से ही हम लोग सिंचाई करते हैं औरसिंचाई की गारंटी दी है 10 घंटे प्रतिदिन. 24 घंटे फीडर सेपरेशन के माध्यम से 2275 करोड़ का इसमें निवेश किया गया है और प्रस्तुत बजट में 950 करोड़ का प्रावधान किया गया है. 54 कृषि उपकरणों की जो श्रंखलाबद्ध करमुक्ति की है 32 करोड़ की भले राजस्व हानि हो. मैं बजट केतत्काल बाद प्रमुख ख्य अर्थशास्त्री जयंतीलाल जी भंडारी को सुन रहा था उन्होंने पूरे बजट घ पर जो प्रतिक्रिया दी और भंडारी जी ने कहा कि मैं मध्यप्रदेश की सरकार के बजट की मुक्त कंठ से प्रशंसा करता हूं. जिन्होंने किसानों को आगे बढ़ाने के लिये कृषि उपकरणों पर भारी भरकम छूट का लाभ दिया है. किसान चाहता है कि मैं अपने खेत पर सरल रास्तों से पहुंचूं उसका ट्रेक्टर,बैलगाड़ी,साईकल,मोटरसाईकल पहुंचे. खेत सड़क योजना का अभिनव प्रयोग माननीय शिवराज जी की कल्पना के आधार पर हुआ है. बारह मासी ग्रेवल रोड उसके माध्यम से किसानों को मिलेगी. हम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में फोर लेन सड़क मार्ग में टू लेन सड़क मार्ग में आगे

बढ़े हैं तो हम खेत खलिहान तक भी पहुंचे हैं. बुजुर्गों के लिये तीर्थ दर्शन योजना का अनुकरणीय उदाहरण माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रस्तुत किया है. अब हम धार्मिक क्षेत्र में बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन कराने की योजना को और आगे बढ़ाते हुए , खेत किसान का तीर्थ होता है. खेत तीर्थ दर्शन योजना के माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी ने 10 करोड़ रुपयेका प्रावधान किसानों की विदेश यात्रा के लिये किया है. भारत माता, गौ माता, गंगा माता, माननीय सभापति महोदय, धरती माता का भी अपना महत्व है. धरती माता को भी महत्व दिया गया है. जीरो प्रतिशत पर कर्जा लेने वाले किसानों की संख्या मध्यप्रदेश में 28 लाख किसानों की हो गई. 12 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान बजट में किया गया है. 2014-15 में 34 लाख किसानों को 15 हजार करोड़ का ऋण दिया गया था. दो हजारकरोड़ का प्रावधान अनुपूरक बजट में किया गया था. ओला,पाला के लिये यह अलग बात है कि तत्कालीन केंद्र की यूपीए की सरकार के कारण हमको समय पर

राशि नहीं मिल पाई उसकी मांग जारी है. फसल बीमा पर बार-बार प्रश्न होता है 2013-14 में 48 करोड़ रुपये है जैसा माननीय सदस्या अर्चना जी ने बताया. 20 गुना बढ़ा दिया. 900 करोड़ का प्रावधान इसमें किया है. कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने 1951 से 2003 के बीच ग्यारहवीं विधान सभा में एक प्रश्न इसी सदन में आया देवास के समीप हाटपीपल्या विधायक तेजसिंह सेंधव जी ने प्रश्न किया. तत्कालीन कांग्रेस के मुखिया और मुख्यमंत्री जी से और सिंचाई मंत्री जी से मांग की कि नर्मदा को क्षिप्रा में मिलाने करने की सरकार की क्या मंशा है क्या योजना है मुझे बताते हुए अत्यंत दुख हो रहा है कि ग्यारहवीं विधान सभा में जिस योजना को अक्षरश खारिज कर दिया था. उसकी तकनीकी फिजिबिलिटी के नाम पर कहा कि तकनीकी रूप से असाध्य है. माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक विधान सभा के बाद यानि ग्यारहवीं में यह निरस्त हुआ और तेरहवीं विधान सभा में नर्मदा का पानी क्षिप्रा में डाल दिया और क्षिप्रा को भी आगे बढ़ाते हुए गंभीर तक पहुंचाने का जो काम किया है और इसी बजट में अब 714 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. जो नर्मदा का पानी चलकर क्षिप्रा में आया है. मात्र 14 माह के अल्पकाल में योजना धरती पर उतर गई. क्षिप्रा मईया ने आलिंगन कर लिया नर्मदा मैया का. एक ऐतिहासिक काम माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में हुआ है. दुग्ध उत्पादन में मध्यप्रदेश का छठवां स्थान देश भर में और मुझे सभापति महोदय कहते हुए अत्यंत प्रसन्नता है कि मैं जिस क्षेत्र से निर्वाचित होकर आया हूं उस क्षेत्र से आप भी प्रतिनिधित्व करते थे और आपका निवास स्थान भी मंदसौर में है. आज मंदसौर अकेला जिला है जो दिल्ली को 80 हजार लीटर दूध प्रतिदिन दे रहा है. माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में ई पेमेंट ई ट्रेनिंग, ई मेजरमेंट ई रिफंड व्यवसायियों को करने जैसी व्यवस्थाएं की गई हैं जो सुचारू रूप से चल रही हैं. इसमें पारदर्शिता आई है. भ्रष्टाचार समाप्त हुआ है. इसी बजट में कल हमने इस पर चर्चा की है. अब ई पंजीयन होगा रजिस्ट्रेशन भी और उसके लिये जो शहर चिन्हित किये गये हैं. उज्जैन, में, सीहोर में, बालाघाट में और टीकमगढ़ में अब रजिस्ट्रियां ई पंजीयन के माध्यम से होंगी. यह ई क्रांति की ओर अग्रसर कदम है. व्यापारियों के लिये 49 फार्म का सरलीकरण किया गया था इसमें और गुंजाईश है लेकिन आनलाईन के कारण 49 में कहीं न कहीं दिक्कत आती थीं इसमें और तब्दीली करते हुए अब इसके सकारात्मक परिणाम सामने देखने को मिलेगा जिसका बजट में उल्लेख किया गया है. ऊर्जा के क्षेत्र में मंदसौर, नीमच जिले में ऐतिहासिक काम हुआ है.

आप जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं नीमच जिले के जावद विधान सभा क्षेत्र के भगवानपुरा डीकेन में माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की मौजूदगी में उस समारोह में मैं भी साक्षी था आप भी साक्षी थे राजेन्द्र पाण्डे जी जावरा से ये भी साक्षी थे. ओम सखलेचा, दिलीप सिंह परिहार, राजेश यादव हम सब साक्षी थे एशिया का सबसे बड़ा ऊर्जा प्लांट यदि कहीं प्रारंभ हुआ है तो वह नीमच जिले के जावद क्षेत्र में. स्वास्थ्य के क्षेत्र में उज्जैन संभाग को एक बार स्थान मिला जिस संभाग से मैं भी प्रतिनिधित्व करता हूं. सभापति महोदय आप भी प्रतिनिधित्व करते हैं. रतलाम को मेडिकल कालेज की सुविधा मिल रही है उसका बजट में उल्लेख किया गया है. विदिशा और शहडोल को मेडिकल कालेज की सुविधा मिलने जा रही है. खाद्य सुरक्षा गारंटी अधिनियम, माननीय शिवराज जी ने इसको दो साल पहले से ही लागू करने का मन बना लिया था. भारत की सरकार ने जब कानून बनाया होगा बनाया होगा चिंतन मनन हो रहा होगा लेकिन हमने इसको पहले से प्रारंभ कर दिया था. 60 फीसदी मध्यप्रदेश की जनता इस खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत लगभग 4 करोड़ जनता 1 रुपये किलो में गेहूं की प्राप्ति कर रही है. खेल के क्षेत्र में जो प्रावधान किया गया है. 54 प्रतिशत का इजाफा हुआ.

माननीय सभापति महोदय, मंदसौर नगर की एक प्रतिभा है नीलू डोडिया अभी हाल ही में उन्होंने जर्मनी में जो जूनियर बालिका की टीम गई थी कांस्य पदक जीता था मेरे मंदसौर शहर की यह बिटिया है उसने भी नाम रोशन किया है. मैं वित्तमंत्री जी से आग्रह करूंगा कुछ महत्वपूर्ण विषय इस बजट में छूट रहे हैं मैं चाहूंगा कि वह आम-जनता के लिये हैं गंभीरता के साथ उनको जरा नोट करें और किसानों को भी लाभांवित करें. गांधी सागर एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है उस झील के पानी का उपयोग रावत भाटा में हो रहा है, कोटा राजस्थान में हो रहा है और हम प्यासे हैं. कृषि के क्षेत्र में हम गांधी सागर का पानी मंदसौर एवं नीमच जिले में ला सकते हैं, पेयजल के लिये भी पानी मंदसौर एवं नीमच जिले में ला सकते हैं और उसकी कार्य योजना बनना चाहिये. जो किसान व्यावसायिक बैंकों से कर्जा लेते हैं वह कर्ज की अदायगी समय पर कर देते हैं बैंकों में उनकी भूमि बंधक रहती है जब किसान अपनी जमीन को मुक्त कराने के लिये जाता है उसको 1 प्रतिशत का अलग से पंजीयन शुल्क लगता है 5 लाख रूपये पर 5 हजार रूपये यह विसंगति है मध्यप्रदेश में पंजीयन शुल्क, पंजीयन शुल्क, नियम लागू है लेकिन मध्यप्रदेश के कई जिलों में पंजीयन शुल्क किसानों के लिये लगता है और कई जिलों में नहीं लगता है, लेकिन मेरे मंदसौर जिले में मेरी विधान सभा में ऐसे किसानों के लिये पंजीयन शुल्क लग रहा है तो मैं माननीय वित्तमंत्री जी से निवेदन करूंगा उसको समाप्त करने की कृपा करें. आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया धन्यवाद.

श्री बहादुर सिंह (महिदपुर)—माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2014-15 के बजट के आय-व्ययक पर मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं. पूर्व वक्ता डॉ.गोविन्द सिंह जी ने कहा था कि 70 प्रतिशत लोग

गांवों में निवास करते हैं तथा वह कृषक हैं, यह बात सत्य है. इस विधान सभा में भी अधिकांश कृषक लोग प्रतिनिधित्व करते हैं. कृषि का विकास करना अत्यंत आवश्यक है, कृषि के विकास करने के पहले हमें सिंचाई एवं ऊर्जा पर जाना पड़ेगा. वर्ष 2004 में प्रथम बार विधायक बनकर मैं इस सदन में आया था उस समय मध्यप्रदेश का सिंचाई का रकबा साढ़े सात लाख हैक्टेयर था. लगातार हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सिंचाई एवं ऊर्जा पर कार्य किया आज इस मध्यप्रदेश का सिंचाई का रकबा लगभग 25 लाख हैक्टेयर हो गया है अब चूंकि उन वर्षों की तुलना की जाये और इन वर्षों की तुलना की जाये. 2004 में जब हम विधायक बनकर आये थे मुझे बजट पर बोलने का मौका मिला था तो वर्ष 2003-04 में 2950 मेगावाट बिजली मध्यप्रदेश के पास थी और यह बढ़कर 2005-06 में जाकर 6 हजार मेगावाट बिजली इस मध्यप्रदेश में हो गई है और मुझे कहने में कोई अतिश्योक्ति नहीं है बजट मैंने पढ़ा 2014 के अंत में मध्यप्रदेश के पास 13 हजार मेगावाट बिजली हो जायेगी और मध्यप्रदेश ऐसा राज्य हो गया है जो अन्य प्रदेशों को यहां से बिजली देगा अगर इसी पर पूर्व की सरकार बिजली एवं सिंचाई पर काम करती तो प्रदेश कई गुना और आगे होता देखने में यह आया कि जहां पर पानी के बड़े बड़े डेम उपलब्ध हैं वहां पर बिजली उपलब्ध नहीं है और जहां पर बिजली उपलब्ध है वहां पर पानी उपलब्ध नहीं है और यदि बिजली एवं पानी दोनों उपलब्ध हैं तो कृषि करने योग्य वहां पर भूमि नहीं है इसलिये वित्तमंत्री जी से मैं व्यक्तिगत निवेदन कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश को और कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है तो 2012 एवं 13 में 161.25 लाख मेट्रिक टन गेहूं का उत्पादन इस मध्यप्रदेश ने किया है.

2012-13 में 161.25 लाख मैट्रिक टन गेहूं का उत्पादन इस मध्यप्रदेश ने किया है यह बढ़ कर 13-14 में 174.78 लाख मैट्रिक टन मध्यप्रदेश ने गेहूं का उत्पादन किया है और 2015 में हमारी सरकार का लक्ष्य है कि यह गेहूं का उत्पादन 219.00 लाख मैट्रिक टन हो जायेगा. लगातार गेहूं का उत्पादन बढ़ रहा है इसी तुलना में अन्य फसलें धान हो, मक्का हो, चना हो वह भी इस तुलना में पूरे प्रदेश में इनका उत्पादन बढ़ा है. कालूखेड़ा जी बहुत वरिष्ठ हमारे सदस्य हैं बाहर की गेहूं खरीदी से आप गेहूं उत्पादन की नीति उठा कर देख लो जितना रकबा है इससे ज्यादा कोई गेहूं तौल नहीं सकता है एक हेक्टेयर में हमारी सरकार ने उसको और कम कर दिया इतना गेहूं पैदा होगा तो गेहूं तो जितना पैदा पहले से हो रहा है उसका पंजीयन हो जाता है और जो किसान गेहूं पैदा कर रहा है दूसरा गेहूं कैसे तौलेगा ? जैसे मेरे खुद के गेहूं पैदा होते हैं और मेरे पंजीयन पर कोई दूसरा व्यक्ति गेहूं तौल दे तो मेरे गेहूं कहां लगेंगे इसलिये पास के राज्य से कोई गेहूं मध्यप्रदेश के द्वारा खरीदा नहीं गया है यह मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है.

माननीय सभापति जी, अब बात चल रही थी कि मां नर्मदा का शिप्रा में आलिंगन हो गया. हमारे सिसोदिया जी ने कहा है कि पूर्व में सेंधव जी यहां के सदस्य थे उन्होंने इस योजना को उठाया था और तत्कालीन सरकार ने कह दिया था कि यह विजिबिलिटी में नहीं आती है इसलिये इस योजना को नहीं बनाया जा सकता. यह बात सत्य है कि हजारों मेगावाट बिजली के बाद 300 मीटर से अधिक पानी को लिफ्टिंग करके मां शिप्रा में पानी लाया जा रहा है. यह इच्छाशक्ति है यह बात सत्य है कि बहुत ही मंहगी योजना है यह बात सत्य है कि लागत बहुत अधिक है लेकिन इस हिंदुस्तान के कालों के काल महाकाल उज्जैन में विराजित हैं और सिंहस्थ महा पर्व 12 वर्ष में एक बार आता है और आप सब मां शिप्रा में डुबकी लगाने के लिये आते हैं और 2016 में पुन: सिंहस्थ महापर्व आयेगा, हम आमंत्रित कर रहे हैं उज्जैन में आप सब सदस्य लोग जरूर पधारेंगे. हमारा हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा प्रसिद्ध महाकाल का मंदिर है तो वहां पैसे की सरकार काहे के लिये हो रही है आम जनता की व्यवस्था करने के लिये, आम जनता के फायदे के लिये इसलिये शिप्रा चलायमान नहीं थी वहां का पानी बहुत ही गंदा था, तो माननीय सभापति महोदय, इस योजना को 432 करोड़ रूपये की लागत से प्रथम फेज प्रारंभ हो गया और माननीय चावला जी सभापति जी बैठे हैं यह महिदपुर हो कर जाते हैं मां शिप्रा उज्जैन से सीधे महिदपुर जाती है और 55 किलो मीटर हमारे क्षेत्र में बहती है और आज शिप्रा आप जा कर देख लें कि इस समय पूरी सूखी होती थी तो लबालब पानी बहकर जा रहा है. कई स्थानों पर 10-10, 15-15, 20-20 फिट पानी भरा हुआ है और आगे जा कर यह राजस्थान में प्रवेश कर जाती है. इसी योजना के कारण आज शिप्रा प्रभावमान है.

मुझे और भी बहुत सारी बातें कहनी थीं, पर समय के कारण मेरे क्षेत्र की 1-2 बातें कहकर मैं 2 मिनट में अपनी बात को समाप्त करूंगा, यह मेरा सौभाग्य है कि मां शिप्रा मेरी विधान सभा क्षेत्र महिदपुर में बहती है और छोटी कालीसिंध भी मेरे महिदपुर में बहती है मैं वित्त मंत्री जी का मेरे क्षेत्र की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि 55 किलो मीटर शिप्रा बहती है और लगभग 60 किलो मीटर छोटी काली सिंध बहती है. मैंने आग्रह किया है और इस पर सिंचाई विभाग काम भी कर रहा है मैंने दोनों नदियों पर 5-5 मीटर के बैराज बनाने के लिये आग्रह किया है. माननीय सभापति जी, आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी को मैं सुझाव देना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र के यह 5-5 मीटर के यदि इन नदियों पर डैम बन जायेगा तो सिंचाई

का रकबा पूरे महिदपुर का कोई भी गांव नहीं बचेगा और साथ में उन योजनाओं से जो हम लिफ्टिंग करके जो जल आयोग, जल का एक विभाग बना है उससे हम 20-20, 30-30 गांवों को योजना बना कर हर गांव को पानी दे पायेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सभापति जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया.

श्री फुन्देलाल सिंह मार्को (पुष्पराजगढ़) -- सभापति महोदय, मैं मध्यप्रदेश के वर्ष 2014-15 के आय व्ययक पर सामान्य चर्चा पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं. निश्चित ही जिस तरीके से वित्त मंत्री जी ने बहुत ही सहज और सरल तरीके से महिमामंडित करते हुए मध्यप्रदेश के बजट को प्रस्तुत किया है. देखने और सुनने में ऐसा लगता है कि निश्चित ही इस प्रदेश की जनता का हित होगा. लेकिन आज भी ऐसे बहुत सारे कार्य हैं, जो बहुत से भारी भरकम बजट पास किये जाते हैं, लेकिन उन बजटों का सही उपयोग उन क्षेत्रों में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस पर भी ध्यान देना बहुत आवश्यक है.

सभापति महोदय, कृषि के विकास के लिये जहां हम बड़े बड़े बांधों का निर्माण कर रहे हैं और नहरों का निर्माण हो रहा है, उनके लिये बजट पास किया जा रहा है, लेकिन मैं अपने क्षेत्र पुष्पराजगढ़ के बारे में ही बताना चाहूंगा कि पिछले सत्रों में जो वहां के लिये बजट पास किया गया, जो कार्य स्वीकृत किये गये, वह पूरे के पूरे कार्य अधूरे पड़े हुए हैं. उसका सही उपयोग जनता को कृषि के क्षेत्र में लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण जो हमारे जंगल, पहाड़, पठार के क्षेत्र हैं, जहां वास्तव में किसान मात्र खेती पर ही आश्रित है. ऐसे किसानों को आज कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण कृषि के क्षेत्र में लाभ नहीं मिल पा रहा है. पिछल सत्रों में कई ऐसी महत्वपूर्ण योजनायें थीं, जिनके लिये राशि स्वीकृत की गयी. लेकिन वे अपूर्ण होने के कारण बहुत सारी उससे संबद्ध निर्माण एजेंसियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की कार्यवाही की गई. निश्चित ही मैं चाहूंगा इन कार्यों पर जो राशियां स्वीकृत की जाती हैं, उनका सही उपयोग हो और कृषि के क्षेत्र में जो प्रावधान किये गये हैं, वह निश्चित ही बहुत कम हैं. इन प्रावधानों को बढ़ाया जाना अति आवश्यक है, ताकि जो अपूर्ण कार्य हैं, जो नहरों का निर्माण है, उनका विकास है और जो नये छोटे बड़े बांध हैं, जलाशय हैं, उनके रख रखाव आदि पर जो राशि रखी गयी है, वह भी अपर्याप्त है, उनको और बढ़ाने की जरुरत है. हमारा यह प्रदेश जिस तरीके से कृषि के क्षेत्र में जो राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के माध्यम से कपिलधारा योजना के अंतर्गत कूप निर्माण हुए, निश्चित ही उससे हमारा सिंचाई रकबा बढ़ा है. आज जिस तरीके से इसको प्रस्तुत किया जा रहा है, यह सही है कि गांव के किसान कपिलधारा योजना के तहत बनाये गये कुओं के माध्यम से सिंचाई करके उनका एक-

दो एकड़ का सिचाई का रकबा बढ़ा है, जिसके कारण प्रदेश को कई अवार्ड भी प्राप्त हुए हैं. लेकिन आज भी ऐसे कार्य हैं, जो बहुत सारे कुएं,तालाब हैं, जिनका 50-50 साल पहले निर्माण किया गया और वे आज समतल होते जा रहे हैं, उन पुराने तालाबों का भी गहरीकरण, नवीनीकरण करने की जरुरत है. सभापति महोदय, चूंकि आज भूमि की कमी है, जनसंख्या बढ़ रही है. ऐसी स्थिति में हमारे जो पुराने तालाब हैं, उनके गहरीकरण की भी व्यवस्था की जानी चाहिये, ताकि जो पुराने तालाब हैं, जिनका कि आज अस्तित्व समाप्त होने की स्थिति में है, उस पर भी ध्यान देकर के, उनके लिये भी बजट का प्रावधान किये जाने की आवश्यकता है.

सभापति महोदय, जब हम वनीकरण की बात करते हैं. हमारा कृषि और वन का एक बहुत बड़ा महत्व है. आज जिस तरीके से पूरे मध्यप्रदेश में वन और जंगल का क्षेत्र है, वह कम होता जा रहा है. निश्चित ही हम आंकड़े कुछ भी बताते हों, लेकिन धरातल पर जाकर के देखा जाय तो आज देखने में ऐसा लगता है कि चूंकि वन और जंगल हमारे पर्यावरण से संबंधित हैं और हर व्यक्ति को इस पर चिंता करने की जरुरत भी है.

जब हम वन जंगल की बात करते है बजट पर जब हम ध्यान देते हैं तो निश्चित रूप से हम विकास और अन्य निर्माण कार्यों पर ज्यादा ध्यान देते हैं. हमारे पर्यावरण और वन जंगल की ओर बहुत कम ध्यान दिया जाता है. चूंकि मैं मां नर्मदा नदी के उद्गम स्थल अमरकंटक जो कि पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आता है, मैं वहां का प्रतिनिधित्व करता हूं इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र के वन वृत क्षेत्र शहडोल अंतर्गत मां नर्मदा की तराई में जो क्षेत्र हैं वहां पर लेन्टाना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है. जिसके कारण हमारे साल, बीज के वृक्ष धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं. इस पर भी सरकार को विचार करना चाहिये था इसके लिये भी बजट राशि में प्रावधान किया जाना चाहिये था. लेन्टाना ऐसी प्रजाति है जिसके नीचे कभी छोटे छोटे पौधे नहीं उग पाते हैं, लेन्टाना में कांटे होने के कारण दूसरे उगते पौधों को वह काट देता है. इसलिये मैं वित्त मंत्री जी से चाहता हूं कि हमारे पूरे वन वृत शहडोल के अंतर्गत वन क्षेत्र में लेन्टाना का प्रकोप बढ रहा है, उसके लिये योजना बनाकर के बजट में प्रावधान किया जाना आवश्यक है.

सभापति महोदय-- कृपया समाप्त करें.

श्री फुन्देलाल सिंह मार्को-- माननीय सभापति महोदय, विद्युतिकरण योजना अंतर्गत सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि हम पूरे प्रदेश को 24 घंटे बिजली का प्रदाय कर रहे हैं, मैं अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र की बात करना चाहता हूं. मेरे क्षेत्र में आज भी 100 से ज्यादा ट्रांसफार्मर एक वर्ष से ज्यादा से बिगड़े पड़े हैं . 6-6 माह ट्रांसफारमर बिगडे पडे हैं उनको सुधारने की कोई व्यवस्था विभाग द्वारा नहीं की जा रही है, न उन ट्रांसफार्मर को बदला जा रहा है, फिर 24 घंटे बिजली कहां से मिल पायेगी. बिगडे हुये ट्रांसफार्मर को बदलने अथवा सुधारने के लिये भी बजट में राशि उपलब्ध कराई जाये. मेरा विधानसभा क्षेत्र पूर्णतया आदिवासी क्षेत्र है, वहां पर लोग जंगल में , पहाडों में निवास करते हैं 100 तो मजरे टोले ऐसे हैं जो कि विद्युत से कौसों दूर हैं, वहां पर बिजली के लिये व्यवस्था की जाये. 100 से अधिक बसाहटों में बिजली पहुंचाने की व्यवस्था की जाये और ट्रांसफार्मर बदले जाने हेतु आवश्यक कदम उठाये.

सभापति महोदय-- कृपया समाप्त करें. बहुत से वक्ता बोलने के लिये अभी हैं.

श्री फुन्देलाल सिंह मार्को-- माननीय सभापति महोदय, अंतिम बात कहना चाहूंगा. आदिमजाति कल्याण विभाग के बारे में कहना चाहूंगा . मेरे पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 90 प्रतिशत आदिवासी लोग निवास करते है. इस बजट में हाई स्कूल का हायर सेकेन्डरी स्कूल में उन्नयन मात्र एक स्कूल में हुआ है. जब कि मेरे क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति यह है कि वहां पर लोग 15 किलोमीटर दूर जंगल, पहाडों से होते हुये हायर सेकेन्डरी में अध्ययन हेतु जा रहे हैं. मेरा वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि मेरे क्षेत्र मे जहां बच्चे अध्ययन हेतु लंबी दूरी तय करके जाते हैं , जंगल-पहाड, नदी-नाले क्रास करके जाते हैं, ऐसे इलाके को चिहिन्त करके छात्र छात्राओं की सुविधा के लिये हायर सेकेन्डरी और हाई स्कूलों का उन्नयन कर वहां के पढ़ने वाले बच्चों को शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराई जाये.

माननीय सभापति महोदय, मेरे पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में मात्र एक ही शासकीय महाविद्यालय है, यह महाविद्यालय 1981-82 में संचालित हुआ, 1991 में उसके भवन का निर्माण हुआ और उसके बाद न वहां छात्रावास की व्यवस्था है न उसका उन्नयन हुआ. जहां हम पूरे देश और प्रदेश में शिक्षा को अनिवार्य करने की बात करते हैं उस महाविद्यालय में बीएससी की कक्षायें संचालित हुई वह भी

स्ववित्तीय से प्रारंभ हुई, वहां पर 400 से ज्यादा आदिवासी बच्चे अध्ययनरत हैं.वहां पर मात्र एक महाविद्यालय संचालित है, मैं चाहूंगा कि स्ववित्तीय बीएससी की कक्षायें संचालित हो, छात्रावास की व्यवस्था की जाये और भवन निर्माण, खेलकूद और टीचर स्टाफ की व्यवस्था बजट में करने की कृपा करें ताकि हमारे क्षेत्र में शासन की मंशा के अनुसार कार्य किया जा सके. सभापति जी मेरे द्वारा जो मांगे वित्त मंत्री जो रखी गई हैं वित्त मंत्री जी बजट में व्यवस्था कराकर के वहां पर निर्माण आदि की व्यवस्था करेंगे, सभापति महोदय, आपने मुझे अपनी बात को रखने का अवसर प्रदान किया है, उसके लिये आपको बहुत बहुत धन्यवाद.

श्री शैलेन्द्र कुमार जैन(सागर)-- सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अपने प्रथम और भारतीय जनता पार्टी सरकार के 11 वें वित्तीय बजट 2014-15 का मैं महान शायर गालिब की इन लाईनों के साथ स्वागत करना चाहता हूं-- **हैं और भी दुनिया में सुखनबर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़ ए बयां और.**

सभापति महोदय, हमने बहुत सारे बजट देखें हैं, सुने हैं. श्री राघव जी भाई ने बहुत अच्छे अच्छे बजट यहां पर प्रस्तुत किये हैं लेकिन इस बार का जो बजट है यह निर्दोष बजट है. इसमें कहीं, कोई, किसी तरह की गुंजाइश देखने को नहीं मिलती. यह बजट केवल आंकड़ों का लेखा-जोखा नहीं है वरन् इस बजट में आशा भी है, विश्वास भी है, संवेदनाएं और संकल्प भी है. जहां किसान भाईयों के लिए आशा का संचार है. हमारे युवा साथियों के लिए जहां विश्वास का प्रतीक है. हमारी महिलाओं के लिए जहां संवेदनाओं का समन्दर है. प्रदेश की उन्नति और विकास की अपार संभावनाओं वाला यह संकल्प पत्र भी है.

सभापति महोदय, हमारी सरकार ने विज़न 2018 जो हमारी सरकार का दृष्टिपत्र है, उस दृष्टिपत्र में जिन जिन बातों का उल्लेख किया है यह जो बजट है वह उन्हीं सारी बातों को पूरा करने की दिशा में उठाया गया एक बहुत ही सार्थक कदम है. इस बजट का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं.

सभापति महोदय, मैं 2-3 विषय पर अपनी बात कहना चाहता हूं. दसवीं पंचवर्षीय योजना में हमारी अर्थव्यवस्था में जो वृद्धि की दर थी वह लगभग 6.5 प्रतिशत थी. वह ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में बढ़कर 9.94 प्रतिशत हो गई. कुशल वित्तीय प्रबंधन की वजह से वर्ष 2013-14 में जो सकल घरेलू आय(GDP) उसमें लगभग 11.08 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. यह वृद्धि राष्ट्रीय औसत की लगभग दुगुनी है. मैं कुशल वित्तीय प्रबंधन के लिए माननीय वित्त मंत्रीजी का धन्यवाद करना चाहता हूं.

सभापति महोदय, अभी हमारे विपक्ष के साथी कह रहे थे कि हजारों-करोड़ों रुपये का लोन ले लिया है और घी पीने का काम कर रहे हैं. सभापति महोदय, गरीब जनता के पैसे का घी किसने पिया है यह जनता और यह सदन जानता है. हमारी सरकार ने तो जो कुछ भी ऋण लिया उस धन का समुचित उपयोग करने की कोशिश की है. इसी का परिणाम है कि वित्तीय वर्ष 2003-04 में हमारी जो राजस्व प्राप्तियां थीं उस पर ब्याज का जो अधिभार था वह लगभग 22.4 प्रतिशत था. हमारी सरकार के वित्त मंत्री ने उस भार को घटाकर लगभग 6.7 प्रतिशत कर दिया. उनके कुशल वित्तीय प्रबंधन के लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं.

सभापति महोदय, कृषि के संबंध में बात कहना चाहता हूं. हमारे यहां एक कहावत बहुत प्रचलित है **उत्तम खेती मध्यम वाण, नीच चाकरी भीख निदान.** इस दृष्टि से हमने कृषि को सर्वश्रेष्ठ माना है. हमारे समाज में कृषि कार्य करने वालों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था लेकिन कालान्तर में गलत नीतियों की वजह से, गलत वित्तीय प्रबंधन की वजह से हमारी कृषि की स्थिति बहुत खराब हो गई थी.

सभापति महोदय, हमारी सरकार ने जब सत्ता संभाली तो उन्होंने खेती को लाभ का धंधा बनाने की दिशा में जो कुछ किया जा सकता.

क्योंकि प्रदेश को स्वर्णिम प्रदेश बनाना हमारा लक्ष्य है. इस नाते कृषि को लाभ का धंधा बनाना बहुत आवश्यक था. सभापति महोदय, मुझे इस बात का उल्लेख करते हुए अत्यंत गर्व और हर्ष होता है कि कांग्रेस की सरकार में जहां वर्ष 2003-04 में टोटल बजट लगभग 21000 करोड़ रुपए का होता था. अब अकेले कृषि का हमारा बजट 22000 करोड़ रुपए से अधिक है. मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय वित्त मंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं. मैं इस बात के लिए भी उन्हें बधाई देना चाहता हूं कि 150 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं और धान पर जो बोनस दिया जा रहा था, वही का वही बोनस मक्का उत्पादन पर भी दिया जाएगा. यहां इस बात का उल्लेख करना बहुत आवश्यक है, समीचीन है कि जो सुदूर अंचल में ग्रामीण अंचल में मक्के का उत्पादन है और विशेष रूप से आदिवासी भाइयों द्वारा किया जा रहा है. अतः उनको फसल का उचित लाभ मिले, उस फसल के आगे और भी बढ़ने की संभावना हो.

सभापति महोदय, मैं बुन्देलखंड से प्रतिनिधित्व करता हूं. हमारे यहां तो यह कहते थे कि जिस जमीन पर कुछ नहीं होता है, कहते हैं कि वहां भुट्टा उगा लिया जाता है. कुछ-कुछ जमीनें तो ऐसी हैं कि कहते हैं कि उस जमीन पर भुट्टा भी नहीं होता है. हमारे यहां मक्का को भुट्टा कहते हैं. मक्का की फसल को सम्मान दिलाने के लिए माननीय वित्त मंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं. इस सरकार ने एक काम बहुत अच्छा किया है कि कस्टम हायरिंग सेंटर, वे किसान भाई जो स्वयं कृषि उपकरण खरीदने में सक्षम नहीं हैं, ऐसे किसान भाइयों की सुविधा के लिए कस्टम हायरिंग सेंटर खोले गये हैं. इस वित्तीय वर्ष में लगभग 320 नये सेंटर खोलने का हमारी सरकार ने निर्णय लिया है. यह निर्णय भी बिल्कुल स्वागत योग्य है. इसमें मैं इस सरकार का और माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इसी तर्ज पर जो हमारे सुदूर अंचल में किसान भाई हैं, वे आम तौर पर साक्षर नहीं हैं. साक्षरता और ज्ञान के अभाव में बहुत सारी तकनीक का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं उन्हें अपनी जमीन के बारे में यह नहीं पता होता है कि उस जमीन में कौन-से तत्व की कमी है. उसमें अगर सॉइल टेस्टिंग के लिए मोबाइल यूनिट की व्यवस्था की जाय, हालांकि कुछ मोबाइल यूनिट प्रचलन में हैं. लेकिन मध्यप्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, उसको ध्यान में रखते हुए माननीय वित्तमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि 108 संजीवनी एक्सप्रेस चल रही हैं, बहुत उपयोगी हैं. इसी तर्ज पर अगर सॉइल टेस्टिंग के लिए व्यवस्था की जाय ताकि हमें यह पता चले कि हमारी जमीन में

किस तरह के खाद की कमी है. हमें पोटेशियम की जरूरत है कि नाइट्रोजन की जरूरत है कि जिंक की जरूरत है. इस तरह की सॉइल टेस्टिंग मोबाइल यूनिट चल जाने से हमारे किसान भाइयों को बहुत लाभ होगा.

सभापति महोदय, कृषि और पशुपालन दोनों एक-दूसरे के पर्याय हैं. इसलिए आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि आपने पशुपालन के लिए भी लगभग 861 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, वह भी प्रशंसनीय है. मैं आपको बधाई देना चाहता हूं. दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में श्री यशपाल सिंह सिसोदिया जी ने बताया था कि वर्ष 2013-14 में उत्पादन वृद्धि की दृष्टि से मध्यप्रदेश, देश में प्रथम स्थान पर रहा. कुल उत्पादन के हिसाब से देखा जाय तो देश में छठवें स्थान पर था. इसके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी और सरकार को बधाई देना चाहता हूं.

सभापति महोदय, मैं एक बात का और उल्लेख करना चाहता हूं कि किसानों के लिए बिजली के बिल में जो सरकार ने सहानुभूतिपूर्वक निर्णय लिया है, 50 प्रतिशत राशि सरकार ने स्वयं वहन करने का निर्णय लिया है और सरचार्ज की राशि को पूरा का पूरा माफ कर दिया है. यह भी प्रशंसनीय है. एक प्रश्न बार-बार ध्यान में आ रहा था कि माननीय वित्तमंत्री महोदय ने क्रेशर, लेवलर, स्क्रेपर, कल्टीवेटर, प्लाऊ जैसे अनेक संयत्र हैं, उनको वेट से मुक्त किया है. ऐसे में हार्वेस्टर जैसी बड़ी मशीन की उपयोगिता किसान भाइयों के लिए है. उन स्थानों पर जहां पर मजदूरों की समुचित व्यवस्था नहीं हो पाती है और अगर समय पर कटाई नहीं हुई तो उससे फसल को नुकसान हो सकता है. इस दृष्टि से वित्तमंत्री महोदय ने जो यह कदम उठाया है. उसकी भी मैं प्रशंसा करता हूं.

माननीय सभापति महोदय,अपने क्षेत्र की बात करूंगा . सड़कें जो हैं हमारी जीवन रेखा हैं. हमारे मध्यप्रदेश में लगभग 1-लाख 25 हजार किलो मीटर सड़कें हैं . उस दृष्टि से यदि देखा जाय तो संभागीय मुख्यालयों को फोर- लेन से जोड़ने का कार्य, जिला मुख्यालय को टू-लेन से जोड़ने का कार्य इस तरह से जो खाका तैयार किया है इससे निश्चित रूप से आवागमन की बहुत अच्छी सुविधा होगी. मैं अपने क्षेत्र की बात कहना चाहता हूं. एक रोड़ है जो भोपाल से शुरू होकर गैरतगंज और गैरतगंज से सिलवानी होते हुए सुल्तानपुर जाती है. ये रोड़ बीच में जाकर समाप्त हो जाती है. और उस रोड़ की कोई कनेक्टिविटी नहीं है.

2.16 बजे उपाध्यक्ष महोदय (श्री राजेन्द्र कुमार सिंह)पीठासीन हुए

हमारे विधान सभा क्षेत्र में दो नेशनल हाईवे जाते हैं . नेशनल हाईवे नंबर 86 और नेशनल हाईवे नंबर 26. मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वो सिलवानी जो रोड़ है वह BOT cum NUT वाली रोड़ है. उस रोड़ को अगर नेशनल हाईवे क्रमांक 86 और 26 से जोड़ दिया जायेगा तो उसकी उपयोगिता और भी अधिक हो जायेगी. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री जी मेरे सागर विधान सभा क्षेत्र में गये थे और उन्होंने हमारी सड़कों का अवलोकन भी किया था, परीक्षण भी किया था,उनके सेम्पल भी लिये थे, उनकी अभी तक रिपोर्ट भी नहीं आई है, वे सड़के बहुत जल्दी खराब हो गई हैं. मेरा आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन है कि ये हमारे बुन्देलकंड का संभागीय मुख्यालय है इस नाते सागर की सड़कों के लिए कुछ विशेष पैकेज अगर देने की कृपा करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा होगा.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिजली के संबंध में इस सरकार ने जितना अच्छा काम किया है और अभी हमारे पूर्व वक्ता कह रहे थे ,कुछ दल विशेष के बन्धु जो सामने यहां विराजमान हैं सब बिजली की वजह से हैं . मैं निश्चित रूप से माननीय ऊर्जा मंत्री जी को,माननीय मुख्यमंत्री जी को इस काम के लिए बधाई देना चाहता हूं . फीडर सेपरेशन का जो काम है उसके सुखद परिणाम आने शुरू हो गए हैं और 24 घंटे बिजली देने का सरकार का जो वादा है उसको पूरा करने की दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं. उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ये जो बिजली वितरण के क्षेत्र में

प्रायवेटाईजेशन हो रहा है ,इसमें थोड़ा चिन्ता करने की आवश्यकता है. हमारे सागर विधान सभा क्षेत्र में एस.एल.पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने जबसे कार्यभार संभाला है , सागर की विद्युत व्यवस्था में लगभग अराजकता सी स्थिति हो गई है और एस.एल.पावर के खिलाफ बहुत असंतोष का वातावरण हैं. न केवल बिजली के बिल अधिक आ रहे हैं, वरन बिजली भी मुख्यालय के हिसाब से नहीं मिल रही है और यह प्रयोग प्रदेश के अन्य हिस्सों में रोक दिया गया है. तो मैं नहीं समझता कि जब प्रदेश के अन्य हिस्सों में रोक दिया गया है तो सागर विधान सभा को उस एस.एल. नामक दैत्य से हमें कब मुक्ति मिलेगी.

उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं बिनती करना चाहता हूं, शिक्षा और स्वास्थ्य इन दोनों क्षेत्रों में यह सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है. और यह जो बजट है इसमें उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों के लिए बहुत अधिक राशि का प्रावधान किया है. ये प्रशंसनीय है. उपाध्यक्ष महोदय, सागर में हमारा एकमात्र विश्व विद्यालय होता था डॉक्टर हरीसिंग गौर विश्व विद्यालय. उसके केन्द्रीय विश्व विद्यालय बन जाने से, डॉक्टर गौर साहब जो उस विश्व विद्यालय के संस्थापक थे और 18 जुलाई , 1946 में उसकी स्थापना कर दी गई थी. लेकिन केन्द्रीय विश्व विद्यालय बन जाने के कारण से डॉ. गौर साहब का जो सपना था वह अधूरा रह गया. हमारे पिछड़े क्षेत्र के जो छात्र छात्राएं हैं वे एडमिशन लेने से वंचित हो रहे है. और ऐसे ही आपके माध्यम से मैं इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं सागर का एकमात्र जो गवर्नमेन्ट डिग्री कॉलेज है वहां पर बच्चियों की संख्या 7000 है और जो स्वाध्यायी हैं वो अलग हैं. ऐसे लगभग 10,000 बच्चे उस केन्द्र से परीक्षा दे रहे हैं. 7000 तो नियमित हैं. मैं माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं , अन्य प्रदेशों में इस तरह की व्यवस्था है , हमारे राजस्थान में वनस्थली करके एक बेटियों का विश्वविद्यालय है. ..

वनस्थली की तर्ज पर अगर सागर में भी वूमेन यूनिवर्सिटी खोलने की अगर आप घोषणा करेंगे तो वह सागर ही नहीं समूचे बुंदेलखंड में शिक्षा के क्षेत्र में जो कमी आ गई है और डॉ.गौर साहब का जो सपना अधूरा रह गया है, वह पूरा हो सकेगा.

उपाध्यक्ष महोदय—आपकी भावनाओं से मैं अपनी भावनाओं को जोड़ता हूं. अब आप समाप्त करें, धन्यवाद.

श्री शैलेन्द्र जैन—उपाध्यक्ष महोदय, अंत में दो लाईनें कहना चाहता हूं कि जिन्होंने आजादी के लिए, देश की खातिर, उसकी स्वतंत्रता के लिए जिस तरह से अपने प्राणों का बलिदान किया, यहां पर माननीय मुख्यमंत्रीजी ने बड़ी कृपापूर्वक शौर्य स्मारक बनाने का निर्णय लिया है, जो प्रशंसनीय है, उसी तर्ज पर सागर और समूचा बुंदेलखंड डॉ. गौर साहब के सपनों को साकार करना चाहता है और उसी तर्ज पर डॉ.गौर साहब का एक स्मारक बने, यह घोषणा माननीय वित्तमंत्री महोदय अपने भाषण में करेंगे और चूंकि वित्तमंत्री जी भी बुंदेलखंड से आते हैं, वह भी भी सागर विश्वविद्यालय में पढ़े हैं तो निश्चित रूप से डॉ.गौर साहब के लिए सम्मान होगा. It will be a tribute to Dr. Gaur Saheb. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी कृपापूर्वक आपने मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद.

डॉ.मोहन यादव (उज्जैन दक्षिण)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बजट पर अलग अलग मित्रों ने अपनी विस्तार से बात कही. हमारे प्रतिपक्ष के नेता सहित बाकी लोग भी सुनते तो ज्यादा अच्छा होता. हम उनको स्मरण कर रहे हैं कि हमारे तीन दिन का नुकसान करने के बाद जब अच्छी चर्चा की शुरूआत हो रही है तो वह यहां ज्यादा समय बिताते तो ज्यादा बेहतर होता. मेरे एक और मित्र रीवा वाले तिवारी जी को भी स्मरण कर रहा हूं, उनकी जगह दूसरे मित्र बैठ गए हैं, मैं उनको देखकर कोशिश कर रहा हूं कि तिवारी जी भी यहां मौजूद होते तो ज्यादा अच्छा होता. उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्तमंत्री जी ने जो बजट रखा है, मैं उसकी प्रशंसा करता हूं और जिस प्रकार से विविध क्षेत्रों को इसमें कवर करने की कोशिश की है, खासकर मेडीकल कालेज के संबंध में जो शुरूआत की गई है, जो चार मेडीकल कालेज नए खुलने वाले हैं, जिसमें रतलाम, सिवनी, शहडोल आदि हैं, इनके माध्यम से जो बड़े पैमाने पर प्रश्नकाल में भी यह प्रश्न आया था, हमारे यहां चिकित्सा क्षेत्र में जो डाक्टरों की कमी है, इससे उनकी पूर्ति होने की बहुत संभावना है. एक विषय जिसे मैंने ध्यानाकर्षण में भी लिया था, उस विषय पर मैं विस्तार से थोड़ी बात रखना चाहूंगा. नर्मदा-क्षिप्रा लिंक योजना की बात आई, इस योजना के गर्भ में जाएं तो ध्यान में आएगा कि यह एक ऐसी योजना थी, जिस योजना पर आज से तीस साल पहले काम प्रारंभ हो जाना चाहिए था, पता नहीं किस कारण से वह काम टलता रहा और हम सबको मालूम है कि जब यह नदी घाटी योजना चालू हुई, उस योजना के दरम्यान चार राज्यों का एक एम.ओ.यू. हुआ था, जिसके माध्यम से अगर हम अपना बेक वाटर

उपयोग में नहीं लेते तो निश्चित रूप से इस सारे जल के ऊपर गुजरात का अधिकार हो जाता, अगर गुजरात का अधिकार हो जाता तो यह हमारे मध्यप्रदेश के लिए बड़े पैमाने पर नुकसानदायी होता. मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रशंसा करना चाहता हूं, पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री माननीय अर्जुनसिंह जी, माननीय दिग्विजय सिंह जी जिस योजना के लिए बोल चुके थे कि नर्मदा क्षिप्रा योजना असंभव है, जो विधानसभा के रिकार्ड में भी मौजूद है, ऐसी असंभव योजना को संभव करने का अगर किसी ने प्रयास किया है तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है. 432 करोड़ की योजना के माध्यम से उन्होंने इस बात को सिद्ध किया है कि नदी जोड़ो अभियान की जो कल्पना माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में की गई थी, इसके माध्यम से सभी प्रदेशों में उन्नति की नई लाईन खींची जा सकती है और मैं इस बात के लिए प्रशंसा इस नाते से भी करना चाहता हूं कि न केवल नर्मदा क्षिप्रा लिंक योजना के माध्यम से पूरे उज्जैन को बल्कि उज्जैन के माध्यम से प्रदेश और देश के अंदर धार्मिक श्रद्धालुओं को क्षिप्रा जी में शुद्ध जल मिलने का प्रयास होगा. मैं मुख्यमंत्रीजी की इस बात की भी प्रशंसा करना चाहूंगा कि उन्होंने जो प्रारंभ में घोषणा की थी कि खाली नर्मदा क्षिप्रा लिंक योजना नहीं होगी, इसके बाद गंभीर, कालीसिंध, पार्वती और अंत में जाकर चंबल नदी से जोड़कर इस समूची योजना को पूर्ण करेंगे. मैं इस बात के लिए उनकी प्रशंसा करना चाहूंगा कि 25 हजार करोड़ की अब दूसरे फेज की गंभीर नदी से नर्मदा को जोड़ने की जो शुरूआत हुई, इसके माध्यम से इंदौर सहित पूरे मालवा में जल की बड़े पैमाने पर जो कमी होती है, जो 800 से 1000 फिट के नीचे जो वाटर लेवल पहुंच गया है, यह जल के लिए अत्यंत आवश्यक है कि नर्मदा जी हम सबके लिए खासकर मालवा की दृष्टि से इसका उपयोग इस नाते प्रारंभ हुआ है, अब आगे उम्मीद करते हैं कि चंबल तक हम जाएंगे, उसके पहले पार्वती और काली सिंध में भी इसकी जल राशि सबको मिलने लगेगी. मैं माननीय उपाध्यक्ष जी आपका ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारे सिंहस्थ में आने वाले 2016 की दृष्टि से विविध क्षेत्रों में मुझे ध्यान में आता है कि..

2004 के सिंहस्थ में मात्र 4 महीने का समय मिला था भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने, उसके कारण से तमाम् प्रबंध क्क करने के बावजूद भी ऐसा लगा था , कोई भी सरकार रहे, मैं

आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि यह जो कुम्भ के मेले में 12 साल में एक बार मेहमान आते हैं, ये पूरे देश और विदेश से आते हैं और पूरे प्रदेश की इज्जत दाव पर लगती है इसलिए समय से पहले इन पर काम होना चाहिए . मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने 160 करोड़ की राशि इस सिंहस्थ के कामों के लिए भी रखी है, जिसके माध्यम से विविध काम जो दो साल पहले चालू हुए हैं और लगातार उसकी गति बनाते हुए सभी क्षेत्रों में, चाहे सिंचाई का क्षेत्र हो, चाहे पीडब्ल्यूडी का क्षेत्र हो, चाहे अनेकानेक विभाग है जिन विभागों के माध्यम से सिंहस्थ के समय इनकी उपयोगिता सिद्ध होगी. मैं एक खास बात की ओर भी ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ कि साइंस टेक्नालॉजी के माध्यम से जो बड़े पैमाने पर हमारे इस प्रदेश की और उज्जैन की एक विशेष पहचान दुनिया में है उसके माध्यम से भी आपने धनराशि का संयोजन किया है जिसके माध्यम से भविष्य में हमारा प्लेनेटोरियम, हमारा डोंगला नामक प्रोजेक्ट के माध्यम से दुनिया में भविष्य के लिए ग्रीनविच के बजाय, यह भारत में और भारत में मध्यप्रदेश और मध्यप्रदेश में उज्जैन से समय की गणना का केन्द्र बनेगा. मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि हम सब जिस ढंग से प्रयास कर रहे हैं क्योंकि जब सरकारे बन जाती हैं तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के दल की भावना से ऊपर उठकर के जो अच्छे काम हों उनकी प्रशंसा करना यह हम सबका दायित्व बनता है और यही प्रजातंत्र की मूल भावना भी है. मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में जिस प्रकार से यह बजट बनाया गया है इसमें दो तीन बातें जोड़ना चाहूंगा कि खासकर जो धार्मिक पर्यटन का हमारा क्षेत्र है, यह छूट जाता है लेकिन मैं इस बात के लिए भी माननीय वित्त मंत्री जी की प्रशंसा करना चाहूंगा कि जिन्होंने धर्मस्व के माध्यम से भी और धर्मस्व के अलावा पर्यटन के माध्यम से भी धार्मिक तीर्थाटन के लिए चाहे किसी धर्म का भी हो, मुस्लिम धर्म का हो, हिन्दू धर्म का हो, इनके लिए भी धनराशि का प्रबंधन किया है.

माननीय उपाध्यक्ष जी,मैं इसओर भी आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि हमारे यहां जो हवाई यातायात की सुविधा है इस हवाई यातायात की सुविधा को बढ़ाने का प्रयास पिछले समय एयर टैक्सी के माध्यम से टूरिज्म कारपोरेशन ने किया था. आज के समय में वर्तमान में कई सारे क्षेत्र में यह बहुत सामान्य बात हो गई है तो हमारे यहां एक हवाई पट्टी के लिए भी विमानन विभाग की तरफ से अलग अलग प्रस्ताव दिये हैं लेकिन इसमें भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आपके माध्यम से बात पहुंचाना चाहूंगा क्योंकि विमानन विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है तो उज्जैन में नाइट लेंडिंग की सुविधा होना चाहिए. इसके साथ साथ प्रदेश में भी कई ऐसी

संभावना वाली हवाई पट्टियां हैं जिनका उन्नयन क करने की आवश्यकता है जिनमें विकास की आवश्यकता है इसमें उज्जैन को मैं प्राथमिकता इसलिए देता हूँ कि बड़े बड़े विमान जब आते हैं, आज भी जब अनिल अंबानी जी आते हैं, आडवाणी जी आते हैं, ऐसे बड़े प्लेन आते हैं तो उज्जैन में उतर नहीं पाते हैं तथा रात हो जाती है तो नाइट लेंडिंग की दिक्कत के कारण इन्दौर जाना पड़ता है और भस्म आरती का समय प्रात:4 बजे का रहता है. मैं विमानन विभाग के माध्यम से बात पहुंचाना चाहता हूँ कि नाइट लेंडिंग की सुविधा उज्जैन में प्रारम्भ की जाए और वैसे भी विमानन का कायदा है अगर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का कोई विमानतल हो उसके पास में एक वैकल्पिक विमानतल होना चाहिए. इस नाते इन्दौर में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का विमानतल है तो उज्जैन में एक वैकल्पिक विमानतल प्रारम्भ किया जाना चाहिए.

उपाध्यक्ष महोदय-- आप इसके लिए एक संकल्प ले आएं.

डॉ. मोहन यादव-- आपका बहुत बहुत आभार, मैं वह संकल्प भी ले आऊंगा.मैं पीडब्ल्यूडी मंत्री का भी अभिनंदन करना चाहूंगा जिन्होंने कहा कि गुणवत्ता के मामले में मैं कोई समझौता नहीं करुंगा.मैं एक अंतिम निवेदन करना चाहूंगा कि इन्दौर-उज्जैन रोड का जो हमारा फोरलेन का काम आधा छुटा हुआ है वह इस बजट में आकर के पूरा हो जाए क्योंकि बड़े पैमाने पर इसकी आवश्यकता है और लगभग एक लाख यात्री इस रोड से निकलते हैं और भारी दिक्कत का विषय हो रहा है . इसी के साथ साथ और छोटे मोटे काम हैं, मैं बाद में बोलूंगा.आपने बोलने के लिए समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद.

श्री जयवर्द्धन सिंह(राघौगढ़)--- माननीय उपाध्यक्ष महोदय,आपने मुझे 2014-15 के बजट की सामान्य चर्चा पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारा मध्यप्रदेश किसानों का प्रदेश है और पिछले एक साल से हर किसान के घर में, हर गांव में अगर सबसे बड़ी चिंता थी तो जो प्राकृतिक आपदा आई थी, उसके बारे में थी. माननीय वित्त मंत्री जी के भाषण में इस बात का उल्लेख भी था कि इस बार जो बीमा राशि मिलेगी वह बीस गुना अधिक मिलेगी. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अफसोस इस बात का है कि पिछले साल भी जो सोयाबीन की फसल हमारे गुना जिले में नष्ट हुई थी ,उसका अभी भी बीमा नहीं मिला है और साथ ही हमारे राघौगढ़ विधानसभा में भी ऐसे अनेक गाँव हैं जहाँ पर गेहूं, चना , धनिया की फसल ओलावृष्टि के कारण नष्ट हुई थी ,मगर वहाँ भी अभी तक मुआवजा नहीं मिला है. उपाध्यक्ष महोदय, जब हम 2014-15 के बजट के बारे में चर्चा करते हैं तो उसका मतलब यह भी है कि आने वाले साल में जो किसानों की समस्यायें आने वाली हैं उसके बारे में भी उल्लेख होना चाहिए. पिछले दो तीन महीनों से पूरे देश भर में यह चर्चा है कि इस बार अलनीनो पूरी दुनिया में आने वाला है उसके कारण हमेशा भारत में ड्राउट आता है और इस बार भी मानसून जिस तरह से डिले हो गया है उससे एक बात स्पष्ट है और आज के अखबार में भी आया है कि पूरे प्रदेश के एक-एक जिले में इस बार ड्राउट आने वाला है तो उसके लिए बजट में ऐसी क्या सुविधा है, उसके बारे में इस बजट में कुछ उल्लेख नहीं है. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसान के लिए सिंचाई , बिजली आवश्यक तो होती है मगर उसके साथ आपके बजट में सुदूर ग्राम सड़क योजना और खेत सड़क योजना का भी उल्लेख है. यह योजना अच्छी है किन्तु अगर आप किसी भी गांव वाले से चर्चा करेंगे, किसी सरपंच या सेक्रेटरी से चर्चा करेंगे तो उस पर जो एक नियम है कि उसमें 30 फुट की विड्थ होनी चाहिए , वह संभव नहीं हो पाता है क्योंकि आप जानते हैं कि वहाँ पर काफी क्रैम जगह होती है तो उस पर भी कुछ संशोधन आना चाहिए. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप देखे तो 50 साल पहले एक किसान के पास 100 बीघा जमीन थी अगर उसके पांच बेटे हुए और जमीन बंटवारा हुआ तो वही 100 बीघा जमीन 20 बीघा प्रतिव्यक्ति के लिए हो गई और उनके बच्चों को उससे भी कम जमीन मिली. मेरे कहने का मतलब है कि जैसे ही नया समय आता है, जमाना आगे बढ़ता है. कृषि में टेक्नालाजी का जो इनोवेशन आता है उससे किसान को और आसानी होती है और जो

पहले एक खेत पर 10 किसान काम करते थे, ट्रैक्टर और हार्वेस्टर्स के माध्यम से वही किसान अकेले वह खेती कर सकता है. उसके कारण आज पूरे प्रदेश और भारत में नया ट्रेंड आ गया है उस ट्रेंड को हम रूरल टू अर्बन मायग्रेशन कहते हैं. जहाँ अधिकतर किसानों के बेटे कॉलेज के लिए , रोजगार के लिए गांव से दूर, गांव से हटकर वह शहर में आते हैं वहाँ पर रोजगार ढूंढते हैं....

उपाध्यक्ष महोदय-- और कितना समय लेंगे?

श्री जयवर्द्धन सिंह--- अभी तो शुरुआत ही की है. अभी तो अनेक विषयों पर बात रखनी थी.

उपाध्यक्ष महोदय-- विभागों की डिमांड्स जब चर्चा आएगी तब उसमें बोल लीजियेगा. वित्तमंत्री जी का भाषण भी अभी होना है.

श्री जयवर्द्धन सिंह--- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार मुख्यमंत्री रोजगार योजना है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य यही है कि लोग स्वरोजगारी बने उनको उससे लाभ मिले. मगर माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्यों न जो इंडस्ट्रीज की आज आवश्यकता है हमारे ग्रामीण क्षेत्र के पास अगर आप देखें तो अधिकतर लोग मध्यप्रदेश में कृषि में व्यस्त हैं और काम करते हैं तो एक फूड पार्ट जैसा कांसेप्ट जिसकी आज

केन्द्र में योजना भी है. क्यों न उसका लाभ कम से कम एक एक जिले में किया जाए क्योंकि किसान को उसका उत्पादन बेचने से फायदा मिलता है मगर उसके आगे भी कहीं न कहीं जो वैल्यू एड फूड प्रोसेसिंग के बाद होता है. उसका किसानों को लाभ नहीं मिल पाता है.

उपाध्यक्ष महोदय-- विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 23 के अनुसार शुक्रवार की बैठक के अंतिम ढाई घंटे गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के संपादन के लिए नियत हैं परन्तु आज कार्यसूची में उल्लेखित बजट पर सामान्य चर्चा पूर्ण होने के उपरांत अशासकीय कार्य लिया जाएगा.

(सदन द्वारा सहमति व्यक्त की गई.)

श्री जयवर्द्धन सिंह-- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी के भाषण में इस बात का भी उल्लेख था कि जो प्रदेश में बड़े शहर हैं वहाँ पर आय टी पार्क बनाए जाएँगे. मगर उसमें मेरा एक सुझाव है कि क्यों न बाकी जो बड़ी नगर पालिका भी हैं, वहाँ पर भी इसका इंट्रोडक्शन होना चाहिए. अगर आप देखें तो माननीय कमलनाथ जी के क्षेत्र छिंदवाड़ा में भी एक बी पी ओ सेंटर है जिससे अनेक लोगों को

रोजगार मिला है तो इसके लिए भी हमको कोशिश करना चाहिए क्योंकि आज बी एस एन एल के द्वारा जो फायबर ऑप्टिक केबल है, अधिकतर जो नगर पालिकाएँ हैं वहाँ पर उपलब्ध है तो उससे काफी रोजगार मिल भी सकता है और यह बात भी रिसर्च के द्वारा काफी क्लियर है कि जो लोग एक छोटे शहर में नौकरी करते हैं वहाँ पर इन्फ्लेशन रेट लो होती है, वहाँ पर वे उसी कंपनी में काम करते रहते हैं तो अगर आप बी पी ओ कॉल सेंटर जैसा इन्फ्रास्ट्रक्चर, अगर आप छोटे शहर में भी ला सकते हैं तो इससे काफी रोजगार लोगों को मिल सकता है.

उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा और स्वास्थ्य युवाओं के भविष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं. बजट में टीचर्स के लिए प्रशिक्षण प्रोग्राम्स का उल्लेख है. हमारे प्रदेश में आर आई भी हैं, डाइट के सेंटर्स भी हैं, मगर आप कोई भी जिले के डाइट के सेंटर को देखिए तो वहाँ पर जो बुनियादी व्यवस्थाएँ हैं, जो इन्फ्रास्ट्रक्चर है, वह कितने लो स्टेंडर्ड का है और अगर वहाँ पर हम परिवर्तन ला सकते हैं तो उससे मैं मानता हूँ काफी फायदा मिल सकता है. उसके साथ वित्त मंत्री जी के भाषण में यह भी लिखा है कि उच्च शिक्षा में वर्तमान सकल पंजीयन अनुपात 19.5 प्रतिशत को वर्ष 2020 तक बढ़ाकर 30 प्रतिशत किए जाने का लक्ष्य है.

उपाध्यक्ष महोदय, व्यापम की चर्चा में वरिष्ठ मंत्री गौरीशंकर शेजवार जी ने कहा था कि 2003 के पहले जो गलत योजनाएँ थीं भर्ती में उसके ही कारण आपने व्यापम में यह संशोधन लाया गया था. उसके बाद आपने बाकी विभाग से जहाँ से भर्तियाँ होती हैं आपका यह लक्ष्य था कि वह सब सेंट्रलाइज हो सके. मगर जो 2012 में नियम में संशोधन हुआ था. कौनसे नियमों में, जब माननीय अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तो उस समय नियम था, जो उन्होंने सन् 1980 में बनाया था कि जो भी सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा देता है. यह बात अनिवार्य थी कि उसका पंजीयन प्रदेश के रोजगार कार्यालय में आवश्यक था. मगर जो संशोधन इसमें 2012 में आया था उसमें यह नियम हटाया गया जिससे प्रदेश के बाहर के लोगों ने भी यहाँ पर भर्ती ली है. उसके साथ जो नियम सन् 1998 में बनाया गया था जिसमें कोई भी जो सरकारी नौकरी के लिए ट्राय करता था उसको 10 वीं या 12 वीं की परीक्षा उनमें से एक प्रदेश में देना भी अनिवार्य था. वह नियम भी 2012 में मिटाया गया और चूँकि आपने इस बात का उल्लेख किया है कि अगले कुछ सालों में आप व्यापम में भर्तियाँ बढ़ाना चाहते हैं तो मैं यही प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि यह सब भर्तियां प्रदेश की होंगी या

बाहर के लोगों को भी इससे फायदा मिलेगा हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिये कि हमारे प्रदेश के लोगों को ही फायदा मिलना चाहिये.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज प्रश्नकाल में अनेक भाजपा के विधायकों ने एक प्रश्न डॉ. नरोत्तम मिश्रा जी से पूछा था कि जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और जिला स्वास्थ्य केन्द्र में अनेक पद रिक्त हैं उसके लिये अभी तक क्या हो रहा है. मैंने बजट भाषण में पढ़ा था कि ऐसे नये मेडिकल कॉलेज शुरु हो रहे हैं मगर उसके अलावा हमारे ऐसे कितने बीएससी नर्सिंग कॉलेज हैं कितने ऐसे संस्थान हैं जहां पर पैरा मेडिकल स्टाफ की ट्रेनिंग हो रही है जो पहले जन स्वास्थ्य रक्षक होते थे जो गांव-गांव में प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में जा सकते थे काम कर सकते थे उनके बारे में हम क्या कर रहे हैं.

उपाध्यक्ष महोदय, अंत में कुपोषण के बारे में बात करना चाहता हूँ. जो बच्चा बचपन में कुपोषित होता है वह बड़े होने के बाद कुपोषण से बाहर नहीं आ सकता है जो बच्चे पांच वर्ष से कम आयु के होते हैं उनके लिये RUTS की एक टेक्नालॉजी है अगर हम उसका उपयोग करेंगे तो उससे बच्चों को काफी फायदा मिलेगा.

उपाध्यक्ष महोदय, बहुत दुख की बात है कि आज पूरे देश में जब हम वुमन रेप की बात करते हैं तो सबसे अधिक केसेस अगर कहीं है तो वह मध्यप्रदेश में हैं. भाषण में इस बात का भी उल्लेख है कि भोपाल में क्राइसेस सेंटर शुरु किया है वह भोपाल में ही नहीं हर जिले में होना चाहिये ताकि जिन महिलाओं के इस स्थिति से गुजरना पड़ता है उन्हें सुविधा मिले.

उपाध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का मौका दिया उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद.

श्री अनिल फिरोजिया (तराना)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करना चाहूंगा कि आपने मुझे विधानसभा में सदन में बजट के ऊपर बोलने का मौका दिया है. मैं मध्यप्रदेश के वित्त मंत्रीजी माननीय जयंत मलैया जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने मध्यप्रदेश का शानदार बजट पेश किया है. मैं मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्रीजी को भी धन्यवाद दूंगा कि प्रदेश में ऐसा पहला बजट माननीय वित्त मंत्रीजी ने पेश किया है जिसमें कोई भी नया कर नहीं लगाया अपितु जो बढ़े हुए कर थे उनको कम किया गया है.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने कृषि उपकरणों को करमुक्त किया है जिससे कृषि को बढ़ावा मिलेगा. बिजली के सरचार्ज का आधा पैसा सरकार देगी इस व्यवस्था से किसान को एक प्रकार से पुनर्जन्म देने का काम किया गया है क्योंकि अभी हाल ही में जो ओलावृष्टि हुई थी उससे किसानों को बहुत नुकसान हुआ था और किसान लगभग बरबाद हो गये थे. मैं जिस विधान सभा क्षेत्र से आया हूं वहां पर मैंने देखा कि डिब्बे बराबर ओले गिरे जिससे हमारे यहां कि 80 से 90 प्रतिशत फसलें बर्बाद हो गई. जो सरचार्ज माननीय वित्त मंत्री जी ने कम किया है और यह निर्णय लिया कि आधा जो बिल है वह मध्यप्रदेश सरकार भरेगी यह वास्तव में एक अच्छा प्रयास है. मैं सरकार द्वारा जो मक्के के समर्थन मूल्य पर 150 रुपये प्रति क्विंटल की दर से समर्थन मूल्य बोनस का देने का प्रावधान किया है यह भी एक अनूठी पहल है जिससे 35 लाख किसान भाईयों को सीधा फायदा पहुंचाने का सरकार ने काम किया है. जो मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा सपना देखा गया है कि कृषि को मुनाफे का धंधा बनाना है. यह उसके लिये अच्छा प्रयास है. माननीय मुख्यमंत्री जी ने कृषि क्षेत्र में 22 हजार करोड़ रुपये खर्च का जो प्रावधान रखा है जो कि पिछले बजट में 19.15 प्रतिशत अधिक है. उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो मुझे बोलने का मौका दिया है उसके लिय मैं आपको धन्यवाद देता हूं. यह जो बजट रखा गया है यह वास्तव में किसानों के हित के लिये और युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिये अच्छा है और जो वित्त मंत्री जी ने ऋण योजना लागू की है जिसमें 65 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है उसके लिये मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं. 2016 में जो सिंहस्थ होने वाला है उसके लिये 165 करोड़ रुपये प्रावधान रखा गया है मैं उज्जैन जिले का हूं उसके लिये धन्यवाद ताकि अच्छी योजनाएं और सिंहस्थ व्यवस्थित हो जाएगा और देश-विदेश से लोग आते हैं उनको भी फायदा मिलेगा. धन्यवाद.

श्री सुखेन्द्र सिंह(मऊगंज) – माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे जो बोलने का मौका दिया उसके लिये धन्यवाद. जो सदन में माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया. हमारा प्रदेश 70 प्रतिशत कृषक हैं और यहां पर किसानों के लिये जो छूट उपकरणों में दी गई है मैं समझता हूं कि वह उपकरण जिनमें छूट दी गई है यहां जितने सदस्य उपस्थित हैं मैं समझता हूं कि वे उनका नाम तक नहीं जानते होंगे. जो जरूरी चीजें थीं इस बजट में इन उपकरणों में कोई छूट नहीं दी गई है. अत: माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि इन उपकरणों पर छूट देते तो निश्चित रूप से हमारे किसानों को लाभ होता. हमारे बीच में हमारे जिले के ऊर्जा मंत्री जी बैठे हैं. बिजली की कैसी स्थिति है. अभी 24 घंटे बिजली देने की चर्चा हुई तो हमारे विपक्ष के कुछ सदस्य कह रहे थे कि 24 घंटे बिजली नहीं मिलती..

जब हमारे विपक्ष के कुछ सदस्य 24 घंटे बिजली की बात कर रहे थे कि 24 घंटे बिजली उपलब्ध नहीं रहती है. तो ऊर्जा मंत्री जी ने कहा कि तभी आप लोग 72 से 58 पर आ गये, लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है कि निश्चित रूप से आपकी विधान सभा रीवा पड़ती है तो रीवा में कम से कम एक एक, दो दो घरों के बीच में आपने राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना का उपयोग करते हुए एक एक दो दो ट्रांसफार्मर लगवाये हैं, लेकिन मैं पूरे प्रदेश की स्थिति राजीव गांधी विद्युतीकरण की तो नहीं बात कर सकता हूं रीवा जिले में और भी विधान सभाएं हैं मेरी मऊगंज विधान सभा है वहां पर कुछ खम्भे, ट्रांसफार्मर फेंक दिये गये हैं, तार का कहीं पर पता नहीं है उसके लिये भी आपको चिन्ता होनी चाहिये. स्वास्थ्य विभाग के बारे में हमारे वित्तमंत्री जी ने बताया कि हमने सुना था कि सागर, उज्जैन और एक दो बड़े शहरों में स्वास्थ्य सुविधा दी जा रही है, लेकिन माननीय वित्तमंत्री जी आपको मालूम हो कि जो जरूरत की चीज है हमारे प्रदेश की जनता को जरूरत है वो गांवों में निवास करती है जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की वैसे भी गांवों में जरूरत होती है जहां पर आज भी नहीं हैं वहां के ग्रामीण एवं गरीब बड़ी अस्पतालों तक पहुंचते पहुंचते मर जाते हैं. उसी तरह की विधान सभा मऊगंज भी है, वहां आदिवासी क्षेत्र है, पिपराई अंचल, जहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रस्तावित है लेकिन वहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के लिये कोई बजट नहीं दिया गया है इसी तरह की तमाम समस्याएं हैं, अन्य प्रदेशों में मोबाईल फोन पर पांच प्रतिशत कर लग रहा है जब कि हमारे प्रदेश में 13 प्रतिशत कर, जो कि हरेक व्यक्ति की आवश्यकता है. हमारे जल संसाधन विभाग में रीवा जिले में गुढ़, मऊगंज उद्वहन सिंचाई की परियोजना है, लेकिन यह योजना हमारी हनुमना क्षेत्र में पेयजल के लिये आज भी वहां पर सुविधा नहीं है अतः यही योजना हनुमना तक पहुंच जाती तो शायद जो रकबा असिंचित है, सिंचाई के लिये पानी नहीं मिल पा रहा है उससे निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र को यह लाभ मिल सकता था. मैं ज्यादा कुछ न बोलते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं. धन्यवाद.

श्री मुकेश नायक(पवई)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सवा लाख करोड़ रूपये का बजट हमारी मध्यप्रदेश की सरकार ने दिया है. जब 1985 में पहली बार जनप्रतिनिधि बना था तो मध्यप्रदेश का बजट 2800 करोड़ रूपये था. 1951-52 में पूरे भारत वर्ष का बजट पौने तीन सौ करोड़ रूपये था. एक लंबी यात्रा

हमारे देश ने तय की देश की निरंतर प्रगति हुई है और प्रदेश की भी और आज 1 लाख 15 हजार करोड़ का बजट मध्यप्रदेश की सरकार ने रखा है, बजट पर कुछ बात करूं उसके पहले मैं वित्तमंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक महालेखाकार परीक्षक द्वारा राज्य के वित्तीय लेखे-जोखे का आडिट किया जाता है और उस पर राज्यपाल को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है जिस पर विधान सभा में चर्चा करानी होती है ताकि जन प्रतिनिधियों के माध्यम से हमारे मध्यप्रदेश की जनता यह जान सके कि मध्यप्रदेश की जनता की जो गाढ़ी कमाई का पैसा है उसका नियोजन कहां कहां और किस किस मद पर हो रहा है वित्तमंत्री जी आप इस पुस्तक को पहचानते होंगे कि यह सीएजी की रिपोर्ट है आपको मालूम है कि सीएजी की रिपोर्ट में क्या लिखा है, इसकी रिपोर्ट में लिखा है कि लगभग 72 हजार करोड़ के खाते जो आपने रिपोर्ट समिट की है उसका मिलान नहीं हो रहा है इस बजट की किताब में यह लिखा है सिचांई विभाग के 9 हजार करोड़ की राशि, यह मैं नहीं कह रहा हूं.

आपकी सरकार ने 2012 की सी.ए.जी. की इस रिपोर्ट को विधान सभा के पटल पर रखा है और विधान सभा सत्र के आखिरी दिन रखा ताकि लोग पढ़ ना पायें. गवर्नर के पास आपने भेजा कि नहीं, मुझे नहीं मालूम लेकिन इस पर.....

उपाध्यक्ष महोदय--आसंदी के माध्यम से संबोधित करें.

श्री मुकेश नायक--उपाध्यक्ष महोदय, सदन में इसको चर्चा के लिये सरकार ने नहीं रखा. इसमें लिखा है कि 9 हजार करोड़ से ज्यादा की राशि जो सिंचाई विभाग को आबंटित की गई थी, उसका कोई उपयोग नहीं हो पाया. आप कल्पना करें मैंने कहा कि जब मैं पहली दफा विधायक बना, तब मध्यप्रदेश का बजट 2800 करोड़ रूपये का था और 9 हजार करोड़ रूपये की राशि सिंचाई विभाग को जो दी गई वह बेकार चली गई. वित्त मंत्री महोदय, आप नये नये वित्त मंत्री बने हैं और इसके पहले जो वित्त मंत्री थे तो स्वाभाविक रूप से उनका ध्यान प्रशासनिक गतिविधियों की तरफ कम था और चूंकि आप नये-नये बने हैं तो इस तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा, आप सी.ए.जी.की रिपोर्ट का प्रष्ठ क्रमांक 103 देखिये इसमें लिखा है कि जल संसाधन विभाग की 16 परियोजनाओं के लिये प्रारंभिक बजट में 172 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया था लेकिन परियोजनाओं की लागत बढ़ गई और इतनी तेजी से बढ़ी कि 770 करोड़ रूपये इसमें खर्च हो गये. उपाध्यक्ष जी, मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी

से पूछना चाहता हूं कि यह कौन अधिकारी हैं, जो टैक्निकल सैंक्शन देते हैं, यह कौन अधिकारी हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव एप्रूवल देते हैं, यह कौन लोग हैं जो योजनाओं का प्राक्कलन बनाते हैं. 172 करोड़ रूपये तय करते हैं और योजनाओं पर लागत 772 करोड़ रूपये चली जाती है. आप कृपा करके ऐसे अधिकारियों और ऐसे कर्मचारियों से अपनी निर्भरता को थोड़ा कम करिये. दूसरी बात आपने नर्मदा की 7 परियोजनाओं की चर्चा सी.ए.जी. की रिपोर्ट में की है और नर्मदा की 7 परियोजनाओं पर कुल लागत 4 हजार 995 करोड़ 88 लाख तय की गई थी, अपने भाषण में आप इसका जवाब देंगे तो 4 हजार 995 करोड़ 88 लाख रूपये योजनाओं की लागत तय की आपने नर्मदा पर बनने वाली 7 परियोजनाओं की और मध्यप्रदेश मे जो अमरकंटक से लेकर खंबान की खाड़ी तक 1310 किलोमीटर की जो नर्मदा वैली है, इसकी दुर्गति पर हम सब्जैक्ट डिमान्ड पर आपसे बातचीत करेंगे लेकिन जो 4 हजार 995 करोड़ 88 लाख की परियोजनायें थीं, यह जब खत्म हुईं तो इन पर 13 हजार 787 करोड़ 67 लाख रूपये आपने लगा दिये. आप उन अधिकारियों पर कार्यवाही करें जिन्होंने इसका प्राक्कलन तैयार किया, इसको टैक्निकल सैंक्शन दिया, इसके एडमिनिस्ट्रेटिव एप्रूवल किये, जिन्होंने इसका आकलन किया आप उन पर कार्यवाही करें. इस सी.ए.जी. की रिपोर्ट में दिया है वित्त मंत्री जी.

श्री विश्वास सारंग--उपाध्यक्ष जी, बजट पर चर्चा हो रही है या सी.ए.जी. रिपोर्ट पर चर्चा हो रही है बजट पर तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं यह अभी तक.

उपाध्यक्ष महोदय--विश्वास जी, यह बजट का ही अंग है.

श्री मुकेश नायक-- अभी बजट पर भी बोलने वाला हूं. मैं इतना नासमझ नहीं हूं कि बजट पर नहीं बोलूं. मैं बजट जो सरकार बनाती है उसकी क्या दुर्गति है यह बजट किस तरह से कुप्रबंध का शिकार है यह बता रहा हूं और किस तरह से मध्यप्रदेश का वित्तीय प्रबंधन है, वह किस तरह से अव्यवस्था का शिकार है, मैं इस पर बातचीत कर रहा हूं.

उपाध्यक्ष महोदय--- मुकेश जी, आप कितना समय लेंगे ?

श्री मुकेश नायक--बस, मैं 15 मिनट का समय और लूंगा.

उपाध्यक्ष महोदय--नहीं, यह तो ज्यादा हो जायेगा.

श्री मुकेश नायक--मुझे पहले बोलना था लेकिन...

उपाध्यक्ष महोदय--तो आपको इस टीम में ओपनिंग आना था या वन डाउन आना था, आप तो बालर्स की जगह आ रहे हैं लास्ट में.

श्री मुकेश नायक--मुझे पहले बोलना था लेकिन...

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया--उपेक्षा तो हो रही है मुकेश जी, कुछ भी कहें.

श्री विश्वास सारंग--उपाध्यक्ष जी, हम सब मुकेश भाई के साथ हैं.

उपाध्यक्ष महोदय--सीमित कर दें क्योंकि समय की सीमा है.

श्री मुकेश नायक--उपाध्यक्ष महोदय, आप जो आदेश करेंगे मैं वैसा करूंगा. वित्त मंत्री जी, सीएजी की जो रिपोर्ट है, उसके पृष्ठ क्र. 164 और 165 के परिशिष्ट 3.5 को आप देखें. पिछले वर्ष 46 करोड़ 25 लाख रुपये की ज्यादा की रकम सरकारी धन, सम्पदा की चोरी, सरकारी सामग्री की हानि और विवेकहीन खर्चे के कारण बर्बाद हो गयी. सरकार के 27 विभागों में जिसमें पुलिस, न्याय प्रशासन, जिला प्रशासन, वन विभाग भी शामिल है. सरकारी धन सम्पदा के 214 प्रकरण चोरी के सामने आये. आप बताइये 47 करोड़ रुपये की चोरी हो गयी. इन्हें पता ही नहीं है. कह रहे हैं कि यह बजट पर चर्चा नहीं हो रही है. अब मैं इस बजट पर वित्त मंत्री जी से बात करना चाहूंगा. आप स्वर्णिम मध्यप्रदेश की बात कर रहे हैं. आपने कहा कि आपकी मध्यप्रदेश की जो ग्रोथ रेट है, वह 11 प्रतिशत है और प्रति व्यक्ति आय मध्यप्रदेश की 53 हजार रुपये है. वित्त मंत्री जी, आपको पता है कि आपके जिले की ग्रोथ रेट क्या है. प्रति व्यक्ति आय 75 हजार रुपये है भारत वर्ष की, राष्ट्रीय और मध्यप्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 53 हजार रुपये है. वित्त मंत्री जी, आपके जिले की जो ग्रोथ रेट है, प्रति व्यक्ति आय है, वह केवल 35 हजार रुपये है. अभी मुख्यमंत्री जी यहां नहीं हैं. उन्हें यह नहीं पता कि उनके जिले की जो प्रति व्यक्ति आय है, वह केवल 36 हजार रुपये है, विदिशा की जो ग्रोथ रेट है. आपने जो बजट बनाया है. इसमें 51 प्रतिशत रेश्यो केंद्र शासन का है और 49 प्रतिशत रेश्यो मध्यप्रदेश शासन का है. लगभग सवा लाख करोड़ का जो आपका बजट है, इसमें एक लाख करोड़ का मध्यप्रदेश के ऊपर कर्जा है. 1 लाख करोड़ का जो कर्जा है, इस पर 6.5 प्रतिशत आपको हर साल ब्याज देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता. आप स्थापना का खर्चा

बताइये. 49 प्रतिशत जो मध्यप्रदेश का रेश्यो है, इसमें एक लाख करोड़ का ब्याज 6.5 प्रतिशत है. प्रबंधन का खर्चा आप मध्यप्रदेश की विधान सभा क बताइये. हम सभी सदस्य इस बात को जानना चाहते हैं कि प्रबंधन, स्थापना पर मध्यप्रदेश शासन का कितना खर्चा होता है. आप दूसरे खर्चे बताइये, इस 49 प्रतिशत में. तनख्वाह,पेंशन, रख रखाव, गाड़ी के पेट्रोल, डीजल, कार्यालय चलाने, टेलीफोन पर कितना खर्चा आता है. यह आप बताइये. तब मध्यप्रदेश के स्वर्णिम भविष्य की वास्तविक बात कर पायेंगे.

उपाध्यक्ष महोदय -- मुकेश जी, आप दो मिनट में समाप्त करें.

श्री मुकेश नायक -- आप कहते हैं कि मध्यप्रदेश को गरीबी से मुक्त कर रहे हैं. मध्यप्रदेश में 1 करोड़ 20 लाख जॉब कार्ड हैं. ..

श्री सत्यदेव कटारे -- उपाध्यक्ष महोदय, हम बजट पर नहीं बोल रहे हैं. हमारे सदस्य बोल रहे हैं. हमारी प्रार्थना है कि जो हम समय लेते, एक घण्टा, सवा घण्टा वह हमारे सदस्यों को दिया जाय. मुकेश जी इसमें बहुत अच्छा बोल रहे हैं और भी लोग बोलेंगे, उनको समय दें, हमारी प्रार्थना है.

उपाध्यक्ष महोदय -- इसमें कोई शक नहीं है कि मुकेश जी बहुत अच्छा बोल रहे हैं. आंकड़ों के साथ बोल रहे हैं. लेकिन यहां जो प्रोग्राम बनाया गया है, उसके हिसाब से कह रहा हूं.

श्री मुकेश नायक -- उपाध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा सा समय और लूंगा. चूंकि नेता प्रतिपक्ष ने भी कहा है कि उनके समय में से थोड़ा सा समय मुझे दें.

उपाध्यक्ष महोदय -- उनको आपको पहले बुलवाना चाहिये था.

श्री मुकेश नायक -- मंत्री जी, आप स्वर्णिम मध्यप्रदेश की कल्पना करते हैं. आपको मालूम है कि मध्यप्रदेश में..

डॉ. गौरीशंकर शेजवार -- उपाध्यक्ष महोदय, यह मनोवृत्ति अच्छी नहीं है कि दूसरे न बोलें, आप सबका समय ले लें और आप अकेले बोलें. सबको साथ में लेकर चलो भाई, तब आगे बढ़ेंगे.

श्री मुकेश नायक -- जी. मध्यप्रदेश में 1 करोड़ 91 लाख लोगों के पास जॉब कार्ड हैं. स्वर्णिम मध्यप्रदेश की घोषणा करते समय अन्नपूर्णा योजना के तहत मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने 75 लाख परिवारों को अन्नापूर्णा योजना में शामिल किया था. लेकिन भारत सरकार का फूड सेक्युरिटी बिल

आया और 31 मार्च,2014 तक प्रदेश में गरीबों की संख्या और परिवार बढ़कर 19 लाख 82 हजार हो गये और 19 लाख 82 हजार परिवारों में जो सदस्य संख्या है, वह 4 करोड़ 61 लाख है. अब आप यह कल्पना करें कि जिस प्रदेश में 4 करोड़ 61 लाख लोगों को मुफ्त में अनाज देना पड़े तो उस प्रदेश में किस तरह के सर्वर्णिम भविष्य की परिकल्पना कर रहे हैं. 10 साल में इन्होंने किया क्या है. इतने बड़े बजट के प्रोविजन इन्होंने किये हैं, लेकिन परिणाम क्या है. आउट कम क्या है मध्यप्रदेश में. आज यह महिला सुरक्षा की बात करते हैं. हर दिन मध्यप्रदेश में 9 महिलाओं के साथ बलात्कार होता है. हर दिन 22 बच्चियां मध्यप्रदेश से गायब होती हैं. कुछ पता है उनका, कहां गयीं. जो टाटा स्टेट स्टिकल इंडिया की सर्वे रिपोर्ट है, एक सामाजिक संस्था है, उसने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि छेड़-छाड़ के लिये मध्यप्रदेश पूरे भारत में सबसे ज्यादा असुरक्षित है. यह हमारा दुर्भाग्य है कि बलात्कार, अपहरण,छेड़ छाड और महिलाओं के साथ होने वाले अपराध में पिछले 10 वर्षों से मध्यप्रदेश पूरे भारत में एक नंबर पर है. आप किस तरह के कुशासन और शासन की बात करते हैं , किस तरह से समतामूलक समाज के निर्माण की बात करते हैं , किस तरह के समावेशी समाज की आप कल्पना कर रहे हैं. आप जरा बताईये तो. आपकी विकास की प्राथमिकतायें सही नहीं है. कृषि के क्षेत्र में आपका प्रबंधन सही नहीं है, मंडी कमेटियों में किसानों की क्या हालत है, धान की फसल का भुगतान किसानों को आज तक नहीं हुआ, मंडी कमेटियों में किसानों को कोई पानी पिलाने वाला नहीं है, जिस तरह का दुर्व्यवहार वहां पर किसानों के साथ में होता है , उसकी कल्पना नहीं की जा सकती हैं. दो फसलें नहीं आई, सरकार ने दोनों फसलों के मुआवजे किसानों को नहीं बांटे. किसानों को राहत नहीं दी, किसान सड़कों पर भटक रहे हैं , कम समय होने के कारण अनुदान मांगों पर जब चर्चा होगी मुझे कम से कम इस बजट पर बोलने के लिये 2 घंटे का समय चाहिये .अनुदान मांगों पर जब विस्तार से चर्चा होगी तो इस स्वर्णिम भविष्य की जो परिकल्पना मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं इसके खोखले दावे पर चर्चा करूंगा , अंत में यह कहना चाहूंगा कि यह बजट जनोन्मुखी नहीं है, यह बजट प्रदेश 10 प्रतिशत लोगों को ध्यान में रखकर बनाया गया है और 90 प्रतिशत लोगों की इस बजट में उपेक्षा की गई है. उपाध्यक्ष जी आपने मुझे बोलने का समय दिया उसके लिये धन्यवाद.

उपाध्यक्ष महोदय-- आप अलग अलग विभागों में बोलने के लिये समय ले लीजियेगा तो जुड़ जायेगा काफी हो जायेगा.

श्री गोविंद सिंह पटेल(गाडरवारा)-- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 2014-15 का बजट माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है उस बजट का मैं समर्थन करता हूं. इसके लिये मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं कि इतना अच्छा बजट प्रस्तुत किया. इस बजट में सभी वर्ग के लिये हर क्षेत्र के लिये इस बजट में राहत देने का प्रयास वित्त मंत्री जी ने किया है .यह सराहनीय बजट है.

उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार द्वारा लगातार कृषि के क्षेत्र में जो सुविधायें दी गई हैं उसका परिणाम है कि खाद्यान उत्पादन में लगातार दो वर्षों से हमारा प्रदेश कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त कर रहा है, इसका मुख्य कारण सिंचाई क्षमता में वृद्धि हुई है , बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित हुई है. खाद पर जो ब्याज है वह सरकार ने कम किया है इसी का प्रतिफल है और कृषि को लाभ का धंधा बनाने का जो संकल्प मुख्यमंत्री जी ने लिया है तो कृषि लाभ का धंधा बन रहा है.

उपाध्यक्ष महोदय, इसके पहले वर्ष 2008-09 में जो परिस्थितियां थी प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन 1895 किलोग्राम था वह वर्ष 2013-14 में बढ़कर 2776 किलोग्राम हो गया और धान का प्रति हेक्टेयर उत्पादन 1869 किलोग्राम था वह 2156 किलोग्राम हो गया, चने का उत्पादन भी 990 किलोग्राम था जो कि बढकर के 1202 किलोग्राम हुआ है. कहने का मतलब यह है कि किसानों के हित में सरकार ने जो निर्णय लिये हैं उसका फायदा किसानों को हुआ है. इस साल जो कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र की विकास दर 24.99 प्रतिशत है जो कि एक रिकार्ड है, गेहूं का उत्पादन 2012-13 में 161 मेट्रिक टन था वर्ष 2014-15 में हमारा लक्ष्य है कि 50 लाख मेट्रिक टन हो जाये. बाकी मुख्यमंत्री सडक योजना , खाद के लिये अग्रिम भंडारण इन सबके लिये सरकार ने बजट में व्यवस्था की है . मुख्यमंत्री ने तीर्थ दर्शन योजना चलाई थी अब मुख्यमंत्री खेत दर्शन योजना चला रहे हैं, जो उन्नत खेती है उसको हमारे किसान जाकर के देख सकेंगे इसके लिये भी बजट में 4 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है.

उपाध्यक्ष महोदय, जहां बोरिंग नहीं होती, ट्यूववेल नहीं खोद सकते हैं वहां पर खेत तालाब योजना बहुत उपयोगी है क्योंकि खेत तालाब बनाकर के बरसात का पानी भंडारण करते है और एक दो सिंचाई उस पानी से कर ली जाती है . उसके लिये भी बजट में प्रावधान किया गया है. कई क्षेत्रों में जहां पर पानी की कमी रहती है, ग्राउंड वॉटर की उसमें बलराम तालाब योजना बड़ी कारगर है, कृषक अनुदान योजना में भी 227 करोड़ का प्रावधान किया गया है. प्राकृतिक आपदा के लिये भी प्रावधान किया गया है. इस वर्ष जो प्राकृतिक आपदा आई थी उसके लिये भी सरकार ने व्यवस्था की है लेकिन बीमा में 20 गुना बढोत्री की गई है.

बीमा राशि में 20 गुना बढ़ौत्री कर दी. 48 करोड़ से 900 करोड़ रुपया किया है. यदि प्राकृतिक आपदा आ जाये तो किसानों को तुरन्त राहत दी जा सके. सरकार ने यह व्यवस्था की है.

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने फीडर सेपरेशन का काम किया है. पहले संभागीय मुख्यालयों में भी 2 घंटे बिजली कटौती होती थी. लेकिन पिछले वर्ष जून से एक छोटे से छोटे गांव में भी 24 घंटा और खेतों के लिए 10 घंटा बिजली देने का काम सरकार ने किया है. यह भी एक उपलब्धि है.

सभापति महोदय, पंपों पर जो विद्युत सबसीडी है. जहां प्रति हार्स प्रति वर्ष 5100 लगता था उसको घटाकर 1200 रुपये प्रतिवर्ष प्रति हार्स पावर किया है. बाकी सबसीडी सरकार किसानों को दे रही है. कृषि संवर्धन योजना में किसानों के जो पुराने बकाया थे उसके लिए 240 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है बाकी 50 प्रतिशत माफ करके, 50 प्रतिशत उनसे जमा करायेंगे.

उपाध्यक्ष महोदय, बिजली के स्थायी कनेक्शन नहीं मिल पा रहे थे जिससे बड़ी दिक्कत हो रही थी. पूर्ववर्ती सरकारों का एक अभिशाप था कि किसानों का स्थायी कनेक्शन बंद हो गया था. अस्थायी कनेक्शन से किसानों को नुकसान होता था और मंडल का भी नुकसान होता था. लेकिन सरकार ने अटूट बंधन योजना चलायी. उसमें अब एक हजार फीट की दूरी तक स्थायी कनेक्शन

किसानों को दिये जा रहे हैं. जिससे लाखों किसान लाभान्वित हुए हैं. ऐसे ही बिजली के क्षेत्र में सरकार ने बहुत काम किये हैं.

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने गरीबों के लिए सस्ते अनाज की सार्वजनिक वितरण योजना चलायी है. उसमें जो 22 श्रेणियां थी उसमें 4 श्रेणियां और जोड़ कर लगभग 18 लाख लोगों को एक रुपया किलो गेहूं, चावल और नमक दिया जायेगा. इसी प्रकार खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 75 लाख लोगों को एक रुपया किलो गेहूं दिया जा रहा है. इससे लगभग 60 प्रतिशत गरीब आबादी लाभान्वित हो रही है.

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे दो तीन सुझाव हैं. माननीय विद्युत मंत्रीजी भी यहां बैठे हैं. मेरा सुझाव है कि 5 हार्सपावर, 3 हार्सपावर और 10 हार्सपावर कनेक्शन हैं, उन पर सरकार ने 100 रुपये प्रति हार्सपावर के हिसाब से 5 हार्सपावर पर 500 रुपया प्रतिमाह लगते हैं. इस प्रकार वर्ष में 3-3 हजार रुपया दो बार लगते हैं. अभी विभागीय तुगलकी फरमान कह लें या कुछ भी कह लें वह निकला है. मेरा मंत्रीजी से निवेदन है कि 3 हार्सपावर के जो कनेक्शन हैं,उसके बिल दे दिये 5 हार्सपावर के और 5 हार्सपावर कनेक्शन की जगह 7 हार्सपावर के दे दिये और 7 हार्सपावर कनेक्शन की जगह 10 हार्सपावर के बिल दे दिये. विभाग का कहना है कि लोड ज्यादा आ रहा है इसलिए बिल ज्यादा दे रहे हैं. हमारा कहना है कि ISI मार्का की मोटर आप अनुशंसित कर दें वही मोटर किसान डालेंगे जबकि किसान पहले से ही ISI मार्का की मोटर डालते हैं. बाईंडिंग के बाद उसमें लोड बढ़ता है. पूर्ववर्ती सरकार ने किसानों की आदत बिगाड़ी थी हम बड़ी मुश्किल से किसानों को आदत डाल रहे हैं और पैसा जमा करने लगे हैं लेकिन ज्यादा बिल आने के कारण फिर किसानों को पुरानी आदत हो जायेगी.

उपाध्यक्ष महोदय-- आपके सभी महत्वपूर्ण सुझाव आ गये हैं. हमने भी समर्थन किया है.

श्री गोविन्द सिंह पटेल-- उपाध्यक्षजी, मेरा एक सुझाव और है. वित्त मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि खाद्य सुरक्षा के तहत एपीएल कार्ड खत्म हो गये हैं. पहले एपीएल कार्ड पर 5 लीटर केरोसीन मिलता था. लेकिन एपीएल कार्ड समाप्त हो गये हैं तो खुले बाजार में कहीं केरोसीन मिलता नहीं है. इसलिए एपीएल कार्ड पर कम से कम 5 लीटर केरोसीन जरुर दिलाया जाये भले ही उस पर खाद्यान्न नहीं दिया जाये. क्षेत्र में जाते हैं तो यह बात आती है. ग्रामीण क्षेत्रों में बरसात में बिजली ट्रीप होने से और ईधन के लिए केरोसीन की बड़ी आवश्यकता होती है. दूसरा, गेहूं और धान पर मक्के पर जो सरकार ने बोनस दिया है. मेरा निवेदन है मैं गन्ना उत्पादक क्षेत्र से आता हूं. मेरे क्षेत्र में बहुत गन्ना होता है तो उस पर भी कुछ बोनस दें. गन्ने की खेती बड़े संकट के दौर से गुजर रही है. चने की फसल पर भी बोनस दें. धन्यवाद.

श्री कमलेश्वर पटेल (सिंहावल) - उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने बजट की सामान्य चर्चा पर बोलने का अवसर दिया. सबसे पहले हमारे वरिष्ठ विधायक डॉ. गोविन्द सिंह जी ने शुरुआत की थी, उसके बाद सत्तापक्ष की तरफ से बजट पर भारतीय जनता पार्टी की माननीय सदस्य श्रीमती अर्चना चिटनिस जी ने सरकार की जिस तरह से प्रशंसा और शेरो-शायरी के साथ शुरुआत की थी. हम तो यही सबसे पहले बोलेंगे कि अभी श्री गोविन्द सिंह पटेल साहब इस बजट पर चर्चा कर रहे थे. पहले तो सरकार के कसीदे इतने पढ़े और फिर बाद में धीरे-धीरे जो सच्चाई है, उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप और समय देते तो धीरे-धीरे जितनी कमियां हैं, ये खुद बता देते.

उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट के बारे में जो मोटी-मोटी बातें जो हमें समझ में आई कि बजट पूरी तरह से नीरस है. सत्तापक्ष के लोग भले ही सरकार की प्रशंसा करने में लगे हों. किसी को मंत्री बनना होगा, किसी को प्रमोशन लेना होगा, परन्तु सच्चाई यह है और सत्ता पक्ष के साथियों से भी हमारा निवेदन है कि जो सच है. सरकार को सच का आईना दिखाना चाहिए. तभी सबका लोककल्याण होगा. चाहे सत्तापक्ष के साथी हों, चाहे विपक्ष के साथी हों. वर्तमान में स्थिति यह है कि कृषि से हम शुरुआत करते हैं. जितनी सिंचाई परियोजनाएं हैं, सब आधी-अधूरी पड़ी हैं. नहरों का निर्माण आधी-अधूरी हालत में है. हर बार डाटा पेश कर दिया जाता है कि बहुत ज्यादा तरक्की हो गई है. कृषि कर्मण्य अवार्ड मिल गया है. कृषि कर्मण्य

अवार्ड भी प्रदेश सरकार जिस तरह के आंकड़े पेश करती है, उसी आधार पर मिलते हैं. चाहे पूर्ववर्ती हमारी यूपीए की सरकार रही हो, चाहे अभी वर्तमान में जो सरकार है, जिस तरह से सरकार यहां से पेपर्स का प्रेजेंटेशन करती है, उसी आधार पर इस तरह के अवार्ड मिल जाते हैं. परन्तु सच्चाई यही है. हमारे साथी श्री गोविन्द सिंह पटेल जी चले गये. सच्चाई यही है कि आज न तो बिजली मिल रही है और जो अटल ज्योति योजना है, वह अटक ज्योति योजना हो गई है. आज गांवों में बिजली नहीं मिल रही है. नहर परियोजनाएं बंद हैं. माइनर नहरों का निर्माण नहीं हो रहा है. कृषि कर्मण्ड अवार्ड लेकर प्रदेश सरकार आ रही है और बार-बार अपनी पीठ थपथपाती है. सत्तापक्ष के लोग यहां पर तालियां बजवाते हैं. यहां पर आधे से ज्यादा किसान लोग हैं. आज सबसे ज्यादा दुर्दशा है तो वह किसानों की है. 2000 करोड़ रुपए बंट गये, आज तक सर्वे नहीं हुआ. पता नहीं यह रुपया कहां बांट दिया? हमारे विधानसभा क्षेत्र में तो कहीं सर्वे नहीं हुआ. किसी को मुआवजा नहीं मिला. हमारे यहां भी ओलावृष्टि, अतिवृष्टि हुई थी. वर्ष भर पहले पाला से भी नुकसान हुआ था. परन्तु सच्चाई यह है कि किसी भी किसान को मुआवजा नहीं मिला. कोई सर्वे नहीं हुआ और पाला से कुछ लोगों को अगर मुआवजा मिला भी था तो उन लोगों को मिला था जिन्होंने थोड़ी बहुत सरकार के साथ, कर्मचारियों के साथ सांठगांठ कर ली थी.

उपाध्यक्ष महोदय, हम सरकार की कमी गिना रहे हैं और वह इसलिए गिना रहे हैं, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि पैसा चाहे केन्द्र सरकार के द्वारा दिया गया हो, चाहे राज्य सरकार के पास हो, वह जनता की गाड़ी कमाई का है. उसका सही सदुपयोग होना चाहिए.

ये 2000 करोड़ रूपये कहां गये? ठीक है, माननीय वित्त मंत्री जी ने उसमें 20 प्रतिशत बढ़ोत्री फसल बीमा योजना में कर दी है. अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं. माननीय वित्त मंत्री जी से,सरकार से हमारा निवेदन है, सत्ता पक्ष और माननीय विपक्ष के सदस्यों से भी हमारा निवेदन है कि पैसे का सही उपयोग हो. अगर जिले में रूपया गया है तो उसका सही ढंग से सर्वे हो और जो मुआवजे के हकदार हैं, जिनकी फसलों का नुकसान हुआ है उनको पैसा मिले न कि सिर्फ पेपरों पर ही रहे और ऐसे ही हम लोग भाषण देते रहें और माननीय उपाध्यक्ष महोदय आप सदन का संचालन इसी तरह से हो और हम लोग फिर चले जाएं और जनता के बीच जब हम लोग जाते हैं तब पता चलता है. खाद्य सुरक्षा बिल,माननीय गोविन्द

पटेल साहब अभी उल्लेख कर रहे थे. ये केन्द्रीय खाद्य सुरक्षा बिल है और 22 प्रकार के लोगों को जोड़ने के लिए, यू.पी.ए. सरकार ने जब केन्द्रीय खाद्य सुरक्षा बिल बनाया था तभी ये प्रस्ताव रखा. उपाध्यक्ष महोदय, इसकी शुरूआत बहुत पहले, जब वहां से अधिसूचना जारी होने के पहले ही प्रदेश सरकार ने कर दी थी. पर अभी फिर दुबारा उसमें नाटक शुरू है. माननीय मंत्री लोग जिले में जाकर खाद्य सुरक्षा बिल के कूपन पांट रहे हैं. दस पांच लोगों को कूपन बंटा उसके बाद फिर हो हल्ला शुरू हो गया. खाद्य सुरक्षा बिल में भारी भ्रष्टाचार है. इस बिल का सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं हो रहा है. जो लोग सही में पात्र हैं उनको अभी कूपन नहीं मिला है. ये सही बात है कि जो ए.पी.एल. कार्डधारी थे ,बी.पी.एल. कार्डधारी थे उनको जो केरोसिन मिलता था वह बंद हो गया. तो ये व्यवस्था कौन बनायेगा? उपाध्यक्ष महोदय, जो उनको शकर मिलती थी उसकी व्यवस्था कौन बनायेगा. सिर्फ खाद्यान्न दे देने से उनकी व्यवस्था नहीं हो जाएगी. उसको पकाने के लिए इंधन भी चाहिए. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भारी संकट है, चाहे बिजली के क्षेत्र में देखें. उपाध्यक्ष महोदय, आज पूरे प्रदेश में डॉक्टरों का अभाव है. स्वास्थ्य के लिए बहुत सारा बजट बनाया है तो उपाध्यक्ष महोदय इसमें कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि हम इतने डॉक्टरों की भर्ती करेंगे, यह भी उल्लेख नहीं है कि हम कितने सपोर्टिंग स्टाफ की भर्ती करेंगे, नर्से भर्ती करेंगे, कैसे संचालित होगा? क्या सिर्फ इक्विपमेन्ट लगा देने से काम हो जाएगा? उपाध्यक्ष महोदय, हम युवा हैं और जो लोगों की जिज्ञासा है उसके अनुरूप हम बात कर रहे हैं. उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा का स्तर ये है कि आज सारे स्कूलों में प्रभारी प्राचार्यों से शिक्षा का संचालन हो रहा है. अभी कल शिक्षा मंत्री जी का स्टेटमेन्ट पढ़ा है , अतिथि शिक्षकों की भर्ती फिर से शुरू होगी. उपाध्यक्ष महोदय, स्थायी शिक्षक कब मिलेंगे? स्थायी प्राचार्य कब मिलेंगे? एक तरफ हम बोलते हैं – आओ बनाएं हम अपना मध्य प्रदेश और दूसरी तरफ ये हालात हैं. डॉक्टर है नहीं, स्कूलो में मास्टर है नहीं, अतिथि शिक्षक विद्वानों से महाविद्यालय चल रहे हैं, स्कूल चल रहे हैं. मूलभूत सुविधाओं की अगर हम पूर्ति नहीं करेंगे तो कैसे होगा. माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार के जो हमारे नुमाइन्दे मंत्री जी और सत्तापक्ष के जो आदरणीय विधायक लोग बैठे हैं उनसे भी निवेदन करेंगे की ऐसी मूलभूत सुविधाओं पर सरकार को ध्यान आकृष्ट करना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए. सिर्फ यह नहीं कि बजट बनाया,

हर साल आवंटन होता है. वह पैसा कहां जाता है इस पर भी निगरानी रखने का सरकार का काम है, पर सच्चाई यह है कि वह सारा का सारा पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है.

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे क्षेत्र से जुड़ा हुआ एक निवेदन है. उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां सिंहावल विधानसभा क्षेत्र में बहरी एक जगह है. यहां मुख्यमंत्री जी पहली बार जब गये तो 30 बिस्तरों वाले अस्पताल की घोषणा कर दी. अभी वहां प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भी नहीं है और दूसरी बार जब माननीय मुख्यमंत्री जी गये तो 100 बिस्तरों वाले अस्पताल की घोषणा

कर दी. उपाध्यक्ष महोदय, हम वित्तमंत्री जी से निवेदन करेंगे, और वहीं एक भूमि पूजन किया था नगझर से सिंहावल के पुल निर्माण का. बजट में उल्लेख नहीं है. माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी के माध्यम से वित्त मंत्री जी से निवेदन करेंगे कि इसका प्रावधान कराये. एक हमारे विधान सभा क्षेत्र में देवसर है,मुख्यालय है, वहां पर 30 बिस्तरों वाला अस्पताल था वह पांच बिस्तरा हो गया है.

ब्लाक मुख्यालय है, फिर से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की व्यवस्था बनाने का काम करें, इसी निवेदन के साथ उपाध्यक्ष महोदय आपने बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बस सरकार के साथियों को आदरणीय मंत्रीगणों से एक गाने के माध्यम से निवेदन है.

उपाध्यक्ष महोदय—कोई शेर सुना दीजिए. क्या गाना सुनाएंगे?

श्री कमलेश्वर पटेल—आपकी इजाजत होगी तो सुना देंगे.

उपाध्यक्ष महोदय—गाकर नहीं सुनाईयेगा.

श्री कमलेश्वर पटेल—गाकर नहीं सुनाऊंगा.

"सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है,

न हाथी है, न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है"

यह माननीय सत्तापक्ष के साथियों के लिए है. हमने जो निवेदन किया है, उस पर काम करने की आवश्यकता है, बहुत बहुत धन्यवाद.

3.26 बजे {अध्यक्ष महोदय (डॉ.सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए}

श्री दुर्गालाल विजय (श्योपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्तमंत्री जी के द्वारा जो बजट प्रस्तुत हुआ है, बजट बहुत ही शानदार और जानदार है. मैं अपनी बात को संक्षिप्त करते हुए यह निवेदन करना चाहता हूं कि वैसे तो बजट में विभिन्न वर्गों के लिए विभिन्न प्रबंध किए गए हैं और इसके कारण से कृषि, ऊर्जा, स्वास्थ्य,शिक्षा और सिंचाई के क्षेत्र में हमारे प्रदेश के किसानों की सब वर्गों की तरक्की होगी. पिछले समय से जो योजनाएं संचालित हैं, उन योजनाओं के कारण से और जो कार्य प्रदेश के अंदर किए गए हैं, उन कार्यों के कारण से प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी की और माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी की बहुत बहुत प्रशंसा कर रही है मैं माननीय वित्तमंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे इस प्रदेश में रहने वाले अधिकांश जो गांव रहने वाले किसान हैं जिनका पूरा जीविकोपार्जन कृषि पर आधारित है, उनके लिए कृषि के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में और ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत सारे कार्य करने का प्रबंध किया है. मैं अपने क्षेत्र की कुछ बातों को यहां पर आपकी आज्ञा से यहां पर रखना चाहता हूं, हालांकि कहना बहुत कुछ चाहता था, लेकिन दो मिनट का समय है, इसके कारण ऊर्जा के क्षेत्र में हमारे श्योपुर में जितना कार्य हुआ है, बहुत ऐतिहासिक कार्य हुआ है, मैं ऊर्जा मंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, लेकिन कुछ काम जो बाकी रह गए हैं, जिसके बारे में माननीय ऊर्जा मंत्री जी से भी मैंने निवेदन किया है और इस बजट भाषण में भी मैं अपनी बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि हमारे श्योपुर में बड़ौदा में जो 132 के.वी. का बड़ा स्टेशन बन रहा है, उसके कार्य की गति तेज होना चाहिए. 220 के.वी. का जो बड़े स्टेशन स्वीकृत है, उसके कारण विद्युत की सप्लाई ठीक तरीके से हो सकेगी, उसके कार्य को शीघ्र प्रांरभ करने की आवश्यकता है. फीडर सेपरेशन का जो कार्य चल रहा है, वह धीमी गति से चल रहा है. सरकार तो चाहती है, माननीय मंत्री जी ने भी बहुत प्रयास किए, लेकिन कंपनी की कमी के कारण से उसमें शिथिलता है, उसको आगे बढ़ाए जाने की आवश्यकता है. माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वन मंत्री जी यहां पर बिराजमान हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि श्योपुर में एक कूनो अभ्यारण्य है और बहुत काम उसके अंदर हुए हैं, अगर वहां पर शेरों को लाने का काम समय पर हो जाए तो हमारा श्योपुर जिला पूरे संसार के नक्शे पर आ जाएगा और पर्यटन के

क्षेत्र में बहुत बढ़ावा मिलेगा. मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जल संसाधन के क्षेत्र में जितने भी काम हमारे यहां वाटर रि-स्ट्रक्चरिंग के संचालित हैं, उनकी गति धीमी हो गई है, डिस्ट्रीब्युटरी और मायनर्स के काम बहुत तेजी से किए जाने की आवश्यकता है और उन कामों को शीघ्र समय पर पूरा करेंगे तो हमारे क्षेत्र के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा. स्वास्थ्य के क्षेत्र में मध्यप्रदेश की सरकार ने जो काम किया है, उस काम की वास्तव में बहुत प्रशंसा हुई है, उसके कारण से विभिन्न योजनाओं विभिन्न लोगों को बहुत सारा लाभ प्राप्त हुआ है.

मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे श्योपुर जिले के अन्दर डिजीटल एक्सरे मशीन आपने स्वीकृत की है उसके जल्दी लगवायें.मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि सोनोग्राफी की मशीन और वहां पर आईसीयू का एक वार्ड स्थापित करने के लिए मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से विनम्रतापूर्वक प्रार्थना करता हूँ इसको शीघ्र प्रारम्भ करेंगे. माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत तेज गति से काम चल रहा है लेकिन हमारे श्योपुर में पाडौला में हायर सेकेण्ड्री स्कूल और अलापुरा, अजापुरा, अडवार के अन्दर हाईस्कूल की अत्यन्त आवश्यकता है .मैं माननीय वित्त मंत्री जी से विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ कि इस कार्य को भी समय पर और ठीक तरीके से जल्दी करा लेंगे तो विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सकेगा. माननीय अध्यक्ष महोदय, जल संसाधन के क्षेत्र में हमारे इलाके में एक बहुत बड़े बांध की आवश्यकता है. मूजरी बांध की सर्वे भी किया गया और उसके लिए निवेदन भी किया और वित्त मंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि इस मूजरी बांध का शीघ्र निराकरण कराने की कृपा करेंगे और इसी तरीके से पार्वती उदवहन सिंचाई योजना के लिए हमने प्रार्थना की है. माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद.

श्रीमती शीला त्यागी(मनगवां)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको प्रणाम करती हूँ. साथ ही सदन में जितने माननीय मंत्रीगण हैं,विधायक साथी हैं उन सबको सादर नमस्ते. पहली बार मुझे सदन में बोलने का मौका मिला है . माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात यहां रखने से पहले दो शब्द अपने विधानसभा क्षेत्र के बारे में बताना चाहती हूँ. मैं जिस क्षेत्र से चुनकर आयी हूँ, यह बाबा साहब का दिया गया सौभाग्य है क्योंकि वह सीट जो थी रिजर्व हुई और उसकी वजह से मैं चुनकर आयी हूँ. विन्ध्य के उन दो राजनौतिक उल्कापिण्डों की टक्कर से मनगवां विधानसभा का

उदय हुआ,सृजन हुआ जो देश के दो राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा हुआ है जहां से देश में गंगा के संगम इलाहाबाद को आवागमन है और बनारस की हवा का प्रवेश भी है . मैं बजट 2014-15 के संबंध में यही कहना चाहती हूँ कि—"क्या क्या बनाने आये थे, क्या क्या बना बैठे. हमसे तो जात उन परिन्दों की दोस्तों जो कहीं मंदिर में जा बैठे,कहीं मस्जिद में जा बैठे." माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो बजट 2014-15 है उसमें जो मैंने अध्ययन से पाया है कि इस बजट में खेत और किसान की व्यवस्था तो है लेकिन खेत में काम करने वाले मजदूर का कोई जिक्र नहीं है. साथ ही भवन का जिक्र तो है लेकिन भवन बनाने वाले मजदूर का कोई जिक्र नहीं है.बजट में समाज के बड़े भाग के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं है जो दलित एससी, एसटी,ओबीसी का बड़ा पैमाना है, बड़ा समाज है, उसके लिए अभी भी पर्याप्त सुविधाओं का अभाव है. साथ ही साथ हमारे मनगवां विधानसभा जो कि दो नेशनल हाइवे का सेन्टर है वहां पर एक सिविल अस्पताल जो कि प्राथमिक अस्पताल में परिवर्तित कर दिया गया जबकि किसी का प्रमोशन होता है यहां डिमोशन कर दिया गया है. मैं आपसे यही गुजारिश करती हूँ कि हमारे मनगवां विधानसभा को जहां कि दो दो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, वहां पर प्राथमिक अस्पताल की जगह सिविल अस्पताल की व्यवस्था की जाए और साथ ही साथ बजट में भगवान और पूजा की सामग्री की व्यवस्था तो है लेकिन उस पुजारी की मजदूरी की कोई व्यवस्था नहीं है और साथ ही साथ समाज में समय समय पर जो भी महापुरुष हुए हैं उनके याद करने के लिए भी इसमें कोई प्रावधान नहीं है.माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद आपने मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया और सारे साथियों को भी धन्यवाद.

श्री रामपाल सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने भी नाम दिया था , हमने कल भी नाम दिया था , हम नये सदस्य हैं ,हमने आज भी नाम पूर्व से दिये हैं लेकिन हमको न तो कल व्यापम के संबंध में अवसर मिला न ही आज अवसर मिला. मेरा निवेदन है कि हमको भी अवसर दिया जाये.

अध्यक्ष महोदय-- कृपया सहयोग करें अभी बहुत अवसर आएंगे आपको.

वित्तमंत्री(श्री जयंत मलैया)-- माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं उन सभी माननीय 15 विधायकों का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने अपने सारगर्भित सुझाव दिये. अपने क्षेत्र की बात रखी, प्रदेश के विकास की बात रखी और मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपने जो सुझाव दिये हैं,उनके ऊपर मैं गंभीरता से विचार करूंगा . अध्यक्ष महोदय, डॉ. गोविंद सिंह जी नहीं हैं वह बहुत वरिष्ठ हैं, बहुत से सवाल उन्होंने पूछे थे. माननीय कालूखेड़ा जी भी चले गये , उन्होंने भी सवाल पूछे तो अब उनके प्रश्नों के उत्तर दे पाना संभव नहीं है. माननीय मुकेश नायक जी ने जो प्रश्न पूछे हैं उसके बारे में सबसे पहले तो मैं सीएजी के जो आब्जर्वेशन्स हैं, उसके बारे में बात करना चाहूंगा. सीएजी का जो प्रतिवेदन हैं, उसके बारे में हम सभी को विदित है कि यह विधानसभा के पटल पर रखा जाता है और विधानसभा के पटल के बाद यह पब्लिक एकाउंट कमेटी में जाता है . पब्लिक एकाउंट्स कमेटी में जाने के बाद विभागवार एक एक पैरा के बारे में उस विभाग के प्रमुख सचिव को बुलाकर चर्चा की जाती है और उसके बाद उसको पूरा प्रोसेस किया जाता है. प्रोसेस करने के बाद अगर उसमें कोई त्रुटि होती है प्रोसेस की या कोई अन्य उसको ठीक किया जाता है और उसके बाद नीतिगत करेक्टिव एक्शन्स भी लिये जाते हैं . ऐसा नहीं है कि जिस तरीके से उन्होंने बताया है कि सीएजी में यह आया है और अध्यक्ष महोदय, आजकल पीएसी के चेयरमैन महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा जी हैं, वह चाहे तो ज्यादा गति से उनके साथ बोलकर तय करा लें आप और देखें कि कहाँ कहाँ गल्ती है . जो अधिकारी दोषी हैं उनके खिलाफ आप कह दें कि दोष हैं, उन्हें सजा दिलवाने की जवाबदारी भाजपा की सरकार की है. उसमें क्या दिक्कत की बात है. माननीय नायक जी ने एक और बात की थी, वह जानना चाह रहे थे कि जो प्रबंधन की जानकारी है उसके भीतर जो व्यय होता है , वह व्यय कितना है तो इसके बारे में मुझे बताना है कि इस वर्ष हमारा अभी जो व्यय है 2014-15 में ,यह वेतनों के ऊपर लगभग 24,800 करोड़ रुपये हैं और इसी तरीके से जो पेंशन के ऊपर है यह लगभग 6300 करोड़ है और जो ब्याज भुगतान पर है, यह 6429 करोड़ है. यह बात तो आपने पूछी थी मुझसे कि कितने प्रतिशत राजस्व आय का व्यय होता है तो मैं बताना चाहता हूं कि यह 37 प्रतिशत होता है. परन्तु एक बात जो इन्होंने नहीं पूछी वह मैं इन्हें बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के जमाने में यह व्यय 64 परसेंट होता था.जिसको हमने लगभग आधा कर लिया है.

माननीय अध्यक्ष महोदय,और भी बहुत सी बातें हैं जो हमारे माननीय सदस्यों ने पूछी हैं वित्त विभाग से जुड़ी हुई बातें, मैं अपने संक्षिप्त से उद्बोदन में उसका निवेदन करना चाहूंगा. यह बात सही है जैसा हमारे मित्रों ने कहा कि बजट का आकार बहुत बढ़ गया और मुकेश भाई ने बताया कि कबसे था , उतना तो मुझे याद नहीं, परन्तु मुझे यह जरूर याद है कि 2003-04 में बजट 21 हजार करोड़ का होता था अब यह बजट 1 लाख 29 हजार करोड़ का हो गया है. बात सही है,पहले और बहुत कम था. एक समय में तो बजट सैकड़ों में हुआ करता था, यह बात सही है. हमारे व्यय बढ़े हैं. हमारा अगर रेवेन्यू एक्सपेंडीचर बढ़ा है तो हमारा पूंजीगत व्यय भी बढ़ा है. इसमें मुझे यह निवेदन करना है कि यह जो हमारे बजट का आकार बढ़ा है इसमें हमने अपने प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए, समुचित राशियों का प्रबंध किया है और हम यह सुविधा से कर सके हमें इस बात की प्रसन्नता है. अध्यक्ष महोदय, यह जो हमारा बजट है, मुख्य तौर से सरकार का दृष्टिपत्र 2018 के ऊपर आधारित है और इस वर्ष में हमने 2018 तक के कार्यों और लक्ष्यों को निर्धारित किया है इस बजट के माध्यम से हमारा प्रयास इस दृष्टिपत्र को पूरा करने की दिशा में उठाया गया एक कदम है. अध्यक्ष महोदय, अब मैं आंकड़ों के ऊपर निवेदन करना चाहूंगा . वित्त का काम ही आंकड़ों का है

प्रदेश का गत वित्त वर्ष का विनियोग प्रथम बार 1 लाख करोड़ से अधिक का रहा है और जो इस वर्ष 2014-15 में बढ़कर 1 लाख 29 हजार 1 करोड़ रुपया हो गया. निरंतर राजस्व आधिक्य के परिणामस्वरूप राज्य के पूँजीगत कार्यों के लिए अपेक्षाकृत अधिक राशि उपलब्ध होने से प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद में उल्लेखनीय वृद्धि रही है. वर्ष 2013-14 में अग्रिम अनुमानों के अनुसार हमारे राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 11.08 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है. जो राशि सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में दो गुनी से अधिक है. हमारे भाई साथी मुकेश नायक जी ने इस बात का कहा था कि हमारा जो पर कैपिटा इनकम है यह बढ़ गई है परन्तु अभी भी हमारी राष्ट्रीय औसत से कम है. यह बात सही है कि हमारे प्रदेश के कुछ जिलों की जो एवरेज इनकम है वह उससे भी कम है और हमारे प्रदेश के कई जिलों की जो खास तौर से मालवाँचल के जो हमारे जिले हैं उनकी इनकम और ज्यादा है इसलिए इस तरीके की बातें आती हैं.

अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के स्वयं के कर की राशि 38989.88 करोड़ है. केन्द्रीय करों में प्रदेश का हिस्सा 27681.23 करोड़ है. करेत्तर राजस्व, जो कि हमें विशेष तौर से खनिज और जल संसाधन विभागों से मिलता है, करेत्तर राजस्व, रुपये 6758.86 करोड़ है एवं केन्द्र से प्राप्त अनुदान रुपये 30063.19 करोड़, प्रदेश की कुल राजस्व प्राप्तियाँ, रुपये 103493.16 करोड़ है. प्रदेश का आयोजना व्यय गत वर्ष रुपये 37608.17

करोड़ था. जबकि वर्ष 2014-15 में 54290.15 करोड़ है. आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत वर्ष 2014-15, वर्ष 2013-14 के बजट अनुमान रुपये 7832.73 करोड़ से बढ़कर रुपये 11749.67 करोड़ प्रावधानित है, जो कि बजट अनुमान वर्ष 2013-14 से 50 प्रतिशत अधिक है. अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत वर्ष 2014-15 के बजट अनुमान वर्ष 2013-14 का बजट अनुमान 5582.92 करोड़ से बढ़कर 7903.80 करोड़ प्रावधानित है. जो कि बजट अनुमान वर्ष 2013-14 से 41.57 प्रतिशत अधिक है. प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद से राजकोषीय घाटे का अनुपात 2.98 प्रतिशत है. ब्याज भुगतान की कुल राजस्व प्राप्तियों से प्राप्त 6.70 है.

अध्यक्ष महोदय, अब मैं महत्वपूर्ण वित्तीय संकेतों का वर्ष 2003-04 से वर्ष 2014-15 तक का तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत करना चाहता हूँ. अध्यक्ष महोदय, यह जो हमारा विवरण है यह प्रस्तुत करेगा और यह बताएगा कि 10 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया है और जो 10 साल पहले सरकार थी वह कहाँ थी और आज 10 वर्ष बाद हम कहाँ हैं. मेरा निवेदन है कुल व्यय वर्ष 2003-04 में जहाँ 21687 करोड़ था वर्ष 2014-15 में यह बढ़कर एक लाख सत्रह हजार इक्तालीस करोड़ रुपये हो गया जो कि....

श्री मुकेश नायक-- अध्यक्ष महोदय, एक मिनट लूंगा. माननीय मंत्री जी व्यवधान नहीं डाल रहा हूँ. जो कुल व्यय है उसमें राज्य शासन का रेश्यो कितना है और केन्द्र शासन का रेश्यो कितना है. इसको भी थोड़ा आप बताते चलें.

श्री जयंत मलैया-- अध्यक्ष महोदय, यह तो अभी इसमें से मैंने निकाला नहीं है. अलग अलग जरूर मैंने आपका निवेदन कर दिया है कि वर्ष 2014-15 में हमारे पास जो राजस्व की आय है, यह हमारे स्वयं के स्रोतों से कितनी हो रही है, करेत्तर स्रोतों से कितनी हो रही है और भारत सरकार से डिवेल्यूएशन के रूप में जो हमें राशि मिल रही है उससे कितनी हो रही है परन्तु इनके ऊपर यह बता पाना मेरे लिए अभी फिलहाल संभव नहीं है. आगे आप कहेंगे तो आपकी सेवा में प्रस्तुत कर दिया जाएगा. अध्यक्ष महोदय, राज्य के स्वयं के करों से प्राप्त राजस्व 2003-04 में 6805 करोड़ था

अब यह 38990 करोड़ रुपया हो गया है यह पांच गुना से अधिक बढ़ा है इसी प्रकार से राज्य आयोजना व्यय जो 5684 करोड़ था अब 54290 करोड़ है इसमें 9 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है. पूंजीगत परिव्यय यह 2003-04 में 2883 करोड़ था यह बढ़कर 18027 करोड़ रुपया हो गया है इसमें छह गुना से अधिक की वृद्धि हुई है. 2003-04 में ब्याज भुगतान 3206 करोड़ रुपया था 2014-15 में 6929 करोड़ रुपया ब्याज भुगतान के रुप में खर्च किया है. बजट का आकार पांच गुना बढ़ गया और ब्याज भुगतान में केवल दो गुना की वृद्धि हुई है. 2003-04 जब ब्याज लगता था वह पूरी राजस्व प्राप्तियों का 22.44 प्रतिशत था और आज जो ब्याज दे रहे हैं यह राजस्व की आय पर 6.70 प्रतिशत है इस प्रकार हमारा ब्याज बहुत घट गया है.

अध्यक्ष महोदय, राजस्व घाटा 2003-04 में 4475 करोड़ रुपया था और 2004-05 के बाद लगातार हर वर्ष राजस्व आधिक्य रहा है और इस बार राजस्व आधिक्य 4479 करोड़ था.

अध्यक्ष महोदय, डॉ. गोविन्द सिंह जी पूछ रहे थे कि आप बार-बार कहते हो कि राजस्व आधिक्य क्यों कम होता जा रहा है. 6-7 साल पहले तो यह 9 हजार करोड़ के आसपास था. मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आज भी हम राजस्व आधिक्य में हैं परन्तु यह थोड़ा कम इसलिये हो गया है क्योंकि हमने सामाजिक सरोकार की बहुत सी योजनायें शुरु की हैं. हमने लाड़ली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना शुरु की है इस प्रकार की बहुत सी सामाजिक सरोकार की योजनायें शुरु की हैं जिससे हमारा राजस्व आधिक्य जो पहले अधिक बढ़ा हुआ था अब उतना बढ़ा हुआ नहीं है फिर भी राजस्व आधिक्य है. कुल राजस्व प्राप्तियों से ब्याज भुगतान 22.44 प्रतिशत था अब 6.70 प्रतिशत है. कुल आयोजना व्यय का कुल व्यय से प्रतिशत तब 26.26 प्रतिशत था अब 46.39 प्रतिशत है उसमें लगभग डेढ़ गुने की वृद्धि हुई है. राज्य सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में राजकोषीय घाटे का प्रतिशत 2003-04 में यह 7.12 प्रतिशत था. यह बात सही है कि उस समय भारत सरकार के द्वारा एफआरपीएम एक्ट 2005 लागू नहीं हुआ था अब भारत सरकार ने एफआरपीएम एक्ट 2005 लागू कर दिया है जिसके तहत राजकोषीय घाटा 3 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिये. मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि इस वर्ष भी राजकोषीय घाटा 2.98 प्रतिशत ही है. राज्य सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में कुल ऋण का प्रतिशत 33.71 था अब यह 22.37 प्रतिशत है इसमें एक तिहाई की कमी आई है.

अध्यक्ष महोदय, वर्तमान मूल्यों पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद जिसे राज्य का जीडीपी कहते हैं यह वर्ष 2003-04 में 102839 करोड़ रुपये था और 2014-15 में यह 404991 करोड़ रुपया है इसमें चार गुना की वृद्धि हुई है. सकल घरेलू उत्पाद के बारे में कहना चाहूंगा कि विगत पांच वर्षों में राज्य सकल घरेलू उत्पाद कि अधिमान्य वृद्धि दर लगभग 10 प्रतिशत रही है. वर्ष 2013-14 के अग्रिम अनुमान अनुसार राज्य के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर जो कि भारत सरकार की तुलना में दुगुनी है जो कि 11.08 प्रतिशत है वह लगातार जारी रहेगी और 2014-15 के बाद भी यह दो अंकों में रहेगी. राजकोषीय घाटा, 2004-05 से प्रदेश निरन्तर राजस्व आधिक्य में रहा है. वित्तीय वर्ष 2014-15 में भी राजस्व आधिक्य रहने की संभावना है. राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम की मंशा अनुसार वित्तीय वर्ष 2014-15 में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद जी.एस.डी.पी. के तीन प्रतिशत की सीमा में रहना अनुमानित है. अध्यक्ष महोदय, यह हमारे बजट की कुछ हाईलाइट्स थीं जो मैंने आपके समक्ष निवेदन किया. आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को अवगत कराया मैं एक बार पुन: जिन-जिन माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया और जो अपने बहुमूल्य सुझाव दिये उसके लिये मैं उनका पुन: एक बार धन्यवाद ज्ञापित करता हूं.

अशासकीय संकल्प

(1) बड़वाहा महेश्वर मार्ग पर रेल्वे ओव्हर ब्रिज की स्वीकृति

श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी(बड़वाह) - अध्यक्ष महोदय, मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि "यह सदन केंद्र शासन से अनुरोध करता है कि बड़वाह महेश्वर मार्ग पर रेल्वे ओव्हर ब्रिज की स्वीकृति प्रदान की जाय."

अध्यक्ष महोदय – संकल्प प्रस्तुत हुआ.

श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी – माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र बड़वाह नगर में जो छोटी मीटर गेज रेलवे लाईन है.

संसदीय कार्य मंत्री (डॉ.नरोत्तम मिश्रा) – माननीय अध्यक्ष जी, मेरा एक निवेदन है आज जो ये संकल्प हैं. ये पांचों हमारे परिवहन मंत्री जी के हैं और सभी केंद्र सरकार से अनुरोध करने के हैं. सबके नाम एक बार में हो जाए. माननीय परिवहन मंत्री जी एक बार में जवाब दे देंगे. सभी में लगभग सहमति है. हम सभी को भेजने को तैयार हैं. एक बार बातचीत हो जाती है तो हमारी सहमति रहेगी. सर्वसम्मति से पास किये जा सकते हैं.

अध्यक्ष महोदय – क्या सभी संकल्प प्रस्तुत करने वाले माननीय सदस्य इससे सहमत हैं ? सभी अपनी-अपनी बात प्रस्तुत कर दें. जवाब इकट्ठा आ जाएगा.

श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी - माननीय अध्यक्ष महोदय, ये नैरो गेज रेलवे लाईन जो बड़वाह से महेश्वर रोड पर है. नगर पहले छोटा था, जनसंख्या कम थी परंतु जब से यह रेलवे लाईन स्टार्ट हुई है उसके बाद से आज तक ब्राड गेज नहीं हुई और न ही इस पर पुल बना है. हम लोग देख रहे हैं कि निरंतर वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है. यह रोड जो है पर्यटन विभाग की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है. यह रोड ओंकारेश्वर,महेश्वर,माण्डव को जोड़ता है और यह ए.बी. रोड को भी जोड़ता है इसलिये इस पर सैकड़ों वाहन प्रतिदिन निकलते हैं और 6 ट्रेनें दिन भर में क्रास होती हैं. जब 6 ट्रेनें क्रास होती हैं तो यहां पर जो ट्राफिक होता है वह बीस मिनट पहले ही रोक दिया जाता है और उसके साथ में रेलवे गेट पर छोटे-बड़े वाहन इकट्ठे होते हैं उसमें हम लोग देखते हैं कि सभी को देरी होती है वे जल्दी निकलने का प्रयास करते हैं और जल्दी निकलने में कई वाहन मोटर साईकल पर महिलाओं को बैठाकर निकलने का प्रयास करते हैं उसमें महिलाएं गिर पड़ती हैं. विवाद की स्थिति बनती है. झगड़े होते हैं और झगड़े होने के साथ में और ट्राफिक लेट हो जाता है और ऐसी स्थिति में जब वहां पुलिस की व्यवस्था नहीं होती हैं तो वाहन घंटों खड़े रहते हैं और निकल नहीं पाते हैं. हम लोग देखते हैं जब कोई एंबुलेंस आती है डिलेवरी वाली महिला को लाते हैं, एक्सीडेंट वाले को लाते हैं तो जब गेट बंद रहता है तो एंबुलेंस भी अस्पताल नहीं पहुंच पाती और कई लोग दम तोड़ जाते हैं. वहां गेट के पास ही मंडी भी है उससे किसानों को भी तकलीफ होती है उनके ट्रेक्टर ट्राली निकलने में परेशानी होती है. दिन भर में तीन से चार घंटे यह गेट बंद रहता है. मैं चाहता हूं कि इस पर ब्रिज बनना बहुत आवश्यक है. जनहित में जरूरी है इसलिये हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार को

यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से भेजा जाए और हमारा यही निवेदन है कि यह केंद्र सरकार को भेजा जाए क्योंकि यह रोड महाराष्ट्र, राजस्थान को भी जोड़ता है. आपसे यही निवेदन है. धन्यवाद.

एक माननीय सदस्य – अध्यक्ष जी. इस प्रस्ताव को सदन की सर्वसम्मति से भेज दिया जाए.

(2)हावड़ा जबलपुर शक्तिपुंज एक्सप्रेस को व्हाया इटारसी भोपाल तक चलाया जाय.

अध्यक्ष महोदय—सभी संकल्प एक साथ प्रस्तुत हुए. श्री राम लल्लू वैश्य.

श्री रामलल्लू वैश्य(सिंगरौली)—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि हावड़ा-जबलपुर शक्तिपुंज एक्सप्रेस को व्हाया इटारसी भोपाल तक चलाया जाये.

इस पर मेरा अनुरोध है कि सिंगरौली जिला सीधी, शहडोल, कटनी होकर यह हावड़ा से शक्तिपुंज एक्सप्रेस वह इटारसी खड़ी रहती है. क्षेत्र की जनता द्वारा बार बार निवेदन करने पर अतः इसको भोपाल तक चलाया जाये. हमारा औद्योगिक क्षेत्र सिंगरौली है वहां के बच्चे, कर्मचारी-अधिकारी तमाम भोपाल इन्दौर शहर में पढ़ने लिखने आते जाते हैं आप देखेंगे कि उनको आने जाने के लिये भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. दूसरा सायंकालीन भोपाल से सिंगरौली के लिये कोई भी ट्रेन नहीं है. इस शक्तिपुंज एक्सप्रेस को भोपाल तक बढ़ जाने से यह ट्रेन सायं 6 बजे वापिसी होगी तो निश्चित रूप से यहां के जाने के लिये सायंकालीन सिंगरौली के लिये एक ट्रेन मिल जायेगी और वह आगे तक हावड़ा तक जायेगी इसलिये यह बहुत ही जरूरी है सिंगरौली एक औद्योगिक क्षेत्र है, जहां से भारत सरकार एवं राज्य सरकार का 28 हजार करोड़ रूपये की आय सालाना है, ऐसे क्षेत्र के लोगों की यह ट्रेन चलने से सुविधा हो जायेगी, नहीं तो क्षेत्र उपेक्षित है, इसलिये मैं चाहता हूं कि केन्द्र सरकार को हमारे इस सदन से यह प्रस्ताव पारित हो जाये कि यह ट्रेन निश्चित रूप से चलाई जाये ताकि तमाम व्यवसायियों, छात्रों, नागरिकों तथा कभी कभी हम लोग भी सायंकालीन यहां से जाना चाहें तो 5.40 बजे जन शताब्दी से जबलपुर जायेंगे तो उक्त ट्रेन छूट जाती है उसके कारण एक दिन हम लोगों को जबलपुर में रहना पड़ता है इसलिये यह महत्वपूर्ण है कि सिंगरौली जैसे जिले के लिये यह ट्रेन की सुविधा मिल जाती तो अति महत्वपूर्ण होता, इसलिये कि वहां पर रेल्वे स्टेशन भी है जहां पर कोयले की ट्रांसपोर्टिंग से 14 करोड़ रूपये की प्रतिदिन की आय होती है ऐसे क्षेत्र के निवासियों के लिये यह सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है इसलिये मैं चाहूंगा कि हमने इसके लिये

आंदोलन भी किया था पर अभी तक उक्त ट्रेन नहीं चल पायी है इसलिये यह प्रस्ताव लाया हूं कि इस शक्तिपुंज एक्सप्रेस को भोपाल तक बढ़ाया जाये और भोपाल से हावड़ा तक यह ट्रेन चले इससे सभी को आवागमन की सुविधा मिल सकती है यही मेरा संकल्प है और इसे पारित किया जाये.

(3)ललितपुर सिंगरौली रेल लाईन का कार्य शीघ्र पूरा कराया जाय.

श्री केदारनाथ शुक्ल(सीधी)—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि वर्षों से लंबित ललितपुर सिंगरौली रेल लाईन का कार्य शीघ्र पूर्ण कराया जाय.

ललितपुर सिंगरौली रेल्वे लाईन सन् 1910 से लंबित है. 1910 में इसका पहली बार सर्वेक्षण अंग्रेजों के जमाने में किया गया था और उसके बाद तत्कालीन रीवा नरेश ने इस लाईन को निकलने नहीं दिया. यह मध्यप्रदेश के उस अंचल को जहां पर आज भी आवागमन की सुविधा नहीं है उसको जोड़ने वाली एक मात्र रेल्वे लाईन होगी जो ललितपुर से टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी एवं सिंगरौली को जोड़ेगी. यह सीमावर्ती जिले हैं और यह सारे सामावर्ती जिले आज भी आवागमन की सुविधा से वंचित हैं और सतना रीवा का एक छोटा से हिस्सा है जो रेल लाईन से जुड़ा है बाकी सारा हिस्सा अभी वंचित है. रीवा सीधी के बीच में सर्वे का काम शुरू हुआ, भू-अर्जन का काम लंबित है. पन्ना जिले के बीच में फारेस्ट नेशनल पार्क का थोड़ा सा हिस्सा फंस रहा है उसको वैध करके केन्द्र सरकार एवं मध्यप्रदेश की सरकार आपस में बैठकर के उसको तय कर सकते हैं और इस तरह से इस रेल्वे लाईन को पूरी तरह से शुरू किया जा सकता है. लोकप्रिय नेता अटल बिहारी बाजपेयी के नेतृत्व में जब एनडीए की सरकार केन्द्र में थी.

माननीय अध्यक्ष महोदय, लोकप्रिय नेता अटल बिहारी बाजपेयी के नेतृत्व में जब एन.डी.ए. की सरकार केन्द्र में थी उस समय उन्होंने खजुराहो में इसका शिलान्यास भी कर दिया था पर खजुराहो में शिलान्यास के बाद खजुराहो को उधर उत्तरप्रदेश के महोबा से तो जोड़ दिया गया, पर इस रेल्वे लाइन का कहीं भी अता पता ही नहीं है. लगभग 1 करोड़ की आबादी इस रेल्वे लाइन से प्रभावित होगी जो अभी भी विकास से अछूती है. प्रचुर खनिज वाला यह क्षेत्र है कोयला, बाक्साइट, चूना, रामरज और यहां तक कि हीरा भी इस पूरे क्षेत्र में पाया जाता है. देश का दुर्लभतम खनिज भी इस क्षेत्र में मिलता है. सिंगरौली की विश्व प्रसिद्ध कोयला खदानें भी इस क्षेत्र में आयेंगी और इसके बन जाने से मध्यप्रदेश देश के पूर्वांचल क्षेत्र से और इधर बिहार, झारखंड इन सबसे जुड़ जायेगा और मध्यप्रदेश का शेष हिस्सा भी जुड़ जायेगा. सबसे

बड़ी बात तो यह है कि यह जितने भी जिले हैं जिनका नाम मैंने बताया ललितपुर से लेकर के टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रींवा, सीधी, सिंगरौली आज तक कभी मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल से नहीं जुड़े हैं और देश की राजधानी की तो बात ही छोड़ दीजिये, देश के अन्य हिस्सों की बात छोड़ दीजिये. अभी अपने प्रदेश की राजधानी से नहीं जुड़े हैं इसका बड़ा विडंबनापूर्ण इतिहास है. आजादी के पहले देशी रजवाड़ों ने इसे रोका, आजादी के बाद कांग्रेस की सरकारों ने इसे रोका और जब जब गैर कांग्रेसी सरकारें बनीं, तब- तब इस रेल्वे लाइन में काम शुरू हुआ. जब 1973 में जनता पार्टी की सरकार बनी, मुरार जी भाई देसाई के नेतृत्व में मधु दंडवते जी रेल मंत्री थे, उन्होंने सीधी का दौरा किया और उन्होंने वहां जा करके ललितपुर-सिंगरौली रेल्वे लाइन बनाने की घोषणा की. सर्वे का कार्य पूरा हो गया और सर्वे का कार्य होते-होते जनता सरकार गिर गई और यह रेल्वे लाइन पेंडिंग पड़ गई, उसके बाद जब अटल जी की सरकार आई, फिर से सर्वेक्षण हुआ और फिर से शिलान्यास तक हो गया और उसके बाद फिर से यह काम रूक गया. कम से कम विंध्य के इन पुराने जिलों को जोड़ने के लिये जो दतिया तक विंध्य का विस्तार था, यह सब जुड़ जायेंगे और आज भी जो विकास से अछूते हैं, देश के अन्य हिस्सों को अन्य हिस्सों से जोड़ने के लिये भी इस रेल्वे लाइन की अति आवश्यकता है. मैं पूरे सदन से अनुरोध करता हूं कि इसे सर्वसम्मति से पारित करें क्योंकि यह प्रदेश के पिछड़े जिलों को विकास का रास्ता प्रशस्त करेगी, धन्यवाद.

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा--(अनुपस्थित).

श्री विश्वास सारंग (नरेला)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि--

"यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि भोपाल-दिल्ली के बीच चलने वाली शताब्दी एक्सप्रेस को हबीबगंज स्टेशन तक चलाया जाये."

माननीय अध्यक्ष महोदय, 14 नवंबर, 1988 को देश की सबसे तेज गति से चलने वाली शताब्दी एक्सप्रेस को दिल्ली से ग्वालियर तक चलाया गया और उसके बाद इस बात पर विचार हुआ और यह सिद्ध हुआ कि इसकी उपयोगिता भोपाल तक है और उसके बाद माननीय अध्यक्ष महोदय, शताब्दी एक्सप्रेस को दिल्ली से भोपाल तक चलाया गया. सन् 1988 में भोपाल की आबादी लगभग 11 लाख थी, आज लगभग 26 वर्ष बाद भोपाल की आबादी भी बढ़ी और उसके साथ साथ भोपाल के क्षेत्रफल का दायरा, भोपाल की परिधि भी लगातार बढ़ी है. माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि आज की हम बात करें, तो 2014 में भोपाल की आबादी लगभग 28 लाख हो गई है और यदि परिधि की बात करें, तो 1988 से लगभग डेढ़ गुना ज्यादा भोपाल की परिधि में विकास हुआ है और खास कर यह जो आबादी बढ़ी है या जो भोपाल की जो बसाहट बढ़ी है, यह नये भोपाल की तरफ ज्यादा बढ़ी है माननीय अध्यक्ष महोदय. जिस समय शताब्दी एक्सप्रेस को भोपाल तक लाया गया था, उस समय हबीबगंज स्टेशन का बहुत ज्याद अस्तित्व नहीं था, बहुत छोटे स्तर

पर हबीबगंज स्टेशन था और इसलिये इस ट्रेन को केवल भोपाल तक ही चलाने का विचार हुआ था. माननीय अध्यक्ष महोदय, लंबे समय से भोपालवासियों की यह मांग रही है कि शताब्दी एक्सप्रेस जो कि मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल को देश की की राजधानी दिल्ली से जोड़ती है , इसको आगे बढ़ा कर हबीबगंज स्टेशन तक ले जाया जाये और हबीबगंज स्टेशन से ही इसको चालू किया जाये, इसकी शुरूवात की जाये. मैं यह सदन से अनुरोध करता हूं कि 26 वर्ष बाद जिस प्रकार से भोपाल की आबादी और भोपाल की परिधि बढ़ी है, निश्चित रूप से इस बात की बहुत जरूरत है कि

भोपाल स्टेशन के स्थान पर हबीबगंज स्टेशन से इस ट्रेन को चलाया जाय. मैं आपके माध्यम से सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि सर्वानुमति से इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करें और केंद्र सरकार से यह अनुरोध करें कि शताब्दी एक्सप्रेस को हबीबगंज स्टेशन से चलाया जाय. धन्यवाद.

अध्यक्ष महोदय -- सभी संकल्प प्रस्तुत हुए. अब परिवहन मंत्री जी सभी संकल्पों पर एक साथ वक्तव्य देंगे.

परिवहन मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह) -- अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक, श्री हितेन्द्र सोलंकी जी ने बड़वाहा से महेश्वर धामनौद मार्ग पर नगर सीमा में रेल्वे ओव्हर ब्रिज के निर्माण के संबंध में अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया है. माननीय विधायक, श्री रामलल्लू वैश्य द्वारा हावड़ा-जबलपुर शक्तिपुंज एक्सप्रेस को व्हाया इटारसी भोपाल तक चलाये जाने का संकल्प प्रस्तुत किया है. माननीय विधायक, श्री केदारनाथ शुक्ल जी द्वारा शहडोल,सीधी, इलाहबाद नई रेल लाइन के सर्वेक्षण के बारे में संकल्प प्रस्तुत किया गया है. माननीय विधायक, श्री महेन्द्र सिंह जी के द्वारा ट्रेन नंबर 12198 ग्वालियर भोपाल इंटरसिटी एक्सप्रेस तथा 11701 जबलपुर-इंदौर एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव पिपरई जिला अशोकनगर में किये जाने के संबंध में संकल्प प्रस्तुत किया गया है. माननीय विधायक, श्री विश्वास सारंग द्वारा भोपाल-दिल्ली के बीच चलने वाली शताब्दी एक्सप्रेस को हबीबगंज स्टेशन से चलाये जाने का संकल्प प्रस्तुत किया है.

अध्यक्ष महोदय, परिवहन विभाग इन सभी संकल्पों से सहमत है और पूरा सदन इनसे सहमत है. हम इन प्रस्तावों को भारत सरकार के रेल मंत्रालय को शासन की तरफ से, विभाग की तरफ से भेज देंगे.

अध्यक्ष महोदय -- प्रश्न यह है कि आज की कार्य सूची के पद 15 में उल्लिखित अशासकीय संकल्प क्र. 1,2,3 एवं 5 के संबंध में संबंधित माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किये जायें.

सभी संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुए.

विधानसभा की कार्यवाही सोमवार दिनाँक 7 जुलाई, 2014 के प्रात: 10.30 बजे तक के लिए स्थगित.

अपराह्न 4.07 बजे विधान सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनाँक 7 जुलाई, 2014 (16 आषाढ़, शक संवत् 1936) के प्रात: 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

भोपाल,
दिनांक : 4 जुलाई,2014

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधानसभा